



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-31032026-271441
CG-DL-E-31032026-271441

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 210]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 30, 2026/चैत्र 9, 1948

No. 210]

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 30, 2026/CHAITRA 9, 1948

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 30 मार्च, 2026

सा.का.नि. 229(अ).— केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 के साथ पठित धारा 139 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (पांचवाँ संशोधन) नियम, 2026 है।
(2) ये 31 मार्च, 2026 से प्रभावी होंगे और निर्धारण वर्ष (नि.व.) 2026-27 के लिए फाइल किए गए विवरणी पर लागू होंगे।
- आय-कर नियम, 1962 के, परिशिष्ट-II में, प्ररूप आईटीआर-5 के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात् :-

" प्ररूप	आ.क.वि.-5	भारतीय आयकर विवरणी (i) व्यष्टि (ii) हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब (iii) कंपनी और (iv) प्ररूप आई टीआर-7 फाईल करने वाले व्यक्ति से भिन्न व्यक्ति (कृपया आयकर नियम, 1962 का नियम 12 देखें)	निर्धारण वर्ष						
			2	0	2	6	-	2	7

भाग क-साधारण		साधारण		
व्यक्तिगत जानकारी	(क1)नाम	(क2) स्थायी लेखा संख्याक		
	(क3)क्या नाम में कोई परिवर्तन हुआ है ? यदि हाँ, तो कृपया पुराना नाम दें	(क4) एमसीए द्वारा जारी सीमित दायित्व भागीदारी पहचान संख्या (एलएलपीआईएन) यदि लागू हो तो,		
	संसूचना प्रयोजनों हेतु पतों का प्रदान किया जाना प्राथमिक पता (क7क) फ्लैट /द्वार /ब्लाक सं. (क8क)परिसर/भवन/ग्राम का नाम	(क5)विरचना की तारीख (दि.मा.व)		
		(क6)कारबार प्रारंभ होने की तारीख (दि.मा.व)		
	(क9क)सड़क/गली /डाकघर (क10क) क्षेत्र/अवस्थिति (क11क) शहर/नगर/जिला (क12क) राज्य (क13क) पिनकोड/जिपकोड (क14क) देश द्वितीयक पता (क7ख) फ्लैट /द्वार /ब्लाक सं. (क8ख)परिसर का नाम/भवन/ग्राम का नाम (क9ख)सड़क/गली /डाकघर (क10ख) क्षेत्र/अवस्थिति (क11ख) शहर/नगर/जिला (क12ख) राज्य (क13ख) पिनकोड/जिपकोड (क14ख) देश	प्रारस्थिति (फर्म-1 उप प्रास्थिति-भागीदारी फर्म, एलएलपी, स्थानीय प्राधिकारी-2, एओपी/बीओआई-3 उप प्रास्थिति-अन्य सहकारी बैंक, अन्य सहकारी सोसाइटी, सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860यया उस राज्य की तत्स्थानी अन्य विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी, प्राथमिक कृषि उधार सोसाइटी/सहकारी बैंक, ग्रामीण विकास बैंक, कारबार न्यास, विनिधान निधि, आयकर विवरणी 7 में विवरणी फाईल करने के पात्र न्यास से भिन्न न्यास, अन्य कोई एओपी/बीओआई, कृत्रिम विधिक व्यक्ति-4, उप-प्रास्थिति-मृतक की संपदा, दिवालिया की संपदा, अन्य एजेपी),		<input type="checkbox"/>
	संसूचना संयोजनों के लिए ब्यौरा प्रदान किया जाना			
	(क15)करदाता का निवास /कार्यालय का फोन नं. एसटीडी कोड सहित प्राथमिक मोबाईल सं.	(क16) द्वितीयक मोबाईल सं.		
	(क17)प्राथमिक ई-मेल पता	(क18) द्वितीयक ई-मेल पता		
	(फाईल करने की प्रास्थिति)	(क19 का)	आय की विवरणी फाईल करने की देय तारीख(ड्रापडाउन उपबंधित किया जाए)	
			1. 31 जुलाई 2. 31 अगस्त 3. 31 अक्टूबर 4. 30 नवंबर	

(क19 कii)	(1) धारा के अधीन फाइल (सही का निशान लगाएँ) /	<input type="checkbox"/> 139(1)- नियत तारीख को या उस से पूर्व <input type="checkbox"/> 139(4)- विलंबित, <input type="checkbox"/> 139(5)- पुनरीक्षित, <input type="checkbox"/> 92गघ-उ(उपांतरित विवरणी, <input type="checkbox"/> 119(2)(ख) के अधीन विलंब के लिए माफी के पश्चात्।	
	(2) या धारा ... के अधीन सूचना के प्रत्युत्तर में फाइल की गई	<input type="checkbox"/> 139(9), <input type="checkbox"/> 142(1), <input type="checkbox"/> 148, <input type="checkbox"/> 153(ग)	
	(3) क्या आप एक कारबार न्यास हैं?	<input type="checkbox"/> हाँ	<input type="checkbox"/> नहीं
	(4) क्या आप धारा 115पख में निर्दिष्ट एक विनिधान निधि हैं?	<input type="checkbox"/> हाँ	<input type="checkbox"/> नहीं
(ख)	यदि पुनरीक्षित/ दोषपूर्ण/उपांतरित करने के लिए सूचना के उत्तर में है तो मूल विवरणी की प्राप्ति सं. और फाइल करने की तारीख प्रविष्ट करें (दिन/मास/वर्ष)		/ /
(ग)	यदि धारा 139(9) / 142(1) / 148/ 153(ग) के अंतर्गत नोटिस या धारा 119(2)(ख) के अंतर्गत आदेश के प्रत्युत्तर में फाइल की गयी है, तो यूनिक नंबर/ दस्तावेज पहचान संख्या(डी.आई.एन)और ऐसे नोटिस/आदेश की तारीख भरें, अथवा यदि धारा 92गघ के अंतर्गत फाइल की गई है तो अग्रिम मूल्यन करार की तारीख भरें	(यूनिक नंबर)	/ /
घ	टिप्पण: यदि एओपी(सहकारी सोसायटी से भिन्न बीओआई/एजेपी, कृपया(घi) भरें। यदि सहकारी सोसायटी है तो कृपया(घii) या (घiv) भरें, जैसा लागू हो।		
(घi)	<p>क्या आपकी चालू निर्धारण वर्ष के लिए कारबार या वृत्ति से आय है? <input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं</p> <p>(i) यदि क19(घi) का उत्तर हां है, तो क्या आपने 10इड.क प्ररुप को किसी पूर्व निर्धारण वर्ष में पुरानी कर व्यवस्था का विकल्प चुनने के लिए फाइल किया है? <input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं</p> <p>(क) यदि (i) का उत्तर हां है, तो-</p> <p>(i) प्ररुप 10इड.क की पावती संख्या और निर्धारण वर्ष प्रस्तुत करें जिसके लिए यह प्ररुप पुरानी कर व्यवस्था चुनने हेतु भरा था।</p> <p>(ii) क्या आपने निर्धारण वर्ष जिसमें पुरानी कर व्यवस्था चुनने हेतु पहला प्ररुप 10इड.क भरा था के पश्चातवर्ती निर्धारण वर्ष के लिए प्ररुप 10इड.क भरने के द्वारा नई कर व्यवस्था पुनःप्रविष्ट कर दी है? <input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं</p> <p>(क) यदि (i)(क)(ii) का उत्तर हाँ है, तो दूसरे प्ररुप 10इड.क की पावती संख्या प्रदान करें तथा निर्धारण वर्ष जिसके लिए यह प्ररुप नई कर व्यवस्था चुनने के लिए फाइल किया गया था और नई कर व्यवस्था में आयकर विवरणी प्रस्तुत करें।</p> <p>(ख) यदि (i)(क)(ii) का उत्तर नहीं है तो क्या आपने चालू निर्धारण वर्ष में नई कर व्यवस्था में पुनः प्रविष्ट करने के लिए प्ररुप 10इड.क प्रस्तुत किया है?</p> <p>(ख)(i) यदि हां, तो परुप 10इड.क की पावती संख्या प्रदान करे और आयकर विवरणी प्रस्तुत करें।</p> <p>(ख)(ii) यदि नहीं, तो पुरानी कर व्यवस्था में आयकर विवरणी प्रस्तुत करें।</p> <p>(ख) यदि (i) का उत्तर नहीं है, क्या आपने पुरानी कर व्यवस्था चुनने के लिए चालू निर्धारण वर्ष के लिए देय तारीख के भीतर प्ररुप 10इड.क प्रस्तुत किया है? <input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं</p> <p>(i) यदि (i)(ख) का उत्तर हां है, तो प्ररुप 10इड.क की पावती संख्या प्रदान करें और पुरानी कर व्यवस्था में विवरणी प्रस्तुत करें।</p> <p>(ii) यदि (i)(ख) का उत्तर नहीं है, तो नई कर व्यवस्था में आयकर विवरणी प्रस्तुत करें।</p> <p>(ii) यदि क19(घi) का उत्तर नहीं है, तो क्या आप चालू निर्धारण वर्ष के लिए पुरानी कर व्यवस्था का विकल्प चुनना चाहते है? <input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं</p> <p>टिप्पण: धारा 115खकग(1क) के अधीन डिफॉल्ट व्यवस्था नई व्यवस्था है। पुरानी व्यवस्था प्ररुप 10इड.क फाइल करने द्वारा धारा 115खकग(6) के अधीन नई कर व्यवस्था से बाहर निकलने का विकल्प चुना जा सकता है जो धारा 139(1) के अधीन आय की विवरणी प्रस्तुत करने के लिए देय तारीख पर या से पूर्व प्रयोग किया जाना चाहिए।</p>		

(घ ii)	(क) क्या आपने 115खकग के तहत पूर्ववर्ती वर्षों में नई कर प्रणाली का विकल्प चुना है? <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं (यदि हां का चयन किया गया है तो कृपया नि.व. जिसमें उक्त विकल्प प्रयोग किया गया तथा प्रपत्र 10-आई.एफ की पावती संख्या दाखिल की तारीख सहित प्रस्तुत करें)
-----------	---

(घ iii)	यदि "नहीं", तो चालू निर्धारण वर्ष के लिए विकल्प चुना गया चुना जा रहा. यदि "चुना जा रहा" विकल्प चुना, कृपया पुस्तुत करें	प्रपत्र 10 झच दि/मा/व	पावती क्रमांक:
(घ iv)	यदि आप नई विनिर्माता सहकारी सोसायटी है, निर्धारण वर्ष 2024-25 या निर्धारण वर्ष 2025-26 के लिए धारा 139(1) के अधीन क्या आय से अनिवार्य रूप से आय की विवरणी भरना अपेक्षित था? <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं		
(घi v क)	यदि (घiv) का उत्तर हां है, तो क्या आपने निर्धारण वर्ष 2024-25 या निर्धारण वर्ष 2025-26 में धारा 115खकड़ के अधीन कोई कर व्यवस्था का विकल्प चुनने का विकल्प प्रयोग किया है? <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं		
(घi v ख)	यदि (घiv) का उत्तर नहीं है, तो क्या आपने निर्धारण वर्ष 2026-27 में धारा 115खकड़ के अधीन कोई कर व्यवस्था का विकल्प चुनने का विकल्प प्रयोग करना चाहते हो? <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं		
(घi v ग)	यदि घiv(क) या घiv (ख), हां के रूप में चुना जाता है, कृपया प्ररूप 10-झचक फाइल करने की तारीख तथा अभिस्वीकृति संख्या प्रस्तुत करें	प्ररूप 10झचक फाइल करने की तारीख दि/मा/व	अभिस्वीकृति सं.
(ड.)	निवास संबंधी प्रास्थिति (सही का निशान लगाएँ) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> निवासी <input type="checkbox"/> अनिवासी		
(च)	क्या निर्धारिती की अंतराष्ट्रीय वित्तयी सेवा केंद्र में इकाई और केवल परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में आय व्युत्पन्न करता है? (सही का निशान लगाएँ) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं		
(छ)	क्या आप डीपीआईआईटी द्वारा आवंटित स्टार्ट अप के रूप में मान्यता प्राप्त हैं	<input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं	
(ज)	यदि हां तो, कृपया डीपीआईआईटी द्वारा आवंटित स्टार्ट अप मान्यता संख्या उल्लिखित करें		
(झ)	क्या अंतर मंत्रालयीय प्रमाणन बोर्ड से प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है?	<input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं	
(ञ)	यदि हां तो, कृपया प्रमाणन संख्या उल्लिखित करें		
(ट)	क्या आप एमएसएमई के रूप में मान्यता प्राप्त हैं	<input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं	
(ठ)	यदि हां तो, कृपया एमएसएमई अधिनियम, 2006 के अनुसार आवंटित रजिस्ट्रीकरण संख्या प्रदान करें।		
(ड)	(i) अनिवासी की दशा में, यदि भारत में कोई स्थायी स्थापन है (सही का निशान लगाएँ) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं (अनिवासी के मामले में क्या भारत में महत्वपूर्ण आर्थिक उपस्थिति (एस.ई.पी) धारा 9(1)(i) के स्पष्टीकरण 2क(क) में संदर्भित है? (चिन्ह) <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं		
(ढ)	अनिवासी की दशा में, क्या स्पष्टीकरण (2क) से धारा 9(1) में परिभाषित अनुसार भारत में महत्वपूर्ण आर्थिक उपस्थिति है(एस ई पी) (सही का निशान लगाएँ) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं यदि हां, कृपया विवरण प्रस्तुत करें (क) धारा 9(1)(i) के स्पष्टीकरण 2क(क) में संदर्भित पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान लेन-देन से उत्पन्न भुगतान का योग (ख) धारा 9(1)(i) के स्पष्टीकरण 2क(ख) में संदर्भित भारत में उपयोगकर्ताओं की संख्या		
(ण)	क्या आप एफआईआई/एफपीआई? हां/नहीं यदि हां, कृपया सेबी रजिस्ट्रेशन का संख्यांक उपबंधित करें।		
(त)	क्या यह विवरणी किसी प्रतिनिधि निर्धारिती द्वारा (फाइल की जा रही है? (सही का निशान लगाएँ) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं यदि हां, तो कृपया निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करें--		
	(1)	प्रतिनिधि निर्धारिती का नाम	
	(2)	प्रतिनिधि निर्धारिती का ई-मेल आईडी	

	(3)	प्रतिनिधि निर्धारिती का संपर्क संख्या												
थ	क्या आप फर्म में भागीदार हैं? (निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं						यदि हां तो, निम्नलिखित जानकारी प्रदान करें							
	फर्म का नाम						स्थायी लेखा संख्यांक							
द	क्या आपने पूर्व वर्ष के दौरान किसी समय असूचीबद्ध साधारण अंश धारित किया है ? (निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं													
	यदि हां तो, साधारण अंश के संबंध में कृपया निम्नलिखित जानकारी प्रदान करें													
	कंपनी का नाम	कंपनी का प्रकार	स्थायी लेखा संख्यांक	आरंभिक अतिशेष		वर्ष के दौरान अर्जित अंश				वर्ष के दौरान अंतरित अंश		अंत अतिशेष		
				अंशों की संख्या	अर्जन की लागत	अंशों की संख्या	अभिदान/क्रय की तारीख	प्रति अंश अंकित मूल्य	प्रति अंश निर्गम मूल्य (नए निर्गम की दशा में)	प्रति अंश क्रय मूल्य (विद्यमान अंश धारक से क्रय की दशा में)	अंशों की संख्या	विक्रय प्रतिफल	अंशों की संख्या	अर्जन की लागत
	1 क	1 ख	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

	ध	विधिक अस्तित्व पहचानकर्ता(एलईआई) ब्योरा(अनिवार्य है यदि प्रतिदाय 50 करोड़ या अधिक है)													
		एलईआई संख्या				तारीख जब तक वैध									
	क1	क्या आप धारा 44कक के अनुसार लेखे रखने के लिए दायी ? (सही का निशान लगाएँ) <input checked="" type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं													
	क2	क्या निर्धारिती केवल 44कघ/ 44कघक/ 44कड़ / 44ख / 44खख / 44खखक / 44खखग/44खखघ के तहत आय की घोषणा कर रहा है (निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं													
संपरीक्षा जानकारी	क2i	कृपया कारबार के कुल विक्रय/आवर्त सकल प्राप्तियां की रेंज चुने (चिन्ह) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1 करोड़ रुपये तक <input type="checkbox"/> 1 करोड़ रुपये से अधिक और 10 करोड़ रुपये तक <input type="checkbox"/> टर्नआवेर 10 करोड़ से अधिक													
	क2ii	क2i पर 1 करोड़ से अधिक और 10 करोड़ रुपये तक विकल्प चुना जाता है कृपया पूर्व वर्ष के दौरान किए गए कुल प्राप्तियों में से नकद और गैर खाता संदाता बैंक/ड्राफ्ट में प्राप्त रकम की प्रतिशत चुने। <input type="checkbox"/> 5% <input type="checkbox"/> 5 %से अधिक (टिप्पण: यदि यह प्रतिशत 5% से अधिक है , तो आप धारा 44कख के अधीन संपरीक्षा के लिए दायी हैं।)													

क 2iii	यदि 1 करोड़ से अधिक और 10 करोड़ रुपये तक विकल्प क2i पर चुना जाता है पूर्व वर्ष के दौरान किए गए कुल संदाय में से नकद और गैर खाता संदाता बैंक/बैंक ड्राफ्ट में किये गए संदायों का प्रतिशत चुने। <input type="checkbox"/> 5% <input type="checkbox"/> 5 %से अधिक (टिप्पण: यदि यह प्रतिशत 5% से अधिक है , तो आप धारा 44कख के अधीन संपरीक्षा के लिए दायी हैं।)			
ख	क्या आप धारा 44कख के अधीन संपरीक्षा के लिए दायी ? (सही का निशान लगाएँ) <input checked="" type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं (प्रणाली को टिप्पणी : यदि टर्नओवर 10 करोड़ से अधिक हो यह स्वतः ही होना चाहिए) यदि हां का चयन किया जाता है, तो उल्लेख करें कि निम्नलिखित में से किन शर्तों पर:-			
खा	विक्रय, आवर्त या सकल प्राप्तियां धारा 44कख के अधीन विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक है (निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/>			
खii	धारा 44कघ, 44कघक, 44कड़, 44खख के अधीन आने वाला निर्धारित, किंतु अनुमानित आधार पर आय नहीं प्रस्तुत कर रहा (लागु धारा पर टिक करें) <input type="checkbox"/> 44कघ <input type="checkbox"/> 44कघक <input type="checkbox"/> 44कड़ <input type="checkbox"/> 44खख			
खiii	अन्य (निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/>			
ग	यदि (ख) हाँ है तो क्या लेखों की संपरीक्षा लेखाकार द्वारा की गई है ? (सही का निशान लगाएँ) <input checked="" type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं,			
	(i)	संपरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख (दिन /मास/वर्ष) / /		
	(ii)	संपरीक्षा रिपोर्ट की पावती संख्या		
	(iii)	संपरीक्षक का नाम (संपत्तिक /फर्म)		
	(iv)	संपत्तिक/फर्म का पैन/ आधार संख्या		
(घi)	क्या आप धारा 92ड. के अधीन संपरीक्षा के लिए दायी हैं? <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं			
(घii)	यदि घइ हां है, क्या धारा 92 अ के तहत खातों का लेखा परीक्षण किया गया	<input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं	लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख ? दि/मा/व	पावती संख्या
(घiii)	यदि अन्य लेखा परीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी, वर्णन करें क्या आपने ऐसी रिपोर्ट प्रस्तुत की है, यदि हां, कृपया नीचे उल्लिखित विवरण प्रदान करें, (कृपया अनुदेश देखें)			
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	क्रम संख्यांक.	सेक्शन कोड	तारीख (दिन/मास/वर्ष)	पावती संख्या
(ड)	यदि आयकर अधिनियम से भिन्न किसी अन्य अधिनियम, के अधीन संपरीक्षा प्रतिवेदन देने के लिए दायी है, अधिनियम, धारा और संपरीक्षा प्रतिवेदन देने की तारीख का अभिकथन करें ?			
	अधिनियम और धारा		(दिन/मास/मास)	

भागीदार/ सदस्य/ न्यास की सूचना	अ.	क्या पूर्व वर्ष के दौरान फर्म/ए ओ पी /बी ओ आई के भागीदारों/ सदस्यों में कोई परिवर्तन हुआ है (सही का निशान लगाएँ) <input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं (संस्था तथा सहकारी बैंकों में प्रबंधन समिति का विवरण) यदि हां तो प्रविष्ट/ सेवानिवृत्त भागीदारों का विवरण प्रदान करें।								
		क्र.सं.	भागीदार/सदस्य का नाम	प्रवेश/निवृत्ति	स्थायी लेखा संख्या	प्रवेश/निवृत्ति की तारीख	पारिश्रमिक भुगतान/ देय सेवानिवृत्ति भागीदार के मामले में (फर्म के मामले में)	अंश का प्रतिशत (यदि अवधार्य हो)		
		1.								
		2.								
आ	आ	क्या एओपी/बीओआई/एजेपी का निष्पादक विदेशी कंपनी है? (सही का निशान लगाएँ) <input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं								
		यदि हां तो एओपी/बीओआई/एजेपी के निष्पादक में विदेशी कंपनी के शेयर की प्रतिशतता का उल्लेख करें (सही का निशान लगाएँ) <input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं								
	इ.	क्या एओपी/बीओआई/एजीपी के निष्पादक के किसी सदस्य की कुल आय (ऐसी संगम या निकाय/एजेपी के निष्पादक से उसके शेयरों को छोड़कर) उस अधिकतम रकम से अधिक है जो उस सदस्य के मामले में कर से प्रभार्य नहीं है? (सही का निशान लगाएँ) <input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं								
		उ. व्यक्तियों की विशिष्टियां जो 31 मार्च, 2026 या विघटन की तारीख को फर्म/एओपी/बीओआई में भागीदार/सदस्य या न्यास में व्यवस्थापक/न्यासी/फायदाग्राही या मृतक की संपदा या दिवालिया की संपदा की दशा में निष्पादक था								
		क्र. सं.	नाम और पता	शेयर का प्रतिशत (यदि अवधारित किया जाए)	स्थायी लेखा संख्या	आधार संख्या	एलएलपी में भागीदार की दशा में अभिहित भागीदार पहचान संख्या	प्रास्थिति	पूंजी पर ब्याज की दर	संदत्त/संदेय पारिश्रमिक
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
धारा 160 (1) (iii) या (iv) में निर्दिष्ट व्यक्तियों के लिए	च	धारा 160 (1) (iii) या (iv) में निर्दिष्ट व्यक्तियों की दशा में भरा जाना है								
		1	क्या हिताधिकारी के शेयर अवधारित या ज्ञात हैं ?							<input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं
		2	क्या धारा 160 (1) (iv) में निर्दिष्ट व्यक्ति की कारबार आय है ?							<input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं
		3	क्या धारा 160 (1) (iv) में निर्दिष्ट व्यक्ति किसी वसीयत द्वारा घोषित है /या अनन्य रूप से व्यवस्थापक के किसी आश्रित रिश्तेदार के फायदे के लिए और /या व्यवस्थापक द्वारा घोषित एकमात्र न्यास है ?							<input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं
		4	कृपया निम्नलिखित ब्यौरे दें (यथा लागू):							
	(i)	क्या सभी हिताधिकारियों की आय आधारभूत छूट सीमा के नीचे है?							<input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं	

		(ii)	क्या सुसंगत आय या उसका कोई भाग किसी व्यक्ति द्वारा वसीयत द्वारा घोषित किसी न्यास के अधीन प्राप्त किया जा सकता है और ऐसा न्यास उसके द्वारा इस प्रकार घोषित एकमात्र न्यास है?	<input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं	
		(iii)	क्या न्यास व्यवस्थापक के रिश्तेदारों/एच यू एफ के सदस्य, प्रमुखतः उस पर/परिवार पर निर्भर, के अनन्य लाभ के लिए 01-03-1970 से पूर्व सृजित अवसीयती न्यास है ?	<input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं	
		(iv)	क्या न्यास किसी भविष्य निधि, अधिवर्षिता निधि, उपदान निधि, पेंशन निधि या ऐसे कारबार या वृत्ति में अनन्य रूप से कर्मचारियों के लिए कारबार या वृत्ति का संचालन कर रहे किसी व्यक्ति द्वारा वास्तविक रूप से सृजित किसी अन्य निधि की ओर से सृजित किया गया है ?	<input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं	
		कारबार या वृत्ति का स्वरूप, यदि एक से अधिक कारबार या वृत्ति है तो तीन मुख्य क्रियाकलाप/उत्पाद बताएं (धारा 44कघ, धारा 44कघक और धारा 44कड. के अधीन आय घोषित करने वालों से भिन्न)			
कारबार का स्वरूप	छ	क्र. सं.	कोड	कारबार का व्यापारिक नाम, यदि कोई हो	वर्णन
		(i)			
		(ii)			

भाग क- बीएस		31 मार्च, 2026 या विघटन की तारीख को तुलन-पत्र (यदि नियमित लेखा बहियाँ रखी जाती है तो मद क से ख भरें अन्यथा ग भरें)					
निधियों के स्त्रोत	अ	निधियों के स्त्रोत					
	1	भागीदार /सदस्यता निधि					
	क	भागीदार /सदस्यता पूंजी				क	
		ख	आरक्षितियाँ और अधिशेष				
			i	पुनर्मूल्यांकन आरक्षिति	खi		
			ii	पूँजी आरक्षिति	खii		
			iii	कानूनी आरक्षिति	खiii		
			iv	कोई अन्य आरक्षिति	खiv		
			v	लाभ और हानि लेखा का जमा शेष	खv		
	vi	योग (खi+खii+खiii+खiv+खv)			खvi		
	ग	कुल भागीदारी सदस्य निधि (क + खvi)				1ग	
	2	ऋण निधि					
	क	प्रतिभूत ऋण					
		i	विदेशी करेन्सी में ऋण		का		
			रूपए में ऋण				
			अ बैंकों से		iiअ		
			आ अन्य से		iiआ		
			इ योग (iiiअ+iiiआ)		ii इ		
			iii कुल प्रतिभूत ऋण (का+ii ई)				कiii
	ख	अप्रतिभूत ऋण (निक्षेप सहित)					
i	विदेशी मुद्रा ऋण		का				
	रूपया ऋण						
	अ बैंकों से ऋण		iiअ				
	आ आयकर अधिनियम की धारा 40क(2)(ख)में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों से		iiआ				

	इ	अन्य से	iiइ		
	ई	कुल रूपया ऋण (iiअ+iiआ+ii)	iiई		
	iii	कुल अप्रतिभूत ऋण (ख i + ii घ)			ख iii
	ग	कुल ऋण निधि (कiii + खiii)			2ग
3		आस्थगित कर दायित्व			3
4		अग्रिम			
i		आयकर अधिनियम की धारा 40क(2)(ख)में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों से	i		
ii		अन्य से	ii		
iii		कुल अग्रिम (i+ii)			4iii
5		निधि के स्रोत (1ग+2ग+3+4iii)			5
आ		निधियों का उपयोजन			
1		नियत आस्तियां			
निधियों का उपयोजन	क	सकल : ब्लाक	1क		
	ख	अवक्षयण	1ख		
	ग	शुद्ध ब्लॉक (क-ख)	1ग		
	घ	प्रगतिगत कार्य पूंजी	1घ		
	ङ	योग (1ग+1घ)			1 ङ
	2	विनिधान			
	क	दीर्घकालिक विनिधान			
	i	संपत्ति में विनिधान	i		
	ii	साम्या लिखत			
	अ	सूचीबद्ध साम्या	iiअ		
	आ	असूचीबद्ध साम्या	iiआ		
	इ	योग	iiइ		
	iii	अधिमानि शेयर	iii		
	iv	सरकारी या न्यास संपत्ति यहाँ	iv		
	v	डिबेंचर या बंधपत्र	v		
	vi	पारस्परिक निधियां	vi		
	vii	अन्य	vii		
	viii	कुल दीर्घकालिक विनिधान (i+ii + iii+iv+v+vi+vii)			कviii
	ख	अल्पकालिक विनिधान			
	i	साम्या लिखत			
अ	सूचीबद्ध साम्या	iअ			
आ	असूचीबद्ध साम्या	iआ			
इ	योग	iइ			
ii	अधिमानि शेयर	ii			
iii	सरकारी या न्यास संपत्तियां	iii			
iv	डिबेंचर या बंधपत्र	iv			
v	पारस्परिक निधियां	v			
vi	अन्य	vi			
vii	कुल अल्पकालिक विनिधान (iइ+ii + iii+iv+v+vi)			खvii	
ग	कुल विनिधान (कviii+खvii)			2ग	
3		चालू आस्तियां, ऋण और अग्रिम			

		क	चालू आस्तियां		
		i	सूचियां		
			अ कच्चा माल	iअ	
			आ प्रगतिगतस्टॉक	iआ	
			इ तैयार माल	iइ	
			ई व्यापारगत स्टॉक (व्यापार के लिए अर्जित माल के संबंध में)	iई	
			उ भंडार/पैकिंग सामग्री सहित उपभोग योग्य	iउ	
			ऊ खुले औजार	iऊ	
			ए अन्य	iऐ	
			ऐ योग (iअ+iआ+iइ+iई+iउ+iऊ+iऐ)		i ऐ
		ii	विविध देनदार		
			अ एक वर्ष से अधिक के लिए बकाया	iiअ	
			आ अन्य	iiआ	
			इ कुल विविध		iiइ
		iii	नकदी और बैंक अतिशेष		
			अ बैंक में अतिशेष	iiiअ	
			आ हाथ में नकदी	iiiआ	
			अन्य	iiiइ	
			ई कुल नकद और नकद समतुल्य (iii अ+iii आ + iiiइ)		iiiई
		iv	अन्य चालू आस्तियां		कiv
		v	कुल चालू आस्तियां (iऐ + iiइ + iiiई + कiv)		कv
		ख	ऋण और अग्रिम		
		i	नकद या वस्तु में वसूलनीय या प्राप्त किए जाने वाले मूल्य के लिए अग्रिम	खi	
		ii	निक्षेप, उधार तथा कॉरपरेट अग्रिम और अन्य	खii	
		iii	राजस्व प्राधिकारियों के पास अतिशेष	खiii	
		iv	योग (खi + खii + खiii)		खiv
		v	खiv में सम्मिलित ऋण और अग्रिम जो निम्नलिखित के लिए है		
			क कारबार या वृत्ती के प्रयोजन के लिए	vक	
			ख कारबार या वृत्ती के प्रयोजन के लिए नहीं	vख	
		ग	योग (कv + खiv)		3ग
		घ	विद्यमान दायित्व और		
		i	विद्यमान दायित्व		
			अ विविध		
			1 एक वर्ष से अधिक के लिए बकाया	1	
			2 अन्य	2	
			3 योग (1 + 2)	अ3	
			आ पटटाधृत आस्तियों के लिए दायित्व	iआ	
			इ रण पर प्रोद्भूत ब्याज और शोध	iइ	
			ई रण पर प्रोद्भूत ब्याज किन्तु शोध नहीं	iई	

		उ	अग्रिममें प्राप्त आय	iउ	
		ऊ	अन्य संदेय	iऊ	
		ए	योग (अ3+iआ+iई+iउ+iऊ)		iए
		ii	उपबंध		
		अ	आयकर के लिए उपबंध	iiअ	
		आ	छुट्टी नकदिकरण/अधिवर्षित/उपदान के लिए उपबंध	ii आ	
		इ	अन्य	ii इ	
		ई	योग (iiअ+iiआ +iiइ)		iiई
		iii	योग (iउ+ iiई)		घiii
		ड	शुद्ध चालू आस्तियां (3ग-घiii)		3ड
4	क	अपलिखित या समायोजित न किया गया प्रकीर्ण व्यय	4क		
		ख	आस्थगित कर आस्ति	4ख	
		ग	लाभ और हानि लेखा/ संचति अतिशेष	4ग	
		घ	योग (4क + 4ख + 4ग)		4घ
5	निधियों के उपयोजन का योग (1ड + 2ग + 3ड + 4घ)		5		
लेखा नहीं होने की दशा	ग	उस दशा में, जहां कारबार या वृत्ती की नियमित लेखा-बहियाँ नहीं रखी जाती, वहाँ हॉ कारबार या वृत्ती की बाबत 31 मार्च, 2025 को निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करें			
	1	विविध देनदारों की कुल रकम		ग1	
	2	विविध लेनदारों की कुल रकम		ग2	
	3	व्यवसायगत स्टॉक की कुल रकम		ग3	
	4	नकद अतिशेष की रकम		ग4	

भाग अ-विनिर्माण लेखा		वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए विनिर्माण लेखा (जहां नियमित लेखा बही अनुरक्षित की जाती है वहां मद 1 से 3 भरें, अन्यथा यथा लागू मद 62 से 66 भरें)				
1	विनिर्माण लेखा के लिए विकलन					
	क	आरंभिक सूची				
		i	कच्ची सामग्री का आरंभिक स्टॉक	i		
		ii	प्रगति हो रहे कार्य आरंभिक स्टॉक	ii		
		iii	योग (i + ii)		कiii	
	ख	क्रय (शुद्ध प्रतिदाय और शुल्क या कर, यदि कोई हों)			ख	
	ग	प्रत्यक्ष मजदूरी			ग	
	घ	प्रत्यक्ष व्यय(घा + घii + घiii)			घ	
			i	आवक वहन व्यय	i	
			ii	बिजली और ईंधन	ii	
			iii	अन्य प्रत्यक्ष व्यय	iii	
		ड.	कारखाना अधिव्यय			
		i	अप्रत्यक्ष मजदूरी	i		
		ii	कारखाना किराया और दर	ii		
		iii	कारखाना बीमा	iii		
	iv	कारखाना ईंधन और बिजली	iv			
v	कारखाना साधारण व्यय	v				
vi	कारखाना मशीनरी का अवक्षयन	vi				
vii	योग (i+ii+iii+iv+v+vi)		ड.vii			
च	विनिर्माण खाते से विकलन का योग (कiii+ख+ग+घ+ड.vii)			च		
2	अंत स्टॉक					
	i	कच्ची सामग्री	2i			
	ii	प्रगति रत कार्य	2ii			
	योग (2i + 2ii)			2		

3		उत्पादित माल की लागत -व्यापार लेखा में अंतरित(1च-2)		3		
भाग अ- व्यापार लेखा		वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए व्यापार लेखा (जहां नियमित लेखा बही अनुरक्षित की जाती है वहां मद 4 से 12 भरें अन्यथा यथा लागू मद 62 से 66 भरें)				
व्यापार लेखा में जमा	4	प्रचालन से राजस्व				
		क	विक्रय/कारबार की सकल प्राप्तियां (शुद्ध प्रतिदाय और विवरणी और शुल्क और कर, यदि कोई हो)			
			i माल का विक्रय	i		
			ii सेवाओं का विक्रय	ii		
			iii अन्य प्रचालित राजस्व (प्रकृति और रकम विनिर्दिष्ट करें)			
			क	iii क		
			ख	iii ख		
			ग योग (iii क + iii ख)	iii ग		
			iv योग (i + ii + iii ग)		कiv	
		ख	वृत्ति से सकल प्राप्तियां			ख
		ग	विक्रय किए गए या प्रदाय किए गए माल और सेवाओं के संबंध में प्राप्त या प्राप्य शुल्क, कर और उप कर			
			i संघ उत्पाद शुल्क	i		
			ii सेवा कर	ii		
			iii वैट/विक्रय कर	iii		
			iv केन्द्रीय माल और सेवा कर (सीजीएसटी)	iv		
		v राज्य माल और सेवा कर (एसजीएसटी)	v			
		vi एकीकृत माल और सेवा कर (आईजीएसटी)	vi			
		vii संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर (यूटीजीएसटी)	vii			
		viii कोई अन्य शुल्क, कर और उप कर	viii			
		ix योग (i + ii + iii + iv + v + vi + vii + viii)		गix		
	घ	प्रचालन से कुल राजस्व (कiv + ख + गix)			4घ	
	5	तैयार माल का अंतिम स्टॉक		5		
	6	व्यापार लेखा में जमा का योग(4घ + 5iv)		6		
व्यापार लेखा से विकलन	7	तैयार मालों का आरंभिक स्टॉक		7		
	8	क्रय (शुद्ध प्रतिदाय और शुल्क या कर, कोई हो)		8		
	9	प्रत्यक्ष व्यय (9i + 9ii + 9iii)		9		
			i आवक वहन व्यय	i		
			ii बिजली और ईंधन	ii		
			iii अन्य प्रत्यक्ष व्यय टिप्पण: प्रत्यक्ष व्ययों की प्रकृति के आधार पर लाइन खींची जा सकती है	iii		
	10	माल और सेवाओं के क्रय के संबंध में संदत्त या संदेय शुल्क और कर				
			i सीमा शुल्क	10i		
			ii प्रति शुल्क	10ii		
			iii विशेष अतिरिक्त शुल्क	10iii		
			iv संघ उत्पाद शुल्क	10iv		
			v सेवा कर	10v		
			vi वैट/विक्रय कर	10vi		
			vii केन्द्रीय माल और सेवा कर (सीजीएसटी)	10vii		
			viii राज्य माल और सेवा कर (एसजीएसटी)	10viii		
		ix एकीकृत माल और सेवा कर (आईजीएसटी)	10ix			
		x संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर (यूटीजीएसटी)	10x			
		xi संदत्त या संदेय कोई अन्य कर	10xi			

		xii योग (10i + 10ii + 10iii + 10iv + 10v + 10vi + 10vii + 10viii + 10ix + 10x + 10xi)	10xii	
11		उत्पादित माल की लागत- विनिर्माण खाते से अंतरित	11	
12		कारबार/वृत्ति से सकल लाभ- लाभ और हानि लेखा में अंतरित (6-7-8-9-10xii-11)	12	
12क		इंट्राडे का कारबार का आवर्तन	12क	
12ख		इंट्राडे कारबार की आय- लाभ तथा हानि को अंतरित	12ख	
12ग		भविष्य से तथा विकल्प व्यापार से आवर्त	12ग	
12घ		भविष्य से तथा विकल्प व्यापार से आय-लाभ और हानि खाते का अंतरित	12घ	

भाग अ-लाभ और हानि

वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए लाभ और हानि लेखा (जहां नियमित लेखा बही अनुरक्षित होती है वहां मद 13 से 60 और 67 भरें अन्यथा यथा लागू मद 62 से 66 भरें)

लाभ और हानि लेखा को जमा	13	व्यापार लेखा से अंतरित सकल लाभ (12 + 12ख+12घ)			13		
	14	अन्य आय					
		i	किराया	i			
		ii	कमीशन	ii			
		iii	लाभांश आय	iii			
		iv	ब्याज आय	iv			
		v	स्थिर आस्तियों के विक्रय से लाभ	v			
		vi	प्रतिभूति संव्यवहार कर के रूप में भारत प्रतिभूति के कारण विनिधान के विक्रय पर लाभ (एस टी टी)	vi			
		vii	अन्य विनिधान के विक्रय पर लाभ	vii			
		viii	धारा 43कक के अधीन विदेशी विनिमय के उतार-चढ़ाव के कारण अभिलाभ (हानि)	viii			
		ix	धारा 28(vिक) के अधीन तालिका के पूंजीगत आस्ति में संपरिवर्तन पर लाभ (संपरिवर्तन की तारीख को तालिका की एफएमवी)	ix			
		x	कृषि-आय	x			
		xi	कोई अन्य आय (प्रकृति और रकम विनिर्दिष्ट करें)				
			क		xi क		
		ख		xi ख			
		ग	योग (xi क + xi ख)	xi ग			
	xii	अन्य आय का योग(i + ii + iii + iv + v + vi + vii + viii + ix + x + xi ग)			14xii		
	15	लाभ और हानि लेखा को जमा का योग(13+14xii)			15		
लाभ और हानि लेखा से विकलन	16	जावक भाड़ा व्यय			16		
	17	भंडारित और अतिरिक्त सामानों का उपभोग			17		
	18	बिजली और ईंधन			18		
	19	किराया			19		
	20	भवन की मरम्मत			20		
	21	मशीनरी की मरम्मत			21		
	22	कर्मचारियों को प्रतिकर					
		i	वितन और मजदूरी	22i			
		ii	बोनस	22ii			
		iii	चिकित्सा व्ययों की प्रतिपूर्ति	22iii			
		iv	छुट्टी नकदीकरण	22iv			
		v	अवकाश यात्रा लाभ	22v			
	vi	अनुमोदित अधिवर्षिता निधि में अभिदाय	22vi				
	vii	मान्यता प्राप्त भविष्य निधि में अभिदाय	22vii				
	viii	मान्यता प्राप्त उपदान निधि में अभिदाय	22viii				
	ix	किसी अन्य निधि में अभिदाय	22ix				
	x	कर्मचारियों को अन्य कोई लाभ जिसके संबंध में व्यय उपगत किया गया है		22x			

	xi	कर्मचारियों को कुल प्रतिकर (22i का 22x योग)			22xi	
	xii	क्या 22xi में सम्मिलित कोई प्रतिकर अनिवासियों को संदत्त किया गया है	xii	क	हां / नहीं	
		यदि हां तो , अनिवासियों को संदत्त रकम	xii	ख		
23	बीमा					
	i	चिकित्सा बीमा	23i			
	ii	जीवन बीमा	23ii			
	iii	प्रमुख व्यक्ति बीमा	23iii			
	iv	कारखाना, कार्यालय, कार, मालों आदि सहित अन्य बीमा	23iv			
	v	बीमा पर कुल व्यय(23i + 23ii + 23iii + 23iv)			23v	
24	कर्मकारों और कर्मचारी कल्याण व्यय					24
25	मनोरंजन					25
26	आतिथ्य					26
27	सम्मेलन					27
28	प्रचार सहित विक्रय संवर्धन (विज्ञापन के सिवाय)					28
29	विज्ञापन					29
30	कमीशन					
	i	कंपनी या विदेशी कंपनी से भिन्न अनिवासी को भारत के बाहर या भारत के भीतर संदत्त	i			
	ii	अन्यों को	ii			
	iii	योग (i + ii)			30iii	
31	स्वामिस्व					
	i	कंपनी या विदेशी कंपनी से भिन्न अनिवासी को भारत के बाहर या भारत के भीतर संदत्त	i			
	ii	अन्यों को	ii			
	iii	योग I (i + ii)			31iii	
32	वृत्तिक /परामर्श फीस /तकनीकी सेवाओं के लिए फीस					
	i	कंपनी या विदेशी कंपनी से भिन्न अनिवासी को भारत के बाहर या भारत के भीतर संदत्त	i			
	ii	अन्यों को	ii			
	iii	योग (i + ii)			32iii	
33	होटल, भोजन तथा आवास					33
34	विदेश यात्रा के सिवाय व्यय					34
35	विदेश यात्रा व्यय					35
36	प्रवहण व्यय					36
37	टेलीफोन व्यय					37
38	अतिथि गृह व्यय					38
39	क्लब व्यय					39
40	उत्सव समारोह व्यय					40
41	छात्रवृत्ति					41
42	दान					42
43	संदान					43
44	सरकार या किसी स्थानीय निकाय को संदत्त या संदेय कर और दर (आय पर करों के सिवाय)					
	i	संघ उत्पाद शुल्क	44i			
	ii	सेवा कर	44ii			
	iii	वेट/विक्रय कर	44iii			
	iv	उप कर	44iv			
	v	केन्द्रीय माल और सेवा कर (सीजीएसटी)	44v			
	vi	राज्य माल और सेवा कर (एसजीएसटी)	44vi			
	vii	एकीकृत माल और सेवा कर (आईजीएसटी)	44vii			
	viii	संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर (यूटीजीएसटी)	44viii			

	ix	एसटीटी और सीटीटी सहित कोई अन्य दर, कर, शुल्क और उपकर	44ix		
	x	संदत या संदेय कुल दर और कर(44i + 44ii + 44iii + 44iv + 44v + 44vi + 44vii + 44viii + 44ix)			44x
	45	संपरीक्षा फीस			45
	46	फर्म के भागीदारों को वेतन/पारिश्रमिक			46
	47	अन्य व्यय (प्रकृति और रकम विनिर्दिष्ट करें)			
	i		i		
	ii		ii		
	iii	योग (i + ii)			47iii
	48	अशोध्य ऋण (उस व्यक्ति का स्थायी लेखा संख्यांक/ आधार संख्या विनिर्दिष्ट करें यदि उपलब्ध हो, जिसके लिए एक लाख रुपए या अधिक का अशोध्य ऋण दावा किया गया है)			
	i(1)		48i(1)		
	i(2)		48i(2)		
	i(3)		48i(3)		
	i	अपेक्षानुसार लाइन खींची जा सकती है कुल योग [48i(1)+48i(2)+48i(3)]	48i		
	ii	अन्य (एक लाख रुपए से अधिक) जहां स्थायी लेखा संख्यांक/ आधार संख्या उपलब्ध नहीं है (नाम और पूरा पता उल्लिखित करें)	48ii		
	iii	अन्य (एक लाख रुपए से कम रकम)	48iii		
	iv	कुल अशोध्य ऋण 48i + 48ii + 48iii)			48iv
	49	अशोध्य और संदेहास्पद ऋणों के लिए उपबंध			49
	50	अन्य उपबंध			50
	51	ब्याज अवक्षयण के पूर्व लाभ और कर [15 - (16 से 21 + 22xi + 23v + 24 से 29 + 30iii + 31iii + 32iii + 33 से 43 + 44x + 45 + 46 + 47iii + 48iv + 49 + 50)]			51
	52	ब्याज			
	i	भारत से बाहर भुगतान किया गया हो अथवा भारत में किसी अनिवासी को (कंपनी के अलावा) अथवा किसी विदेशी कंपनी को	i		
	ii	अन्यों को	ii		
	iii	योग (i + ii)			52iii
	53	अवक्षयण और क्रमिक अपाकरण			53
	54	करों के पूर्व शुद्ध लाभ(51 - 52iii - 53)			54
कर और विनियोजनों के लिए उपबंधों का प्रावधान	55	चालू कर के लिए उपबंध			55
	56	आस्थगित कर का प्रावधान			56
	57	कर के पश्चात् लाभ(54 - 55 - 56)			57
	58	पूर्ववर्ती वर्ष से अग्रनीत अतिशेष			58
	59	विनियोजन के लिए उपलब्ध रकम(57 + 58)			59
	60	आरक्षित और अतिशेष में अंतरित			60
	61	स्वत्वधारी के लेखा में तुलन पत्र में अग्रनीत अतिशेष (59 - 60)			61
उपधारात्मक आय मामले	62	धारा 44कघ के अधीन उपधाराणात्मक कारबार आय की संगणना (एलएलपी के सिवाय केवल निवासी भागीदारी फर्म के लिए)			
		क्रम सं.	कारबार का नाम	कारबार कोड	विवरण
		(i)	सकल आवर्तन या सकल प्राप्तियां (iक + iख + iग) (62i 2 करोड़ रू तक सीमित है, तथापि यदि [62i ख+62iग], 62i के 5% से कम या समतुल्य है तो 62i के अधीन सीमा 3 करोड़ रू तक बढ़ जाती है)		
	क	निर्दिष्ट तिथि से पहले आदाता के खाते में देय चेक या आदाता के खाते में देय बैंक ड्राफ्ट या बैंक इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम के माध्यम से या अन्य निर्धारित इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्राप्त	iक		
	ख	नकद में प्राप्तियां	iख		

		ग	क और ख से भिन्न अन्य रीति	ig			
		(ii) धारा 44कघ के अधीन उपधाराणात्मक आय (iiक + iiख)				62ii	
		क	62i क का 6% या अर्जित दावाकृत रकम, जो भी अधिक हो	iiक			
		ख	(62iख+62iग) का 8% या दावाकृत रकम, जो भी अधिक हो	iiख			
		टिप्पण—यदि सकल प्राप्तियां/आवर्तन, के उपरोक्त प्रतिशत से कम हो तो लेखा बही अनुरक्षित करना और धारा 44क ख के अधीन कर संपरीक्षा आज्ञापक है					
	63	धारा 44कघक के अधीन वृत्तियों से उपधाराणात्मक आय की संगणना (एलएलपी के सिवाय केवल निवासी भागीदारी फर्म के लिए)					
		क्रम सं.	कारबार /वृत्ति का नाम	कारबार कोड	विवरण		
		(i)	सकल प्राप्तियां(63i, 50 लाख रू तक सीमित है, तथापि यदि [63iख+63iग], 63i के 5% से कम या समतुल्य है तो 63i के अधीन सीमा 75 लाख रू तक बढ़ जाती है)		63i		
		क	खाते में देय चेक या खाते में देय ड्राफ्ट या बैंक इलेक्ट्रानिकली निकासी प्रणाली से प्राप्त या विनिर्दिष्ट तारीख से पूर्व प्राप्त विहित इलेक्ट्रानिक रीति से प्राप्त		iक		
		ख	नकद में प्राप्तियां		iख		
		ग	क और ख से भिन्न अन्य रीति		ig		
		(ii)	धारा 44कघक के अधीन उपधाराणात्मक आय (63i का 50% , या अर्जित दावाकृत रकम जो भी अधिक रकम)		63ii		
		टिप्पण—यदि सकल प्राप्तियों के 50% से कम आय हो तो लेखा बही अनुरक्षित करना और धारा 44कख के अधीन कर संपरीक्षा आज्ञापक है					
	64	धारा 44कड. के अधीन मालों के वहन से उपधाराणात्मक आय की संगणना					
		क्रम सं.	कारबार का नाम	कारबार कोड	विवरण		
		माल वहन की रजिस्ट्रीकरण संख्या	क्या स्वामित्वाधीन/पट्टे या भाड़े पर है	माल वहन की क्षमता(मी.ट.में)	मासों की संख्या जिसके लिए निर्धारित द्वारा माल को स्वामित्व/पट्टे/भाड़े पर लिया गया	माल वहन के लिए धारा 44कड. के अधीन उपधाराणात्मक आय (टन भार के 12 मी.ट. से अधिक होने पर 1000 रुपया प्रति टन प्रतिमास या, अन्यथा 7500 रु. प्रतिमास) या दावाकृत वास्तविक अर्जित रकम, जो भी अधिक हो	
		(i)	(1)	(2)	(3)	(4)	
		(क)					
		(ख)					
		कुल					
		यथा आवश्यक लाइन जोड़ने का विकल्प (अधिकतम 10 तक)					
		(ii)	धारा 44कड. के अधीन मालवहन से कुल उपधाराणात्मक आय [सारणी 64(i) के स्तंभ (5) का योग]			64(ii)	
		(iii)	कमी: वेतन/फर्म के भागीदारों को पारिश्रमिक			64(iii)	
		(iv)	धारा 44कड. के अधीन कुल उपधाराणात्मक आय (ii-iii)			64(iv)	
		टिप्पण— यदि लाभ अनुसूची 44कड के अंतर्गत विनिर्दिष्ट से कम है अथवा वर्ष के दौरान किसी भी समय स्वामित्व वाले माल वाहकों की संख्या 10 से अधिक है, तो यह अनिवार्य है कि बही लेख रखा जाए और 44 कख के अंतर्गत कर लेखापरीक्षा करवाया जाए।					
	65	यदि कारबार या वृत्ति की नियमित लेखा बही अनुरक्षित नहीं होती है तो कारबार या वृत्ति के संबंध में पूर्वतन वर्ष 2025-26 के लिए निम्नलिखित जानकारी प्रदान करें					
		(i)	कारबार कर रहे निर्धारित के लिए				
		क	सकल प्राप्तियां (क1 + क2)		iक		
लेखाहित मामला							

			1 निर्दिष्ट तिथि से पहले आदाता के खाते में देय चेक या आदाता के खाते में देय बैंक ड्राफ्ट या बैंक इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम के माध्यम से या अन्य निर्धारित इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्राप्त	क1			
			2 किसी अन्य ढंग से	क2			
			ख सकल लाभ	ix			
			ग व्यय	ig			
			घ शुद्ध लाभ				65i
			(ii) वृत्तिरत निर्धारिती के लिए				
			क सकल प्राप्तियां (क1 + क2)	iiक			
			1 निर्दिष्ट तिथि से पहले आदाता के खाते में देय चेक या आदाता के खाते में देय बैंक ड्राफ्ट या बैंक इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम के माध्यम से या अन्य निर्धारित इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्राप्त	क1			
			2 किसी अन्य ढंग से	क2			
			ख सकल लाभ	iiख			
ग व्यय	iiग						
	घ शुद्ध लाभ		65ii				
	(iii) कुल लाभ (65i + 65ii)		65iii				
66		i सट्टा क्रियाकलाप से आवर्तन		66i			
		ii सकल लाभ		66ii			
		iii व्यय, यदि कोई हो		66iii			
		iv सट्टा क्रियाकलाप से शुद्ध आय (66ii - 66iii)		66iv			
67		अनिवासी की दशा में, यदि धारा 44ख, 44खख, 44खखक, 44खखग या 44खखघ में निर्दिष्ट कारबार से लाभ और अभिलाभ से मिलकर कुल आय बनी है, तो निम्नलिखित सूचना प्रस्तुत करें-					
		i सकल प्राप्तियां/आवर्त		67i			
		ii शुद्ध लाभ		67ii			

भाग क- अन्य जानकारी		अन्य जानकारी (यदि धारा 44कख के अधीन संपरीक्षा के लिए दायी है तो आज्ञापक)			
अन्य जानकारी	1	पूर्व वर्ष में नियोजित लेखा पद्धति <input type="checkbox"/> नकद	(चयनित करें) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> वाणिज्य		
	2	यदि लेखा पद्धति में कोई परिवर्तन है <input type="checkbox"/> नहीं	(चयनित करें) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> हाँ		
	3क	धारा 145(2) के अधीन अधिसूचित आय संगणना प्रकटन मानक के अनुसार विचलन, यदि कोई हो, के कारण लाभ में वृद्धि या हानि में कमी [अनुसूची आईसीडीएस का स्तंभ xl(3)]	3क		
	3ख	धारा 145(2) के अधीन अधिसूचित आय संगणना प्रकटन मानक के अनुसार विचलन, यदि कोई हो, के कारण लाभ में कमी या हानि में वृद्धि [अनुसूची आईसीडीएस का स्तंभ xl(4)]	3ख		
	4	पूर्व वर्ष में नियोजित बंद स्टॉक के मूल्यांकन की पद्धती			
	क	कच्चा माल (यदि लागत या बाजार दरों पर, जो भी कम हो, 1 लिखें, यदि लागत पर तो 2 लिखें, यदि बाजार दर पर तो 3 लिखें)			<input type="checkbox"/>
	ख	तैयार माल (यदि लागत या बाजार दरों पर, जो भी कम हो, 1 लिखें, यदि लागत पर तो 2 लिखें, यदि बाजार दर पर तो 3 लिखें)			<input type="checkbox"/>
	ग	क्या स्टॉक मूल्यांकन पद्धती में कोई परिवर्तन हुआ है (यदि हाँ तो 1 लिखें और यदि नहीं तो 2 लिखें)			
	घ	धारा 145क के अधीन विनिर्दिष्ट मूल्यांकन की पद्धतियों से विचलन, यदि कोई हो, के कारण लाभ में वृद्धि या हानि में कमी	4 घ		
	ङ	धारा 145क के अधीन विनिर्दिष्ट मूल्यांकन की पद्धतियों से विचलन, यदि कोई हो, के कारण लाभ में कमी या हानि में वृद्धि	4ङ		
5	लाभ-हानी लेखे में जमा न की गई रकम, जो-				
क	धारा 28 की परिधि के भीतर आने वाली मर्दे हैं	5क			

	ख	प्रोफोर्मा प्रत्यय, वापसी सीमाशुल्क या उत्पाद शुल्क या सेवा कर या विक्रय कर या मूल्य वृद्धित कर या माल और सेवा कर का प्रतिदाय, जहां संबद्ध प्राधिकारियों द्वारा ऐसे प्रत्यय, वापसी या प्रतिदायों को ग्रहण किया जाता है	5ख	
	ग	पूर्व वर्ष के दौरान स्वीकृत वृद्धि दावे	5ग	
	घ	आय की कोई अन्य मद	5घ	
	ङ	पूँजी प्राप्ति, यदि कोई हो	5ङ	
	च	लाभ-हानी लेखे में जमा न की गई कुल रकम(5क+5ख+5ग+5घ+5ङ)		5च
6		सुसंगत खंडों में विनिर्दिष्ट शर्त के न पूरा करने पर धारा 36 के अधीन अनुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखे में विकालित रकम		
	क	स्टॉक या भंडार के नुकसान या विनाश के जोखिम मद्दे बीमा के लिए संदत्त प्रीमीयम [36(1)(i)]	6क	
	ख	कर्मचारियों के स्वास्थ्य संबंधी बीमा के लिए संदत्त प्रीमीयम [36(1)(iख)]	6ख	
	ग	किसी कर्मचारी को दी गई सेवा के लिए बोनस या कमीशन के रूप में संदत्त कोई राशि, जहां ऐसी राशि उसे लाभ या लाभांश के रूप में अन्यथा संदेय थी [36(1)(ii)]	6ग	
	घ	उधार ली गई पूँजी की बाबत संदत्त ब्याज की कोई रकम[36(1)(iii)]	6घ	
	ङ	जीरो कूपन बंधपत्र पर बट्टे की रकम [36(1)(iiiक)]	6ङ	
	च	किसी मान्यता प्राप्त भविष्य निधि में अभिदायों की रकम[36(1)(iv)]	6च	
	छ	अनुमोदित अधिवर्षिता निधि में अभिदायों की रकम [36(1)(iv)]	6छ	
	ज	धारा 80गगघ में निर्दिष्ट पेंशन स्कीम में अभिदाय की रकम[36(1)(iv क)]	6ज	
	झ	किसी अनुमोदित उपदान निधि में अभिदायों की रकम[36(1)(v)]	6झ	
	ञ	किसी अन्य निधि में अभिदायों की रकम[36(1)(v)]	6ञ	
	ट	किसी भविष्य निधि या अधिवर्षिता निधि या कर्मचारी राज्य बीमा निगम अधिनियम के अधीन स्थापित किसी निधि या कर्मचारियों के कल्याण के लिए किसी निधि में अभिदाय के रूप में शोध्य तारीख को या उससे पूर्व कर्मचारी के खाते में प्रत्यय नहीं की गई किसी रकम के परिमाण तक कोई राशि [36(1)(v क)]	6 ट	
	ठ	डूबंत और शंकास्पद ऋणों की रकम[36(1)(vii)]	6 ठ	
	ड	डूबंत और शंकास्पद ऋणों के लिए उपबंध [36(1)(vii क)]	6 ड	
	ढ	किसी विशेष आरक्षित में अंतरित रकम[36(1)(viii)]	6 ढ	
	ण	कर्मचारियों के बीच परिवार कल्याण से संवर्धन के प्रयोजन के लिए व्यय[36(1)(ix)]	6 ण	
	त	प्रतिभूतियों से संव्यवहार की बाबत संदत्त प्रतिभूति संव्यवहार की रकम यदि ऐसी आय को कारबार से आय में शामिल नहीं किया गया है। [36(1)(xv)]	6त	

	ध	धारा 145(2) [36(1)(xviii) के अधीन अधिसूचित आईसीडीएस के अनुसार यथा संगणित चिन्हित बाजार हानि या अन्य प्रत्याशित हानि]	6ध		
	द	सरकारी अनुमोदित कीमत से अधिक में गन्ने की खरीद के लिए व्यय [36(1)(xvii)]	6 द		
	ध	कोई अन्य अनुज्ञेय	6 ध		
	न	धारा 36 के अधीन अनुज्ञेय कुल रकम(6क से 6ध का योग)		6 न	
	प	नियोजित कर्मचारियों की कुल संख्या (निर्धारिती की मान्यता प्राप्त भविष्य निधि के मामले में बाध्यकारी)			
		i भारत में तैनात	i		
		ii भारत से बाहर तैनात	ii		
		iii योग	iii		
7		धारा 37 के अधीन अनुज्ञेय सीमा तक लाभ-हानी लेखे में विकालित रकमें			
	क	पूंजी प्रकृति का व्यय [37(1)]	7क		
	ख	व्यक्तिगत प्रकृति का व्यय [37(1)]	7ख		
	ग	व्यय जो अधिकथित या अनन्य रूप से कारबार या व्यवसाय के प्रयोजन के लिए पूर्णतया नहीं है [37(1)]	7ग		
	घ	किसी राजनैतिक दल द्वारा प्रकाशित किसी स्मारिका, विवरणीका, पुस्तिका या पत्र या उसी प्रकार के पत्र में विज्ञापन पर व्यय [37(2 ख)]			
	ङ	तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के उल्लंघन के लिए शास्ति या जुर्माने के रूप में व्यय	7ङ		
	च	कोई अन्य शास्ति या जुर्माना	7च		
	छ	ऐसे प्रयोजन के लिए उपगत व्यय, जो अपराध है या विधि द्वारा प्रतिषिद्ध है	7छ		
	ज	प्रकृति के किसी दायित्व की रकम	7ज		
	झ	धारा 37 के अधीन न की गई कोई अन्य रकम	7झ		
	ञ	धारा 37 के अधीन अनुज्ञेय कुल रकम (7क से 7ज का योग)		7 ज	
8	अ	धारा 40 के अधीन अनुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकालित रकम			
	क	अध्याय 17ख के उपबंधों के अनुपालन के कारण धारा 40(क)(i), के अधीन अनुज्ञेय रकम	अक		
	ख	अध्याय XVII- ख के उपबंधों के अनुसरण के लेखे धारा 40(क) (i) के अधीन अनुज्ञेय की जाने वाली रकम	अख		
	ग	वित्त अधिनियम, 2016 के अध्याय 8 के उपबंधों के अनुपालन के कारण धारा 40 (क)(iख) के अधीन अननुज्ञात योग्य रकम	अग		
	घ	अध्याय XVII- ख के उपबंधों के अनुसरण के लेखे धारा 40(क) (iii) के अधीन अनुज्ञेय की जाने वाली रकम	अघ		
	ङ	लाभ के आधार पर उद्गृहित या निर्धारित कर या दर की रकम [40(क)(ii)]	अङ		
	च	धनकर के रूप में संदत्त रकम [40(क)(ii क)]	अच		
	छ	राजस्व, अनुज्ञप्ति फीस, सेवा फीस आदि के माध्यम से धारा 40(क)(iiङ) के अनुसार संदत्त रकम	अछ		

		किसी भागीदार या सदस्य को संदत्त ब्याज , ज वेतन , बोनस , कमीशन या परिलब्धि की रकम [40(ख)]	अ ज	
		झ कोई अन्य अनुज्ञेय	अ झ	
		ज धारा 40 के अधीन अनुज्ञेय कुल रकम (अक से अझ का योग)		8अज
	आ	किसी पूर्वगामी पूर्व वर्ष में धारा 40 के अधीन अनुज्ञेय किन्तु पूर्व वर्ष के दौरान अनुज्ञेय रकम		8आ
	9	धारा 40क के अधीन अनुज्ञेय सीमा तक लाभ-हानी लेखे में विकालित रकमें		
		क धारा 40क(2)(ख) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को संदत्त रकमें	9क	
		ख धारा 40क(3) के अंतर्गत आदाता के खाते में देय चेक अथवा आदाता के खाते में बैंक ड्राफ्ट अथवा एक बैंक खाते के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम के प्रयोग अथवा ऐसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जोकि निर्धारित किए गए हैं, के अतिरिक्त देय राशि अस्वीकार्य	9ख	
		ग उपदान के के लिए [40क (7)]	9ग	
		घ किसी निधि , न्यास, कंपनी , ए ओ पी या ब ओ आइ या सोसाइटी या किसी अन्य संस्था के गठन के लिए या अभिदाय के रूप में , नियोजक के रूप में निर्धारिती द्वारा संदत्त कोई राशि [40क (9)]	9घ	
		ङ धारा 36(1)(xviii) [40क(13) के अधीन यथा अनुज्ञेय चिन्हित बाजार हानि या अन्य प्रत्याशित हानि]	9ङ	
		च कोई अन्य अनुज्ञेय	9च	
		छ धारा 40क के अधीन अनुज्ञेय कुल रकम(9क और 9ङ का योग)		9 छ
	10	किसी पूर्ववर्ती पूर्व वर्ष में धारा 43ख के अधीन अननुज्ञात किन्तु पूर्व वर्ष के दौरान अनुज्ञेय कोई रकम		
		क किसी विधि के अधीन कर , शुल्क , उपकर या फीस के रूप में कोई राशि	10क	
		ख कर्मचारियों के कल्याण के लिए किसी भविष्य निधि या अधिवर्षिकी निधि या उपदान निधि या किसी अन्य निधि में अभिदाय के रूप में संदेय कोई राशि	10ख	
		ग किसी कर्मचारी को दी गई सेवा के लिए बोनस या कमीशन के रूप में संदेय कोई राशि	10ग	
		घ किसी लोक वित्तीय संस्था या राज्य वित्तीय निगम या राज्य औद्योगिक विनिधान निगम से किसी ऋण या उधार पर ब्याज के रूप में संदेय कोई राशि	10घ	
		घक ऐसी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से, जो केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए, लिए गए ऋण या उधार पर , समझौते के नियम व शर्तों के अनुसार ब्याज के रूप में देय राशि	10घक	
		ङ किसी अनुसूचित बैंक या किसी प्राथमिक कृषि प्रत्यय सोसाइटी से भिन्न किसी सहकारी बैंक या किसी प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से किसी उधार या ऋण पर ब्याज के रूप में संदेय कोई राशि	10ङ	
		च छुट्टी नकदिकरण मद्दे संदेय कोई रकम	10च	
		छ भारतीय रेल को रेल आस्तियों के उपयोग के लिए संदेय कोई रकम	10छ	

	ज	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 15 में विनिर्दिष्ट समय सीमा से परे सूक्ष्म या लघु उद्यम को संदेय कोई राशि	10ज		
	झ	धारा 43ख के अधीन अनुज्ञेय कुल रकम(10क से 10ज का योग)		10झ	
11	पूर्व वर्ष के	लाभ-हानी लेखे में विकालित किन्तु धारा 43ख के अधीन अनुज्ञेय कोई रकम			
	क	किसी विधि के अधीन कर, शुल्क, उपकर या फीस की प्रकृति की कोई राशि	11क		
	ख	कर्मचारियों के कल्याण के लिए किसी भविष्य निधि या अधिवर्षिकी निधि या उपदान निधि या किसी अन्य निधि में अभिदाय के रूप में संदेय कोई राशि	11ख		
	ग	किसी कर्मचारी को दी गई सेवा के लिए बोनस या कमीशन के रूप में संदेय कोई राशि	11ग		
	घ	किसी लोक वित्तीय संस्था या राज्य वित्तीय निगम या राज्य औद्योगिक विनिधान निगम से किसी ऋण या उधार पर ब्याज के रूप में संदेय कोई राशि	11घ		
	घक	ऐसी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से, जो केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए, लिए गए ऋण या उधार पर, समझौते के नियम व शर्तों के अनुसार ब्याज के रूप में देय राशि	11घक		
	ङ	किसी अनुसूचित बैंक या किसी प्राथमिक कृषि प्रत्यय सोसाइटी से भिन्न किसी सहकारी बैंक या किसी प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से किसी उधार या ऋण पर ब्याज के रूप में संदेय कोई राशि	11ङ		
	च	छुट्टी नकदिकरण मद्दे संदेय कोई रकम	11च		
	छ	भारतीय रेल को रेल आस्तियों के उपयोग के लिए संदेय कोई रकम	11छ		
	ज	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 15 में विनिर्दिष्ट समय सीमा से परे सूक्ष्म या लघु उद्यम को संदेय कोई राशि	11ज		
	झ	धारा 43ख के अधीन अनुज्ञेय कुल रकम(11क से 11ज का योग)		11झ	
12	निम्नलिखित की बाबत लेखाओं में बकाया प्रत्यय की रकम				
	क	संघ उत्पाद शुल्क	12क		
	ख	सेवा कर	12ख		
	ग	मूल्यवर्धित कर /विक्रय कर	12ग		
	घ	केंद्रीय माल और सेवा कर (सीजीएसटी)	12घ		
	ङ	राज्य माल और सेवा कर (एसजीएसटी)	12ङ		
	च	एकीकृत माल और सेवा कर (आईजीएसटी)	12च		
	छ	संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर (यूटीजीएसटी)	12छ		
	ज	कोई अन्य कर	12ज		
	झ	बकाया कुल रकम(12क से 12ज का योग)		12झ	
13	धारा 33कख या धारा 33कखक या धारा 33कग के अधीन लाभ और अभिलाभ समझी गई रकमें			13	
14	धारा 41 के अधीन कर से प्रभार्य लाभ की कोई रकम			14	
15	लाभ-हानी लेखे में (शुद्ध) जमा या विकालित पूर्व अवधि की आय या व्यय की रकम			15	
16	धारा 14क के अधीन अनुज्ञेय व्यय			16	

17	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 23 के अधीन अनुज्ञेय ब्याज	17	
18	क्या निर्धारित धारा 92 गड की उपधारा 2क के अंतर्गत विकल्प का प्रयोग कर रहा है सही <input checked="" type="checkbox"/> का निशान लगाएं <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं [यदि हां, कृपया अनुसूची टीपीएसए भरें]	18	

भाग क- {परिणात्मक ब्यौरे		{परिणात्मक ब्यौरे (यदि धारा 44कख के अधीन संपरीक्षा के लिए दायी है तो आज्ञापक())			
परिणात्मक ब्यौरे	(क)	व्यापारिक समुत्थान की दशा में			
	1	आरंभिक स्टॉक	1		
	2	पूर्व वर्ष के दौरान क्रय	2		
	3	पूर्व वर्ष के दौरान विक्रय	3		
	4	बंद स्टॉक	4		
	5	कमी/अधिकता, यदि कोई हो	5		
	(ख)	विनिर्मान समुत्थान की दशा में			
	6	कच्ची सामग्री			
	क	आरंभिक स्टॉक	6क		
	ख	पूर्व वर्ष के दौरान क्रय	6ख		
	ग	पूर्व वर्ष के दौरान उपभोग	6ग		
	घ	पूर्व वर्ष के दौरान विक्रय	6घ		
	ङ	बंद स्टॉक	6ङ		
	च	प्राप्ति तैयार उत्पाद	6च		
	छ	प्राप्ति का प्रतिशत	6छ		
	ज	कमी/अधिकता, यदि कोई हो	6ज		
	7	तैयार उत्पाद/सह उत्पाद			
	क	आरंभिक स्टॉक	7क		
	ख	पूर्व वर्ष के दौरान क्रय	7ख		
	ग	पूर्व वर्ष के दौरान विनिर्मित मात्रा	7ग		
घ	पूर्व वर्ष के दौरान विक्रय	7घ			
ङ	बंद स्टॉक	7ङ			
च	कमी/अधिकता, यदि कोई हो	7च			

विवरणी प्ररूप की अनुसूचियाँ (यथा लागू भरें)

अनुसूची गृह संपत्ति		गृह संपत्ति से प्राप्त आय का ब्यौरा (संपत्ति का स्वामित्व उपदर्शित करते हुए डाप डाउन का उल्लेख करें)				
संपत्ति	1	संपत्ति का पता	नगर/ शहर	राज्य	देश	पिन कोड / जिप कोड
		क्या संपत्ति सह-स्वामित्वाधीन नहीं है ? हाँ <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/> (यदि हाँ तो कृपया निम्नलिखित ब्यौरे प्रविष्ट करें)				
		संपत्ति में आपके अंश की प्रतिशतता % <input type="text"/>				
		सह स्वामी (स्वामियों) का नाम	सह-स्वामी (स्वामियों) का स्थायी खाता संख्या क/ आधार संख्या		संपत्ति में अंश की प्रतिशतता(%)	
		1				

II																							
<input type="checkbox"/> लागू विकल्प पर <input checked="" type="checkbox"/> का निशान लगाएं <input checked="" type="checkbox"/> (सही का निशान लगाएँ) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> यदि किराए पर हो <input type="checkbox"/> किराये पर दिया हुआ समझा गया		किराएदार का नाम (यदि किराये पर हो) I II		किराएदार का स्थायी खाता संख्या (पैन) / आधार संख्या (कृपया टिप्पण देखें)										किराएदार(रों) का पैन / टैन/ आधार संख्या (यदि टीडीएस प्रत्यय का दावा किया गया है)									
क	प्राप्त या प्राप्य सकल किराया या भाटकीय मूल्य (अगर पूरे साल के लिए किराए पर दिया जाए तो दोनों में से ज्यादा; अगर साल के कुछ हिस्से के लिए किराए पर दिया जाए तो दोनों में से कम)										1क												
ख	किराए की रकम जो वसूल नहीं की जा सकती		1ख																				
ग	स्थानीय प्राधिकारियों को संदत्त कर		1ग																				
घ	योग (1ख + 1ग)		1घ																				
ङ	वार्षिक मूल्य (1क - 1घ) - (शून्य, यदि अधिनियम की धारा 23(2) के अनुसार स्वयं के दखल आदि में है)										1ङ												
च	स्वामित्व संपत्ति का वार्षिक मूल्य (स्वामित्व भाग का प्रतिशत x 1ङ)										1च												
छ	1च का 30%		1छ																				
ज	उधार ली गई पूंजी पर संदेय ब्याज (ब्यौरों को डापडाउन में भरा जाए, जो ई-फाइलिंग यूटिलिटी में उपबंधित किए जाने हैं)		1ज																				
झ	योग (1छ + 2ज)		1झ																				
ञ	वर्ष के दौरान प्राप्त बकाया / वसूल न होने वाला किराया घटा 30%		1ञ																				
ट	गृह संपत्ति 1 से आय (1च - 1झ + 1ञ)		1ट																				
		(प्रत्येक संपत्ति के लिए अलग-अलग विवरण भरें)																					
2	आय/हानि यदि कोई है के माध्यम से पास*										2												
3	"गृह संपत्ति से आय" शीर्ष के अधीन आय (Σ1ट + 2) (यदि नकारात्मक हो तो अनुसूची सीवाईएलए के 2झ का अंक लें)										3												
टिप्पण ▶		यदि धारा 194झ के अधीन कर की कटौती होती है तो किराएदार का स्थायी लेखा संख्यांक/ आधार संख्या प्रस्तुत करना आज्ञापक है।																					
		यदि धारा 194-झ के अधीन कर की कटौती होती है तो किराएदार का टैन प्रस्तुत करना आज्ञापक है।																					

अनुसूची - कारबार या वृत्ति		कारबार या वृत्ति से आय की संगणना																							
कारबार या वृत्ति से आय	अ	सट्टे के कारबार और विनिर्दिष्ट कारबार से भिन्न, कारबार या वृत्ति																							
	1	लाभ और हानि लेखा के अनुसार कर से पूर्व धारा 33कख या धारा 33कखक या धारा 33कग के अधीन लाभ और अभिलाभ समझी गई रकमें (भाग क-पी और एल का मद 54 62(ii), 63(ii), 64(iv), 65(iii), 66(iv) और 67(ii))										1													
	2क	1 में सम्मिलित सट्टे के कारबार से शुद्ध लाभ या हानि (-ve चिन्ह हानि की दशा में प्रविष्ट करें) [व्यापार खाते की क्रम सं. 12ख] + लाभ और हानि अनुसूची की क्रम संख्या 66iv]		2क																					
	2ख	1 में सम्मिलित धारा 35कघ के अधीन विनिर्दिष्ट कारबार से शुद्ध लाभ या हानि (हानि की दशा में ऋणात्मक चिन्ह प्रविष्ट करें)		2ख																					
	3	क	गृह संपत्ति		3क																				
		ख	पूँजी अभिलाभ		3ख																				
		ग	अन्य स्त्रोत		3ग																				
		गi	लाभांश आय		3गi																				
		गii	लाभांश आय के अलावा		3गii																				
	घ	धारा 115खखच		3घ																					
ङ	धारा 115खखछ		3ङ																						
		115खखच के अधीन प्रभार्य या 115खखछ के अधीन प्रभार्य या 115खखज के अधीन प्रभार्य आय के अन्य शीर्ष के अधीन विचार किए गए लाभ और हानि खाते में जमा आय/प्राप्तियां																							

		च	धारा 115 खखज के तहत (अधिग्रहण की लागत के अलावा)	3च	अनुसूची वीडिए का मद सं. (क)	
4क	1 में शामिल लाभ व हानि जो कि धारा 44कघ/ 44कघक/ 44कड़/ 44ख/ 44खख/ 44खखक/ 44खखग/ 44घक/ 44घख में संदर्भित है (धारा 115ख में संदर्भित जीवन बीमा व्यवसाय से लाभ के अलावा) (डापडाउन का उल्लेख करें)			4क		
4ख	धारा 115ख में निर्दिष्ट जीवन बीमा कारबार से लाभ और अभिलाभ			4ख		
4ग	नियम 7, 7क, 7ख(1), 7ख(1क) और 8 में सम्मिलित क्रियाकलापों से लाभ (डापडाउन का उल्लेख करें)			4ग		
5	(1में सम्मिलित) लाभ और हानि लेखा मे जमा आय, जो छूट प्राप्त है					
	(क)	{फर्म/ {फर्मों से आय का अंश		5क		
	(ख)	ए ओ पी /बी ओ पी से आय का अंश		5ख		
	(ग)	कोई अन्य छूट प्राप्त आय (प्रकृति और रकम विनिर्दिष्ट करें)				
		i		ग i		
		ii		ग ii		
		iii	योग (ग i + गii)	5ग iii		
	(घ)	कुल छूट प्राप्त आय (5 क + 5 ख + 5 गiii)		5घ		
5क	लाभ और हानि खाते में जमा आय या प्राप्तियां, किंतु अधिनियम के अधीन कर प्रभार्य नहीं है।			5क		
6	बकाया (1- 2क - 2ख - 3क - 3ख - 3ग - 3ड - 3च - 4क - 4ख - 4ग - 5घ-5क)					6
7	115खखच के अधीन प्रभार्य/115खखछ के अधीन प्रभार्य/ 115 खखज के अधीन प्रभार्य आय के अन्य शीर्ष के अधीन विचार किए गए लाभ और हानि खाते से किए गए व्यय		क	गृह संपत्ति	7क	
ख			पूंजी अभिलाभ	7ख		
ग			अन्य स्रोत	7ग		
घ			धारा 115खखच	7घ		
ड			धारा 115खखछ	7ड		
	च	धारा 115 खखज के तहत (अधिग्रहण की लागत के अलावा)		7च		
8क	लाभ और हानि लेखा में विकलित व्यय			8क		
8ख	लाभ और हानि लेखा में विकलित व्यय जो छूट प्राप्त आय से संबंधित है और धारा 14क के अधीन अनुज्ञेय है (भाग क अन्य जानकारी का 16)			8ख		
9	कुल (7क + 7ख + 7ग + 7ड + 7च + 8क + 8ख)			9		
10	समायोजित लाभ या हानि (6+9)					10
11	लाभ और हानि लेखा मे विकलित अवक्षयण					11
12	आयकर अधिनियम के अधीन अनुज्ञेय अवक्षयण					
	i	धारा 32 (1)(ii) के अधीन अनुज्ञेय अवक्षयण (अनुसूची घडत का स्तंभ 6)		12i		
	ii	धारा 32 (1)(i) के अधीन अनुज्ञेय अवक्षयण (अपनी संगणना करें आयकर नियम के परिशिष्ट-झक के अनुसार)		12ii		
	iii	कुल (12i + 12ii)			12iii	

13	अवक्षयण के लिए समायोजन के पश्चात लाभ या हानि (10 + 11 - 12iii)		13
14	धारा 36 के अधीन अनुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम (भाग क -ण्ड का 6s)	14	
15	धारा 37 के अधीन अनुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम (भाग क -ण्ड का 7इ)	15	
16	धारा 40 के अधीन अनुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम (भाग क -ण्ड का 8कज)	16	
17	धारा 40क के अधीन अनुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम (भाग क -ण्ड का 9छ)	17	
18	{पूर्व वर्ष के लाभ और हानि लेखा में विकलित कोई रकम, किन्तु जो धारा 43ख के अधीन अनुज्ञेय (भाग क -ण्ड का 11इ)}	18	
19	सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 23 के अधीन अनुज्ञेय ब्याज (भाग क-ण्ड का 17)	19	
20	धारा 41 के अधीन समझी गई आय	20	
21	धारा 32 कग/ 32कघ/ 33कख/ 33कखक/ 35कखक/ 35कखख/ 35 कग/40 क(3 क)/ 33कग/ 72क/ 80जजघ/ 80इक के अधीन मानी गई आय	21	
22	43 गक के अधीन मानी गई आय	22	
23	धारा 28 से 44घख के अधीन के अतिरिक्त कोई अन्य मद या मदें	23	
24	लाभ और हानि लेखा में सम्मिलित नहीं की गई कोई अन्य आय/ कोई अन्य व्यय जो अनुज्ञेय नहीं है (जिसमें वेतन से आय, कमीशन, बोनस और उस फर्म से ब्याज जिसमें हानि निर्धारित भागीदार है)	24	
25	आईसीडीएस समायोजन के अनुसार लाभ में कमी या हानि में वृद्धि और स्टाक के मूल्यांकन की पद्धति में विचलन (अनुसूची ण्ड का स्तंभ 3क + 4घ)	25	
26	कुल (14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21+22 +23+24 + 25)		26
27	धारा 32(1)(iii) के अधीन अनुज्ञेय कटौती	27	
28	धारा 35 या धारा 35गगग या धारा 35गगघ के अधीन कटौती की रकम से अधिक रकम जो लाभ और हानि खाते के नाम डाली गई है (अनुसूची उधद की मद x(4) (यदि धारा 35 या धारा 35गगग या 35गगघ के अधीन कटौती की गई रकम लाभ और हानि खाते के नाम डाली गई रकम से कम है तो यह मद 24में जाएगी)	28	
29	किसी पूर्वगामी पूर्व वर्ष में धारा 40 के अधीन अनुज्ञेय किन्तु पूर्व वर्ष के दौरान अनुज्ञेय रकम(भाग क -ण्ड का 8ख)	29	
30	किसी पूर्वगामी पूर्व वर्ष में धारा 43ख के अधीन अनुज्ञेय किन्तु वर्ष के दौरान अनुज्ञेय कोई रकम (भाग क -ण्ड का 10इ)	30	
31	कटौती के रूप में अनुज्ञेय कोई अन्य रकम	31	
32	आईसीडीएस समायोजन के अनुसार लाभ में कमी या हानि में वृद्धि और स्टाक के मूल्यांकन की पद्धति में विचलन(अनुसूची ण्ड का स्तंभ 3ख+ 4ड.)	32	
33	कुल (27+28+29+30+31+32)		33
34	आय (13+26-33)		34
35	निम्नलिखित के अधीन कारबार या वृत्ति के समझे जाने वाले लाभ या हानि -		
i	धारा 44कघ [अनुसूची का 62(ii)]	35i	
ii	धारा 44कघक [अनुसूची का 63(ii)]	35ii	
iii	धारा 44कड [अनुसूची का 64(ii)]	35iii	
iv	धारा 44ख	35iv	
v	धारा 44खख	35v	
vi	धारा 44खखक	35vi	

	vi	ख धारा 44खखग	35vi		
	vi	ग धारा 44खखघ	35vi	ग	
	vii	धारा 44घक	35vii		
	viii	धारा 44घख	35viii		(प्ररूप 3 गड की मद 4)
	ix	कुल (35i से 35viii)			35 ix
36		सट्टे और विनिर्दिष्ट कारबार के कारबार से भिन्न, कारबार या वृत्ती से शुद्ध लाभ या हानि (34+35ix)			36
37		नियम 7क, 7ख या 8 यदि लागू हो तो, को लागू करने के पश्चात सट्टेबाजी और विनिर्दिष्ट कारबार से भिन्न कारबार या व्यवसाय से शुद्ध लाभ या हानि (यदि नियम 7क, 7ख या 8 लागू नहीं होती है तो 37 में कोई संख्या भरें) (यदि हानि है तो 2i की मद को इ में ले जाए) (37क + 37ख + 37ग + 37घ + 37ङ + 37च)			क 37
	क	नियम 7 के अधीन प्रभार्य आय	37क		
	ख	नियम 7क के अधीन प्रभार्य समझी गई आय	37ख		
	ग	नियम 7ख (1) के अधीन प्रभार्य समझी गई आय	37ग		
	घ	नियम 7ख(1क) के अधीन प्रभार्य समझी गई आय	37घ		
	ङ	नियम 8 के अधीन प्रभार्य समझी गई आय	37ङ		
	च	नियम 7क, 7ख और 8 (मद सं. 36) के सिवाय आय	37च		
38		वित्त अधिनियम के अनुसार आय के एकत्रीकरण के प्रयोजन के लिए नियम 7, 7क, 7ख(1), 7ख(1क) और नियम 8 को लागू करने के पश्चात् कृषि से हुई समझी गई आय का [4ग- (37क+37ख+37ग+37घ+37ङ.)]			38
आ		सट्टे के कारबार से आय की संगणना			
39		लाभ या हानि लेखा के अनुसार सट्टे के कारबार से शुद्ध लाभ या हानि			39
40		धारा 28 से 44घख के अनुसार परिवर्धन			40
41		धारा 28 से 44घख के अनुसार कटौतियाँ			41
42		सट्टेबाजी के कारबार से आय (हानि की दशा में 6xvi के अंक को अनुसूची गच ठ में ले जाए)			आ42
इ		विनिर्दिष्ट कारबार से आय की संगणना धारा 35 कघ के अधीन			
43		लाभ या हानि लेखा के अनुसार विनिर्दिष्ट कारबार से शुद्ध लाभ या हानि			43
44		धारा 28 से 44घक के अनुसार परिवर्धन			44
45		धारा 28 से 44घक के अनुसार कटौतियाँ (धारा - (i) 35 कघ के अधीन कटौतियों से भिन्न, (ii) 32 या 35 जिनपर धारा 35 कघ के अधीन कटौती का दावा किया गया है)			45
46		विनिर्दिष्ट कारबार से लाभ या हानि (43+44-45)			46
47		धारा 35 कघ के अनुसार कटौतियाँ (1)			47
48		विनिर्दिष्ट कारबार से आय (46-47) (हानि की दशा में 7xvi के अंक को अनुसूची गचठ में ले जाए)			इ48
49		धारा 35 कघ की उपधारा (5) का सुसंगत खंड जो विनिर्दिष्ट कारबार को समाविष्ट करता है (ड्रापडाउन मेन्सू से चयन किए जाए)			इ49
ई		कारबार या व्यवसाय से लाभ और अभिलाभ शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय (क37+ ख42+ ग48)			घ
उ		चालू वर्ष की कारबार हानि को बट्टे के खाते में डालने के अंतः शीर्ष			

क्र. सं.	कारबार आय की किस्म	चालू वर्ष की आय (इस स्तंभ को तभी भरें जब संख्या या शून्य या सकारात्मक हो)	बढ़े खाते में डाली गई कारबार हानि	बढ़े खाते में डाल
		(1)	(2)	(3) = (1) - (2)
i	बढ़े खाते में डाली जानी वाली हानि(इस पंक्ति को केवल तभी भरें जब संख्या सकारात्मक)		(क 37)	
ii	सट्टेबाजी के कारबार से आय	(ख 42)		
iii	विनिर्दिष्ट कारबार से आय	(ग 48)		
iv	धारा 115 ख के अंतर्गत जीवन बीमा व्यवसाय से आय	(4ख)		
v	बढ़े खाते में डाली गई कुल हानि (ii + iii + iv)			
vi	बढ़े खाते में डालने के पश्चात शेष हानि (i - v)			

अनुसूची - संयंत्र और मशीनरी का अवक्षयण
संयंत्र और मशीनरी का अवक्षयण (उन आस्तियों से भिन्न जिन पर पूर्ण पूंजी व्यय किसी अन्य धारा के अधीन कटौती के रूप में अनुज्ञेय है)

1	आस्तियों का ब्लॉक	संयंत्र और मशीनरी			
		15	30	40	45
2	दर (%)	(i)	(ii)	(iii)	(iv)
3क	पूर्व वर्ष के पहले दिन अवलिखित मूल्य				
3ख	धारा 115 ख क ग की उपधारा (3) के दूसरे परन्तुक के अनुसार समायोजन				
3	कुल (3क+3ख)				
4	पूर्व वर्ष में 180 दिन या उससे अधिक की अवधि के लिए परिवर्धन				
5	3 या 4 में से पूर्व वर्ष के दौरान प्रतिफल या अन्य निर्मोचन				
6	रकम जिस पर पूरी दर से अवक्षयण अनुज्ञेय होगा (3+4-5)(यदि परिणाम नकारात्मक है तो शून्य लिखें)				
7	पूर्व वर्ष में 180 दिनों से कम की अवधि के लिए परिवर्धन				
8	7 में से वर्ष के दौरान प्रतिफल या अन्य निर्मोचन				
9	रकम जिस पर आधी दर से अवक्षयण पूरी दर से अनुज्ञेय होगा(7-8) (यदि परिणाम नकारात्मक है तो शून्य लिखें)				
10	पूरी दर से 6 पर अवक्षयण				
11	आधी दर से 9 पर अवक्षयण				
12	4 पर अतिरिक्त अवक्षयण, यदि कोई हो				
13	7 पर अतिरिक्त अवक्षयण, यदि कोई हो				
14	आस्ति जिसका 180 दिन से कम प्रयोग किया गया है, पर ठीक पूर्ववर्ती वर्ष के संबंध में अतिरिक्त अवक्षयण				
15	कुल अवक्षयण (10+11+12+13+14)				
16	आयकर अधिनियम (स्तंभ 15 में से) की धारा 38(2) के अधीन अननुज्ञात मूल्यहास,				

17	कुल नियत मूल्यहास (15-16)				
18	उत्तराधिकार, समामेलन, निर्विलयन आदि (स्तंभ 17 में से) की स्थिति में अनुज्ञात आनुपातिक कुल मूल्यहास				
19	आस्ति / आस्तियों के अंतरण के संबंध में उपगत व्यय				
20	धारा 50 के अधीन पूंजी अभिलाभ/ हानि (5 + 8 -3- 4 - 7 - 19) (केवल नकारात्मक लिखें यदि ब्लॉक नहीं रहता है)				
21	पूर्व वर्ष के अंतिम दिन अवलिखित मूल्य (6+ 9 -15) (यदि परिणाम नकारात्मक है तो शून्य लिखें)				

अनुसूची - अन्य आस्तियों पर अवक्षयण अन्य आस्तियों पर अवक्षयण (उन आस्तियों से भिन्न जिन पर पूर्ण पूंजी व्यय कटौती के रूप में अनुज्ञेय है)

1	आस्तियों का ब्लॉक	भूमि	भवन (जिसके अंतर्गत भूमि सम्मिलित नहीं है)			फर्नीचर और फिटिंग	अमूर्त आस्तियां	पोत
			5	10	40			
2	दर (%)	कुछ नहीं	5	10	40	10	25	20
		(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)
3	पूर्व वर्ष के पहले दिन अवलिखित मूल्य							
4	पूर्व वर्ष में 180 दिन या उससे अधिक की अवधि के लिए परिवर्धन							
5	3 या 4 में से पूर्व वर्ष के दौरान प्रतिफल या अन्य निर्मोचन							
6	रकम जिस पर पूरी दर से अवक्षयण अनुज्ञेय होगा (3+4-5)(यदि परिणाम नकारात्मक है तो शून्य लिखें)							
7	पूर्व वर्ष में 180 दिनों से कम की अवधि के लिए परिवर्धन							
8	7 में से वर्ष के दौरान प्रतिफल या अन्य निर्मोचन							
9	रकम जिस पर आधी दर से अवक्षयण पूरी दर से अनुज्ञेय होगा(7-8) (यदि परिणाम नकारात्मक है तो शून्य लिखें)							
10	पूरी दर से 6 पर अवक्षयण							
11	आधी दर से 9 पर अवक्षयण							
12	कुल अवक्षयण (10+11)							
13	आयकर अधिनियम (स्तंभ 12 में से) की धारा 38(2) के अधीन अननुज्ञात मूल्यहास,							
14	कुल नियत मूल्यहास (12-13)							
15	उत्तराधिकार,समामेलन, निर्विलयन आदि (स्तंभ 14 में से) की स्थिति में अनुज्ञात आनुपातिक कुल मूल्यहास							

16	आस्ति /आस्तियों के अंतरण के संबंध में उपगत व्यय							
17	धारा 50 के अधीन पूंजी अभिलाभ/ हानि (5 + 8 -3- 4 - 7 - 16) (केवल नकारात्मक लिखें यदि ब्लॉक नहीं रहता है)							
18	पूर्व वर्ष के अंतिम दिन अवलिखित मूल्य (6+ 9 -12) (यदि परिणाम नकारात्मक है तो शून्य लिखें)							

अनुसूची - डीईपी आस्तियों पर अवक्षयण का सार (किसी अन्य धारा के अधीन उन आस्तियोंसे भिन्न जिन पर पूर्ण पूंजी व्यय कटौती के रूप में अनुज्ञेय है)

आस्तियों पर अवक्षयण का सार	1	संयंत्र और मशीनरी						
		क 15% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम 17i या 18i के अनुसार लागू)	1क					
		ख 30% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम 17ii या 18ii के अनुसार लागू)	1ख					
		ग 40% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम 17iii या 18iii के अनुसार लागू)	1ग					
		घ 45% की दर से मूल्यहास के लिए स्वत्वधिकारी ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम- 17iv अथवा 18iv, जैसा लागू हो)	1घ					
		ङ संयंत्र और मशीनरी का पर कुल अवक्षयण (1क+1ख+1ग + 1घ)	1 ङ					
	2	भवन (जिसके अंतर्गत भूमि सम्मिलित नहीं है)						
		क 5% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीओए 14ii या 15ii के अनुसार लागू)	2क					
		ख 10% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीओए 14iii या 15iii के अनुसार लागू)	2ख					
		ग 40% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीओए 14iv या 15iv के अनुसार लागू)	2ग					
		घ भवन पर कुल अवक्षयण (योग (2क + 2ख + 2ग))	2घ					
	3	फर्नीचर और फिटिंगें (अनुसूची डीओए 14v या 15v के अनुसार लागू)	3					
	4	अमूर्त आस्तियां (अनुसूची डीओए 14vi या 15vi के अनुसार लागू)	4					
	5	पोत (अनुसूची डीओए 14vii या 15vii के अनुसार लागू)	5					
	6	कुल अवक्षयण (1ङ+2घ+3+4+5)	6					

अनुसूची - डीसीजी अवक्षयण योग्य आस्तियों के विक्रय पर माने गए पूंजी अभिलाभ

1	संयंत्र और मशीनरी						
	क 15% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम 20i)	1क					

	ख	30% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम 20ii)	1ख		
	ग	40% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम 20iii)	1ग		
	घ	45% की दर से मूल्यहास के लिए स्वत्वधिकारी ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम - 20iv)	1घ		
	ङ	योग (1क+1ख+1ग+ 1घ)			1ङ
2	भवन (जिसके अंतर्गत भूमि सम्मिलित नहीं है)				
	क	5% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची घ ड क 17ii)	2क		
	ख	10% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची घ ड क 17iii)	2ख		
	ग	40% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची घ ड क 17iv)	2ग		
	घ	योग (2क + 2ख + 2ग)			2घ
3	फर्नीचर और फिटिंगें (अनुसूची डीपीएम 17v)				3
4	अमूर्त आस्तियां (अनुसूची घ ड क 17vi)				4
5	पोत (अनुसूची घ ड क 17vii)				5
6	योग (1ङ + 2घ + 3 + 4 + 5)				6

अनुसूची ईएसआर					वैज्ञानिक अनुसंधान आदि पर व्यय (धारा 35 या 35 गगग या 35 गगघ के अधीन कटौती)				
क्र.स.	धारा में निर्दिष्ट प्रकृति के व्यय	लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम, यदि कोई हो	अनुज्ञेय कटौती	लाभ और हानि लेखा में विकलित रकमसे अधिक अनुज्ञेय कटौती					
	(1)	(2)	(3)	(4) = (3) - (2)					
i	35(1)(i)								
ii	35(1)(ii)								
iii	35(1)(ii क)								
iv	35(1)(iii)								
v	35(1)(iv)								
vi	35(2 कक)								
vii	35(2 वख)								
viii	35गगग								
ix	35i गगघ								
x	योग								
टिप्पण ▶	यदि किसी मामले में धारा 35(1)(ii) or 35(1)(iiक) या 35(1)(iii) या 35(2कक), के अधीन कटौती का दावा किया गया है तो कृपया अनुसूची आरए (दक) के अनुसार ब्यौरों का उल्लेख करें ।								

अनुसूची- पूंजी अभिलाभ		पूंजी अभिलाभ		
पूंजी अभिलाभ	क	अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ (एसटीसीजी) (उप-मद 4 और 5 अनिवासियों के लिए लागू नहीं है)		
	1	भूमि या भवन या दोनों के विक्रय से (प्रत्येक संपत्ति के लिए अलग से विवरण भरें)		
	अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	क्रय/अधिग्रहण की तारीख	बिक्री/स्थानांतरण तारीख/माह/वर्ष	तारीख/माह/वर्ष
	क	i	प्राप्त /प्राप्य प्रतिफल का पूरा मूल्य	का

		ii सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	ख ii			
		iii सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	ग iii			
		iv पूर्णतया या अनन्यता के अंतरण से संबंधित व्यय	ख iv			
		v योग (i + ii + iii + iv)	ख v			
	ग	शेष (3 क - ख v)	3 ग			
	घ	धारा 94(7) या धारा 94(8)- के अधीन अनुज्ञेय हानि -उदाहरण के लिए यदि आस्ति को अभिलेख तारीख से पूर्व तीन मास के भीतर क्रय/ अर्जित किया जाता है और लाभांश/आय/बोनस यूनिटों को प्राप्त किया जाता है तब ऐसी आस्ति के विक्रय से उद्भूत हानि की अनदेखी की जाएगी (केवल सकारात्मक मूल्य दर्ज करें)	3 घ			
	ङ	साम्या शेयर या साम्या उन्मुख एमएफ पर अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ (एसटीटी संदत्त) (3 ङ + 3 घ)		3ङi	3ङii	क 3 ङ
4		अनिवासियों के लिए जो एफ आ ईआई नहीं है किसी भारतीय कंपनी के शेयरों या लाभांश के विक्रय से(जिसकी संगणना धारा 48 के प्रथम परन्तुक के अधीन विदेशी मुद्रा समायोजन के साथ की जाएगी)				
	क	संव्यवहारों पर धारा 111क के अधीन एसटीसीजी				क 4 क
	ख	शेयरों के विक्रय से एसटीसीजी, क्रम सं. 4क या डिबेंचर के विक्रय में नहीं आता है				क4ख
5		अनिवासियों की दशा में -धारा 115कघ के अनुसार किसी एफआईआई द्वारा प्रतिभूतियों के विक्रय (ऊपर ए 3 से भिन्न)				
	क	i विक्रय की गई प्रतिभूतियों जिसके अंतर्गत कोटिड शेयर से भिन्न कंपनी के शेयर भी हैं की दशा में निम्नलिखित ब्यौरे प्रविष्ट करें।				
		क गैर कोटिड शेयरों की दशा में प्राप्त या प्राप्त किए जाने योग्य प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	क			
		ख विहित रीति में अवधारित किए गए गैर कोटिड शेयर का उचित बाजार मूल्य	ख			
		ग पूंजीगत लाभ के प्रयोजन के लिए पूंजीगत अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 25गक के अनुसार अंगीकृत गैर कोटिड शेयरों के संबंध में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य (क और ख से उच्चतर)	ग			
		ii गैर कोटिड शेयरों से भिन्न प्रतिभूतियों के संबंध में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	कii			
		iii कुल (ग + ii)	कiii			
	ख	धारा 48 के अधीन कटौतियाँ				
		i अधिनियम की धारा 48 के खंड(III) नियम 8कख से साथ पठित के अनुसार कमी	ख i			
		ii सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	ख ii			
		iii सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	ख iii			
		iv पूर्णतया या अनन्यता के अंतरण से संबंधित व्यय	ख iv			
		v योग (i + ii + iii + iv)	ख v			
	ग	शेष (5 क iii - ख v)	5 ग			

			धारा 94(7) या धारा 94(8)- के अधीन अनुज्ञेय हानि -उदाहरण के लिए यदि आस्ति को अभिलेख तारीख से पूर्व तीन मास के भीतर क्रय/ अर्जित किया जाता है और लाभांश/आय/बोनस यूनिटों को प्राप्त किया जाता है तब ऐसी आस्ति के विक्रय से उद्भूत हानि की अनदेखी की जाएगी (केवल सकारात्मक मूल्य दर्ज करें)	5 घ		
		ड	एफआईआई द्वारा प्रतिभूतियों (ऊपर क3 में उल्लिखित प्रतिभूतियों के अलावा) पर अल्पकालिक पूंजी लाभ (5ग + 5घ)		क 5 ड	
		6	पूर्वोक्त क 1 या क 2 या क 3 या क 4 या क 5 से भिन्न आस्तियों के विक्रय से			
		क	i विक्रय की गई आस्तियों जिसके अंतर्गत कोटिड शेयर से भिन्न कंपनी के शेयर भी हैं की दशा में निम्नलिखित ब्यौरे प्रविष्ट करें।			
			क गैर कोटिड शेयरों की दशा में प्राप्त या प्राप्त किए जाने योग्य प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	i क		
			ख विहित रीति में अवधारित किए गए गैर कोटिड शेयर का उचित बाजार मूल्य	i ख		
			ग पूंजीगत अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 25गक के अनुसार अंगीकृत गैर कोटिड शेयरों के संबंध में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य (क और ख से उच्चतर)	i ग		
			ii गैर कोटिड शेयरों से भिन्न आस्तियों के संबंध में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	कii		
			iii कुल (iग + ii)	कiii		
		ख	धारा 48 के अधीन कटौतियाँ			
			i अधिनियम की धारा 48 के खंड(III) नियम 8कख से साथ पठित के अनुसार कमी	ख i		
			ii सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	ख ii		
			iii सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	ख iii		
			iv पूर्णतया या अनन्यता के अंतरण से संबंधित व्यय	ख iv		
			v योग (i + ii + iii+ iv)	ख v		
		ग	शेष (6 क iii - ख v)	6 ग		
		घ	धारा 94(7) या धारा 94(8)- के अधीन अनुज्ञेय हानि -उदाहरण के लिए यदि आस्ति को अभिलेख तारीख से पूर्व तीन मास के भीतर क्रय/ अर्जित किया जाता है और लाभांश/आय/बोनस यूनिटों को प्राप्त किया जाता है तब ऐसी आस्ति के विक्रय से उद्भूत हानि की अनदेखी की जाएगी (केवल सकारात्मक मूल्य दर्ज करें)	6 घ		
		ड	अवक्षणी आस्तियों पर माना गया अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ (अनुसूची डीसीजी का 6)	6 ड		
		च	धारा 54 छ/54 छक के अधीन कटौती	6 च		
		छ	पूर्वोक्त क 1 या क 2 या क 3 या क 4 या क 5 से भिन्न आस्तियों पर एसटीसीजी (6 ग+ 6 घ + 6 ड - 6 च)		क 6छ	

7	अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ समझी गई राशि												
	क	क्या नीचे दिए गए पूर्व वर्षों के दौरान अंतरित आस्तियों पर पूंजी अभिलाभ की उपयोग में नहीं लायी जा सकी किसी राशि को उस वर्ष के लिए देय तारीख के भीतर पूंजी अभिलाभ खाता स्कीम में जमा किया गया है ? <input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/> लागू नहीं होता, यदि हाँ, तो ब्यौरे उपलब्ध कराएँ											
		क्रम संख्या	पूर्व वर्ष में जिसमें आस्तियां अंतरित की गई है	वह धारा जिसके अधीन उस वर्ष में कटौती का दावा किया गया है	नई आस्तियां अर्जित /निर्मित की गई है		नई आस्तियों के लिए उपयोग नहीं की गई या पूंजी अभिलाभ खाता (x) में उपयोग में नहीं लाई गई बची हुई राशि						
					वर्ष जिसमें आस्तियां अर्जित /निर्मित की गई है	पूंजी अभिलाभ खाता में से उपयोग की गई नई राशि							
i								2022-23	54छ/54छक				
ii	2023-24	54छ/54छक											
iii	2024-25	54छ/54छक											
8	ख धारा 54छ/54छक के अधीन 'क' से भिन्न लघु अवधि पूंजी अभिलाभ समझी गई राशि										7ग	प्रपत्र 5ग का क्रम सं. 4ख	
	ग अधिनियम की धारा 45(4) के धारा 9ख के साथ पठित के अनुसार मानी जा सकने वाली अल्पकालिक पूंजीगत लाभ की राशि												
	लघु अवधि पूंजी अभिलाभ समझी गई राशि (xi + xii + xiii + ख + ग)												
	8 लघु अवधि पूंजीगत लाभ की प्रकृति में आय/हानि के माध्यम से पास, (अनुसूची पीटीआई भरे) (क8क + क8ख + क8ग)										क7	क8	
	क	लघु अवधि पूंजीगत लाभ की प्रकृति में आय/हानि के माध्यम से पास, 20% की दर से प्रभार्य							क8क				
	ख	लघु अवधि पूंजीगत लाभ की प्रकृति में आय/हानि के माध्यम से पास, 30% की दर से प्रभार्य							क8ख				
	ग	लघु अवधि पूंजीगत लाभ की प्रकृति में आय/हानि के माध्यम से पास लागू दरों पर प्रभार्य							क8ग				
	9	क 1 - क 8 में अंतर्विष्ट एसटीजीटी की रकम लेकिन जिस पर भारत में डीटीए के अनुसार कर से प्रभार्य धन का दावा नहीं है या विशेष दर पर प्रभार्य है (केवल अनिवासी भारतीयों पर लागू)											
		क्रम संख्या	आय की रकम	उपरोक्त मद सं. क1-क8 जिसमें सम्मिलित किया गया है	देश कानाम और कोड	डीटीए का आर्टिकल	संधि के अनुसार दर (यदि प्रभार्य नहीं हो, शून्य प्रविष्ट करें)	क्या टीआरसी प्राप्त की गई है हां/नहीं	आई टी एक्ट की धारा	आईटी एक्ट के अनुसार दर	लागू दर (6 या 9 से कम)		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
I													
II													
क	डीटीए के अनुसार भारत में अप्रभार्य कर के दावे की कुल राशि										क9	क	
ख	डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर एसटीसीजी प्रभार्य कर के दावे की कुल रकम										क9	ख	

		शेयर वापिस खरीदने पर पूंजी हानि (केवल तभी दावा की जा सकती है, यदि धारा 2(22) (च) के अधीन संबंधित लाभांश आय अनुसूची ओएस की क्रम सं. 1कiii या 2ग/2घ आफर की जाए) [लघु अवधि पूंजीगत हानि, 20%/30% दर पर/ लागम दर]	क(क)
10	कुल अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ (क1 ड+ क2 ग+ क3 ड + क4 क+ क4ख+ क5 ड + क6 छ + क7 + क8 - क9क+ क(क))		क 10

ख	दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ (एलटीसीजी) (अनिवासियों के लिए उप-मद 5, 6 और 7 लागू नहीं)							
	1	भूमि या भवन या दोनों के विक्रय से (प्रत्येक संपत्ति के ब्यौरे पृथक् रूप से भरें) (क से च तक) (सह-स्वामित्व के मामले में, पूंजीगत लाभ का अपना हिस्सा दर्ज करें)						
		क्रय/अधिग्रहण की तारीख	तारीख/मास/वर्ष	बिक्री/स्थानांतरण की तारीख	तारीख/मास/वर्ष			
	क	i	प्राप्त/प्राप्य प्रतिफल का पूरा मूल्य			का		
		ii	स्टॉप मूल्यांकन प्राधिकारी के अनुसार संपत्ति का मूल्य			काii		
		iii	पूंजी अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 50ग के अनुसार अंगीकृत प्रतिफल का पूरा मूल्य [किसी दशा में (कii) (का) का 1.10 गुणा से अधिक नहीं होता है तो (का) के रूप में इस अंक को लें या अन्यथा (कii) लें]			काiii		
	ख	धारा 48 के अधीन कटौतियाँ						
	ग	i	अधिनियम की धारा 48 के खंड(III) नियम 8कख से साथ पठित के अनुसार कमी				ख i	
		ii	अर्जन की लागत				ख ii	
		iiक	(क) सुधार की लागत सूचीकरण के बिना				ख iiक	
		iii	पूर्णतया और अनन्यतः अंतरण के संबंध में व्यय				ख iii	
		iv	योग (ख i + ख ii + खiiक + ख iii,)				ख iv	
	घ	शेष (क iii - ख i v)				1 ग		
	घ	धारा 54घ/ 54 डग/ 54 छ /54 छक के अधीन कटौती (नीचे मद घ में ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें)				1 घ		
	ड	स्थावर संपत्ति पर दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ (1 ग - 1 घ)						ख 1 ड
च	स्थावर संपत्ति के अंतरण की दशा में कृपया निम्नलिखित ब्यौरे प्रस्तुत करें (टिप्पण देखें)							
	क्र.सं.	क्रेता(ओ) के नाम	क्रेता(ओ) का स्थायी लेखा संख्या/ आधार संख्या	अंश प्रतिशतता	राशि	संपत्ति का पता, देश कोड, जिप कोड	पिन कोड राज्य	
टिप्पण ► यदि धारा 194-झक के अधीन कर की कटौती हुई है, तो स्थायी लेखा संख्यांक/आधार संख्या प्रस्तुत करना आज्ञापक एक से अधिक क्रेता की दशा में, कृपया संबंधित अंश प्रतिशतता और राशि उपदर्शित करें ।								
छ	स्थावर संपत्ति पर कुल दीर्घ अवधि पूंजी अभिलाभ जहां अंतरण - (Σख1ड),						ख 1 छ	
2	स्लम्य बिक्री से							
क	i	नियम 11प.क.ड (2) के अनुसार उचित बाजार मूल्य			2का			

		ii	नियम 11प.क.ड (3) के अनुसार उचित बाजार मूल्य	2कii			
		iii	प्रतिफल का पूरा मूल्य(क i या क ii का अधिकतम)	2कiii			
		ख	वचनबंध या प्रभाग का शुद्ध मूल्य[प्ररूप 3गड.क का (6ड.)]	2ख			
		ग	शेष (2कiii - 2 ख)	2ग			
		घ	धारा 54डंग के अधीन कटौती	2घ			
		ड	स्लम्प के विक्रय से दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ (2ग - 2 घ)	ख2ड			
3	धारा 112(1) के अनुसार सूचीबद्ध प्रतिभूतियां (किसी यूनिट से भिन्न) या शून्य कूपन बंधपत्र के विक्रय से						
		क	प्रतिफल का पूरा मूल्य	4क			
		ख	धारा 48 के अधीन कटौतियाँ				
		i	नियमों के नियम 8कख के साथ पठित अधिनियम धारा 48 के खंड (iii) के अनुसार कमी)	ख i			
		ii	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	ख ii			
		iii	सूचीकरण के साथ सुधार की लागत	खiii			
		iv	पूर्णतया या अनन्यता के अंतरण से संबंधित व्यय	ख iv			
		v	योग (ख i + ख ii + ख iii + ख iv)	ख v			
		ग	पूर्वोक्त ख 3 पर आस्तियों पर दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ (4 क - ख v)	ख 3 ग			
4	किसी कंपनी में साधारण अंश या साधारण शेयरोन्मुख निधि की इकाई या कारबार न्यास की इकाई जिस पर धारा 112क के अधीन एसटीटी संदत्त है के विक्रय से उपर्युक्त ख4 पर पूंजी आस्तियों के विक्रय पर दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ (अनुसूची 112 क के कॉलम 14)						ख4
5	अनिवासियों के लिए - भारतीय कंपनी के असूचीबद्ध शेयरों या सूचीबद्ध डिबेंचरों की विक्रय से(धारा 48 के प्रथम परन्तुक के अधीन विदेशी मुद्रा समायोजन के साथ संगणित किया जाएगा)						
	इंडेक्सेशन फायदे के बिना असूचीबद्ध शेयर या सूचीबद्ध डिबेंचर पर संगणित एलटीसीजी						ख5
6	अनिवासियों के लिए - (i) धारा 112(1)(ग), के अनुसार असूचीबद्ध प्रतिभूतियां, (ii) धारा 115कख में निर्दिष्ट यूनिटों (iii) धारा 115कग में निर्दिष्ट बंध पत्रों या जीडीआर, (iv) धारा 115कघ में निर्दिष्ट एफआईआई प्रतिभूतियों के विक्रय से						
	क	i	विक्रय की गई प्रतिभूतियों जिसके अंतर्गत कोटिड शेयर से भिन्न कंपनी के शेयर भी हैं की दशा में निम्नलिखित ब्यौरे प्रविष्ट करें ।				
		क	गैर कोटिड शेयरों की दशा में प्राप्त या प्राप्त किए जाने योग्य प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	iक			
		ख	विहित रीति में अवधारित किए गए गैर कोटिड शेयर का उचित बाजार मूल्य	iख			
		ग	पूंजीगत अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 25गक के अनुसार अंगीकृत गैर कोटिड शेयरों के संबंध में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य (क और ख से उच्चतर)	iग			

			ii	गैर कोटिड शेयरों से भिन्न प्रतिभूतियों के संबंध में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	क ii			
			iii	कुल (iग + ii)	क iii			
		ख	धारा 48 के अधीन कटौतियाँ					
			i	नियमों के नियम 8कख के साथ पठित अधिनियम की धारा 48 के खंड (i i i) के अनुसार कमी	ख i			
			ii	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	ख ii			
			iii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	ख iii			
			iv	पूर्णतया या अनन्यता के अंतरण से संबंधित व्यय	ख iv			
			v	योग (ख i + ख ii + ख iii)	ख v			
		ग	अनिवासियों की दशा में आस्तियों पर ऊपर ख6 पर दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ (कiii - ख v)				ख 6 ग	
	7	एफआईआई/एफपीआई (अनिवासियों) किसी कंपनी में साधारण अंश या साधारण शेयरोन्मुख निधि की इकाई या कारबार न्यास की इकाई जिस पर धारा 115 कघ के साथ पठित धारा 112क के अधीन एसटीटी संदत्त है के विक्रय से उपर्युक्त ख7 में पूंजीगत परिसंपत्तियों की बिक्री पर दीर्घावधि पूंजीगत लाभ(115कघ(1)(ख)(iii) परंतुक के कॉलम 14					ख7	
	8	आस्तियों के विक्रय से जहाँ ऊपर ख 1 से ख 7 लागू नहीं होते हैं						
		क	i	विक्रय की गई प्रतिभूतियों जिसके अंतर्गत कोटिड शेयर से भिन्न कंपनी के शेयर भी हैं की दशा में निम्नलिखित ब्यौरे प्रविष्ट करें ।				
			क	गैर कोटिड शेयरों की दशा में प्राप्त या प्राप्त किए जाने योग्य प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	iक			
			ख	विहित रीति में अवधारित किए गए गैर कोटिड शेयर का उचित बाजार मूल्य	iख			
			ग	पूंजीगत अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 25गक के अनुसार अंगीकृत गैर कोटिड शेयरों के संबंध में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य (क और ख से उच्चतर)	iग			
			ii	गैर कोटिड शेयरों से भिन्न प्रतिभूतियों के संबंध में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	क ii			
			iii	कुल (iग + ii)	क iii			
		ख	धारा 48 के अधीन कटौतियाँ					
			i	नियमों के नियम 8कख के साथ पठित अधिनियम की धारा 48 के खंड (i i i) के अनुसार कमी	ख i			
			ii	बिना सूचीकरण के अर्जन की लागत	ख ii			
			iii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	ख iii			
			iv	पूर्णतया या अनन्यता के अंतरण से संबंधित व्यय	ख iv			
			v	योग (ख i + ख ii + ख iii+ख iv)	खv			
		ग	अतिशेष (क iii- खv)				9 ग	
		घ	धारा 54घ/धारा 54छ /धारा 54क के अधीन कटौती (नीचे मद घ में ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें)				9 घ	

		क	डीटीए के अधीन भारत में एलटीसीजी दावा की गई दावा की गई अप्रभार्य नहीं कर की कुल राशि		ख12क	
		ख	डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर एलटीसीजी दावा की गई प्रभार्य कर की कुल राशि		ख12ख	
		ख(क)	शेयर वापिस खरीदने पर पूंजी हानि दीर्घवधि 12.5% की दर पर(केवल तभी दावा किया जा सकता है यदि अनुसूची ओएस के 1कiii या 2ग/2घ से संबंधित लाभांश आय धारा 2(22)(च) प्रस्तावित है)		ख(क)	
	12		कुल दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ (ख 1छ + ख 2ड + ख 3 ग + ख 4 + ख 5 + ख 6ग + ख 7 + ख 8 ड - ख 9 + ख10 + ख11क + ख(क))		ख12	
ग1	पूंजीगत अभिलाभ राशि (सारणी ड के 8ii+8iii+8iv+8v+8vi+8vii)				ग1	
ग2	आभासी डिजिटल परिसंपत्ति के अंतरण से आय(अनुसूची वी.डी.ए के स्तंभ 7 में समस्त सकारात्मक आय की राशि)				ग2	
ग3	“पूंजीगत लाभ” शीर्ष के तहत प्रभार्य आय (ग1+ग2)				ग3	
घ	पूंजीगत लाभ के विरुद्ध कम किए गए दावे के बारे में सूचना					
	1	धारा 54घ / धारा 54डग/धारा 54छ /धारा 54छक के अधीन कटौती की दशा में हानि निम्नलिखित ब्यौरे दें *				
		क	54 घ के अधीन किया गया कटौती का दावा			
		i	मूल आस्ति के अर्जन की तारीख	क i	दिन/मास/वर्ष	
		ii	नई भूमि या आद्योगिक उपक्रम के लिए नई भूमि या भवन के क्रय/सनिर्माण की लागत	क ii		
		iii	नई भूमि या भवन की खरीद की तारीख	क iii	दिन/मास/वर्ष	
		iv	नियत तारीख से पहले पूंजीगत लाभ लेखा स्कीम में निक्षेप की गई रकम	क iv		
			(ivक) जमा की तारीख	(ivख) लेखा संख्या	(ivग) आई एफ एस कोड	
			दिन/मास/वर्ष			
		v	कम किए गए दावे की रकम	क v		
		ख	54ड.ग के अधीन कम किया गया दावा			
		i	मूल आस्ति के अंतरण की तारीख	ख i	दिन/मास/वर्ष	
		ii	विनिर्दिष्ट या अधिसूचित बंधपत्रों में निवेश की रकम (50 लाख से अधिक नहीं)	ख ii		
		iii	निवेश की तारीख	ख iii	दिन/मास/वर्ष	
		iv	कम किए गए दावे की रकम	ख iv		
		ग	54छ के अधीन कम किया गया दावा			
		i	मूल आस्ति के अंतरण की तारीख	ग i	दिन/मास/वर्ष	
		ii	नई आस्ति के क्रय और सनिर्माण के लिए वहन की गई लागत और व्यय	ग ii		
		iii	शहरी क्षेत्र से भिन्न क्षेत्र में नई आस्तियों के क्रय/सनिर्माण की तारीख	ग iii	दिन/मास/वर्ष	
		iv	नियत तारीख से पहले पूंजीगत लाभ लेखा स्कीम में निक्षेप की गई रकम	ग iv		

			(ivक) जमा की तारीख	(ivख) लेखा संख्या	(ivग) आई एफ एस कोड		
			दिन/मास/वर्ष				
		v	कम किए गए दावे की रकम		ग v		
		घ	54छक के अधीन कम किया गया दावा				
		i	शहरी क्षेत्र से मूल आस्ति के अंतरण की तारीख		घi	दिन/मास/वर्ष	
		ii	नई आस्ति के क्रय और सनिर्माण के लिए वहन की गई लागत और व्यय		घii		
		iii	सेज में नई आस्तियों के क्रय/सनिर्माण की तारीख		घiii	दिन/मास/वर्ष	
		iv	नियत तारीख से पहले पूंजीगत लाभ लेखा स्कीम में निक्षेप की गई रकम		घiv		
			(ivक) जमा की तारीख	(ivख) लेखा संख्या	(ivग) आई एफ एस कोड		
			दिन/मास/वर्ष				
		v	कम किए गए दावे की रकम		घv		
		ड	कुल दावाकृत कटौती (1क + 1ख + 1ग + 1घ)	1 ड			

ड पूंजी अभिलाभ चालू वर्ष की पूंजी हानि को चालू वर्ष के पूंजी अभिलाभ के साथ मुजराई करना (ए-9क और बी-11क में सम्मिलित डीटीए के अधीन प्रभार्य रकम के सिवाय)									
क्र.सं.	पूंजी अभिलाभ का प्रकार	चालू वर्ष का पूंजी अभिलाभ (इस स्तंभ को केवल तभी भरें जब संगणित अंक सकारात्मक हो)	अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ हानि			दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ हानि		मुजराई के पश्चात चालू वर्ष के पूंजी अभिलाभ 8= 1-2-3-4-5-6-7)	
			20%	30%	लागू दर	डीटीए दर	12.5%		डीटीए दर
		1	2	3	4	5	6	7	8
i	मुजराई की जाने वाली पूंजी हानि (इस स्तंभ को केवल तभी भरें, जब संगणित अंक नकारात्मक हों)		(क3ड* + क4क* + क8क* + क(क)	अ5ड* + अ8ख* + क(क)	(अ1ड* + अ2ग* + अ4ख* + अ6छ* + अ7* + अ8ग* + क(क)	अ9ख	ख 1छ* + ख 2ड* + ख 3ग* + ख 4* + ख 5* + ख 6ग* + ख 7* + ख 8ड* + ख 9* + ख 10क 1* + ख 10 क 2* + ख(क)	आ11ख	
ii	अल्प कालि %	20	(क 3ड* + क 4क* + क 8क* + क(क)						
iii	क पूंजी %	30	अ 5ड* + अ 8ख* + क(क)*						

iv	अभिलाभ	लागू दर	(अ1ड*+ अ2ग*+ अ4ख*+ अ6छ* + अ7*+ अ8ग*+ क(क))						
v		डीटीए दर	अ9ख						
vi	दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ	12.5%	ख1छ*+ख2ड*+ ख3ग*+ख4*+ख5*+ ख6ग*+ख7*+ख8ड*+ख9*+ख10क1*+ख10क2*+ ख(क)						
vii		डीटीए दर	आ11ख						
viii	कुल हानि		मुजरा (ii + iii i + iv + v + vi+vii)						
ix			मुजरा के पश्चात शेष हानि (i -viii)						
इस सारणी में एसटीसीजी के अंक (अ1ड* आदि) अपने अपने स्तंभ (अ1-अ8) वैसे ही प्रतिभूतियों के मुजरा के पश्चात में संगणित वे रकम हैं जैसा कि कर से अप्रभार्य या डीटीए के अनुसार विशेष दर पर प्रभार्य हैं, एसटीसीजी की रकम द्वारा घटाई गई है जो कि उसमें सम्मिलित है, यदि कोई है।									
इस सारणी में एलटीसीजी के अंक (आ1ड* आदि) अपने अपने स्तंभ (आ1-आ10) वैसे ही प्रतिभूतियों के मुजरा के पश्चात में संगणित वे रकम हैं जैसा कि कर से अप्रभार्य या डीटीए के अनुसार विशेष दर से प्रभार्य है, एलटीसीजी की रकम द्वारा घटाई गई है जो कि उसमें सम्मिलित है, यदि कोई है।									

चपूंजी अभिलाभ के उद्भूत/प्राप्ति के विषय में सूचना

	पूंजी अभिलाभ का प्रकार / तारीख	15/6 तक (i)	16/6 से 15/9 (ii)	16/9 से 15/12 (iii)	16/12 से 15/3 (iv)	16/3 से 31/3 (v)
1	20% की दर से प्रभार्य अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ अनुसूची बीएफएलए की मद 5viख से मूल्य भरें, यदि कोई हो तो					
2	30% की दर से प्रभार्य अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ अनुसूची बीएफएलए की मद 5vii से मूल्य भरें, यदि कोई हो तो					
3	लागू दर से प्रभार्य अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ अनुसूची बीएफएलए की मद 5viii से मूल्य भरें, यदि कोई हो तो					
4	डीटीए दरों पर कराधेय अल्पकालिक पूंजी लाभ अनुसूची बीएफएलए की मद 5ix से मूल्य प्रविष्ट करें, यदि कोई हो					
5	12.5% की दर प्रभार्य दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ अनुसूची बीएफएलए की मद 5xख से मूल्य भरें, यदि कोई हो तो					
6	डीटीए दरों पर कराधेय दीर्घकालिक पूंजी लाभ अनुसूची बीएफएलए की मद 5xii से मूल्य प्रविष्ट करें, यदि कोई हो					

7	आभासी डिजिटल परिसंपत्ति के अंतरण पर पूंजीगत अभिलाभ पर 30% की दर से प्रभार्य अनुसूची एस.आई की मद 19ख से मूल्य दर्ज करें (यदि कोई हो)				
---	--	--	--	--	--

अनुसूची-112क		किसी कंपनी या इक्विटी ओरएंटेड निधि की इकाई या कारोबार न्यास की इकाई जिसपर धारा 112क के अंतर्गत एसटीटी का भुगतान किया जाता												
क्रम सं..	अर्जित शेयर/इकाई 31 जनवरी, 2018 को या पूर्व/पश्चात्	आईएसआई एन कोड	शेयर/इकाई का नाम	शेयर/इकाई की संख्या	प्रति शेयर/इकाई का बिक्री-मूल्य	प्रति फल का पूरा मूल्य, - यदि शेयर्स 31.01.2018 या उससे पहले अर्जित किए गए हैं। (कुल बिक्री मूल्य) (4*5) यदि शेयर्स 31 जनवरी 2018 के बाद अर्जित किए गए हैं, कृपया	इंडेक्सेशन के बिना अधिग्रहण की लागत (8या 9 से अधिक)	अधिग्रहण की लागत	यदि दीर्घावधि पूंजीगत परिसंपत्ति का 01.02.2018 से पहले अधिग्रहण किया गया था (6 और 11 से कम)	31 जनवरी, 2018 के प्रति शेयर/इकाई का उचित बाजार मूल्य	धारा 55(2)(कग)-(4*10) के अनुसार पूंजीगत परिसंपत्ति का कुल उचित बाजार	अंतरण के संबंध में पूर्ण रूप से किया गया व्यय	कुल कटौतियां (7+12)	शेष (6-13) - आईटी आर-5 की एलटीसी जी अनुसूची की मद 5 (क)

						प्रति फल का पूरा मूल्य प्रवि ष्ट करें।								
(कॉल म 1)	(कॉ लम 1क)	(कॉल म 2)	(कॉ ल म 3)	(कॉ लम 4)	(कॉ लम 5)	(कॉ लम 6)	(कॉ लम 7)	(कॉ लम 8)	(कॉल म 9)	(कॉ लम 10)	(कॉल म 11)	(कॉ ल म 12)	(कॉ लम 13)	(कॉ लम 14)
1														
2														
3														
4														
	पंक्ति जोड़ें													
	कुल कुल													

अनुसूची 115कघ(1) (ख)(iii)परं तुक			गैर-निवासियों के लिए किसी कंपनी या इक्विटी ओरिण्टेड निधि की इकाई या करोबार न्यास की इकाई जिसपर धारा 115कघ(1)(ख)(iii) के परंतुक के साथ पठित धारा 112क के अंतर्गत एसटीटी का भुगतान किया जाता है											
क्र म सं.	अ र्जि त शेय र/ इ का ई3 1 जन वरी , 20 18 को या पूर्व/ पश्चा त्	अ ई ए स अ ई ए न कॉ ड	शेय र / इ का ई का नाम	शेय र / इ का ई यों की सं ख्या	प्रति शेयर / इ का ई का बिक्री - मूल्य	प्रतिफल का पूरा मूल्य,- यदि शेयर्स 31.01. 2018 या उससे पहले अर्जित किए गए हैं। (कुल बिक्री मूल्य) (4*5) यदि शेयर्स 31 जनवरी 2018 के बाद अर्जित किए गए हैं, कृपया	इंडे क्सेश न के बिना अधि ग्रहण की लाग त (8या 9 से अधि क	अ धिग्र हण की लाग त	यदि दीर्घाव धि पूंजीगत परिसंप त्ति का 01.02. 2018 से पहले अधिग्रह णकिया गया था (6 और 11 से कम)	31 जनव री ,201 8 के प्रति शेयर / इका ई का उचित बाजा र मूल्य	धारा 55(2)(कग)- (4*10) के अनुसा र पूंजीगत परिसंप त्ति का कुल उचित बाजार	अंत रण के संबं ध में पूर्ण रूप से कि या ग या व्य य	कुल क टौ ति यां (7+ 12)	शेष (6- 13) - आई टीआ र-5 की एल टीसी जी अनु सूची की मद 8 (क)

						प्रतिफल का पूरा मूल्य प्रविष्ट करें।									
(कॉलम 1)	(कॉलम 2)	(कॉलम 3)	(कॉलम 4)	(कॉलम 5)	(कॉलम 6)	(कॉलम 7)	(कॉलम 8)	(कॉलम 9)	(कॉलम 10)	(कॉलम 11)	(कॉलम 12)	(कॉलम 13)	(कॉलम 14)		
1															
2															
3															
4															
	पंक्ति जोड़ें														
	कुल														

अनुसूची वी.डी.ए	आभासी डिजिटल परिसंपत्ति के अंतरण से आय (टिप्पण: जहां प्रत्येक 'हस्तांतरण' संव्यवहार है, प्रत्येक संव्यवहार के ब्यौरे भरे जाएंगे)					
क्रम सं.	अधिग्रहण की तिथि	अंतरण की तिथि	पूंजी अभिलाभ का प्रकार (अल्पकालिक/ दीर्घकालिक)	अधिग्रहण की लागत उपहार के मामले में धारा 56(2)(x) के तहत राशि जिस पर कर चुकता किया गया है दर्ज करें।	प्राप्त प्रतिफल	आभासी डिजिटल परिसंपत्ति अंतरण से आम(हानि के मामले में शून्य दर्ज करें) (स्तंभ 6 - स्तंभ 5)
(स्तंभ 1)	(स्तंभ 2)	(स्तंभ 3)	(स्तंभ 4)	(स्तंभ 5)	(स्तंभ 6)	(स्तंभ 7)
सम्मिलित पंक्तियां						
क कुल (स्तंभ 7 में व्यावसायिक आय की सभी सकारात्मक आय का योग)						(अनुसूची बी पी का मद सं. 3 च)
ख कुल (स्तंभ 7 में पूंजीगत लाभ की सभी सकारात्मक आय का योग)						(अनुसूची सी.जी का मद सं. ग2)

अनुसूची-अन्य स्त्रोत		अन्य स्त्रोतों से आय				
अन्य स्त्रोत	1	सामान्य लागू दरों पर कर से प्रभार्य (1क + 1ख + 1ग + 1घ + 1ङ)			1	
	क	लाभांश, सकल		1क		
		i	(ii) या (iii) के अलावा लाभांश आय	का		
		ii	धारा 2(22)(ड) के अधीन लाभांश आय	काii		
		iii	धारा 2(22)(च) के अधीन लाभांश आय	काiii		
	ख	ब्याज, सकल (खा + खii + खiii + खiv + खv)			1ख	
		i	बचत खाता से	खi		
		ii	जमा से (बैंक/ डाकघर/सहकारी सोसाइटी)	खii		
		iii	आय कर प्रतिदाय से	खiii		
		iv	पास थु आय की प्रकृति की आय/हानि में	खiv		
		v	अन्य सहित कंपनी, एन बी एफ सी और एच एफ सी से ब्याज	खv		
	ग	मशीनरी, संयंत्रों, भवनों से किराए की आय			1ग	
	घ	धारा 56(2) (भ) में निर्दिष्ट प्रकृति की आय जो कर से प्रभार्य है (घi + घii + घiii + घiv + घv)			1घ	
		i	प्रतिफल के बिना प्राप्त धन राशि का कुल मूल्य	घi		
		ii	प्रतिफल के बिना अचल संपत्ति प्राप्त होने के मामले में संपत्ति का स्टांप शुल्क मूल्य	घii		
		iii	अपर्याप्त प्रतिफल के बिना अचल संपत्ति प्राप्त होने के मामले में ऐसे प्रतिफल के आधिक्य में संपत्ति का स्टांप शुल्क मूल्य	घiii		
		iv	प्रतिफल के बिना प्राप्त की गई अन्य संपत्तियों की दशा में संपत्ति का उचित बाजार मूल्य	घiv		
		v	यदि अन्य संपत्ति बिना पर्याप्त प्रतिफल के प्राप्त की गई है, ऐसे प्रतिफल से आधिक्य संपत्ति का उचित बाजार मूल्य	घv		
	ङ	कोई अन्य आय (कृपया प्रकृति विनिर्दिष्ट करें)			1ङ	
		क्र.सं.	प्रकृति		राशि	
	1	धारा 56 (2)(xii) में यथा निर्दिष्ट पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान किसी कारबार न्यास से किसी इकाई धारक द्वारा प्राप्त कोई विनिर्दिष्ट रकम				
		आवश्यकतानुसार पंक्ति जोड़ी जा सकती है				
2	विशेष दरों पर प्रभार्य आय (2क(i) + 2क(ii) + 2ख + 2ग + 2घ + 2ङ क्रम सं.1 से संबंधित)				2	
	क	धारा 115खख के अधीन लॉटरी, वर्ग पहली, दौड़ और कार्ड गेम आदि जीतने से हुई आय		2कi		
	कii	धारा 115 खखज के अधीन प्रभार्य ऑनलाइन गेम जीतने से हुई आय		2कii		
	ख	धारा 115खखड के अधीन प्रभार्य आय (खा + खii + खiii + खiv + खv + खvi)		2ख		
		i	धारा 68 के अधीन उधार रोकड़	खi		
		ii	धारा 69 के अधीन अस्पष्टीकृत विनिधान	खii		
		iii	धारा 69क के अधीन अस्पष्टीकृत धन आदि	खiii		
		iv	धारा 69ख के अधीन अप्रकटित विनिधान आदि	खiv		
		v	धारा 69ग के अधीन अप्रकटित व्यय आदि	खv		
		vi	धारा 69घ के अधीन हुंडी पर उधार ली गई रकम या पुनःसंदाय रकम	खvi		
	ग	विशेष दर पर प्रभार्य कोई अन्य आय (गi से गxii का योग)		2 ग		

i	धारा 115 क (1) क क के परन्तुक से भिन्न धारा 115 क (1) (क) (क) के अधीन प्रभार्य, अनिवासी (जो कंपनी नहीं है) या विदेशी कंपनी द्वारा प्राप्त लाभांश	ग i	
ik	धारा 115 क (1) (क)(क) के परन्तुक के अधीन प्रभार्य अनिवासी (जो कंपनी नहीं है) या धारा 80 ठफ की उपधारा 1क में यथा निर्दिष्ट, किसी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र के इकाई से किसी विदेशी कंपनी द्वारा प्राप्त लाभांश	ग ik	
ii	धारा 115क(1)(क)(ii) के अधीन प्रभार्य सरकार या विदेशी संस्था या विदेशी मुद्रा ऋणों से प्राप्त ब्याज	ग ii	
iii	धारा 115क(1)(क)(iik) के अधीन प्रभार्य अवसंरचना ऋण निधि से प्राप्त ब्याज	ग iii	
iv	धारा 115क(1)(क)(iikक) के अधीन प्रभार्य धारा 194 ठ ग(1) @5% में निर्दिष्ट ब्याज	ग iv	
v	धारा 115क(1)(क)(iikक) के अधीन प्रभार्य धारा 194ठग(1) @4% में निर्दिष्ट ब्याज	ग v	
vi	धारा 115ए(1)(क)(iikख) के अधीन प्रभार्य धारा 194ठ घ में निर्दिष्ट ब्याज	ग vi	
vii	धारा 194ठखक में निर्दिष्ट ब्याज वाली वितरित आय-धारा 115(1)(क)(iikग) के अधीन प्रभार्य	ग vii	
viii	विदेशी मुद्रा में खरीदी गई धारा 10(23घ) में विनिर्दिष्ट यू टी आई या अन्य पारस्परिक निधि की यूनिटों से आय-धारा 115क(1)(क)(iii) के अधीन प्रभार्य	ग viii	
ix	सरकार या संबंधित भारतीय से प्राप्त रॉयल्टी या तकनीकी सेवाओं के लिए प्राप्त शुल्क से आय – धारा 115क(1)(ख)(क) & 115क(1)(ख)(ख) के अंतर्गत प्रभार्य	ग ix	
x	धारा 115कग के तहत प्रभार्य अनिवासी द्वारा विदेशी मुद्रा में क्रय किए गए बांड के लाभांश पर आय	ग x	
xi	धारा 115कग के तहत प्रभार्य अनिवासी द्वारा विदेशी मुद्रा में क्रय किए गए जी.डी.आर के लाभांश पर आय	ग xi	
xii	(115कख में निर्दिष्ट यूनिटों से भिन्न) प्रतिभूतियों के संबंध में एफ.आई.आई द्वारा प्राप्त आय	ग xii	
xiii	धारा 194ठघ में निर्दिष्ट बंधपत्रों या सरकारी प्रतिभूतियों पर एफ.आई.आई दरों ब्याज द्वारा प्राप्त आय-धारा 115कघ(1)(i) के अनुसार प्रभार्य	ग xiii	
xiv	धारा 115खखक के अधीन प्रभार्य अनिवासी खिलाड़ियों या खेल संगमों पर कर	ग xiv	
Xv	कतिपय मामलों में अनाम संदान – धारा 115खखग के अधीन प्रभार्य	ग xv	
xvi	धारा 115खखच के अधीन प्रभार्य-भारत में विकसित और रजिस्ट्रीकृत पेटेंट से स्वामिस्व द्वारा आय	ग xvi	
xvii	धारा 115खखछ के अधीन प्रभार्य कार्बन क्रेडिट के अंतरण द्वारा आय	ग xvii	
xviii	धारा 115ड के अधीन प्रभार्य-अनिवासी भारतीय की निवेश आय	ग xviii	

		xix	ऑफशोर निधि की इकाइयों के संबंध में आय 115कख(1)(क)	ग xix						
		xx	धारा 115कघ(1)(i) के तहत प्रभार्य धारा 115कख में संदर्भित इकाइयों के अलावा एफ.आई.आई द्वारा प्राप्त प्रतिभूतियों के संबंध में प्राप्त आय (लाभांश के अतिरिक्त)	ग xx						
		xxi	धारा 115कघ(1)(i) के तहत प्रभार्य धारा 115कख में संदर्भित इकाइयों के अलावा विनिर्दिष्ट निधि द्वारा प्राप्त प्रतिभूतियों के संबंध में प्राप्त आय (लाभांश के अतिरिक्त)	ग xxi						
		xxii	धारा 115कघ(1)(i) के तहत प्रभार्य- (धारा 115कख में संदर्भित इकाइयों के अलावा) प्रतिभूतियों के संबंध में निर्दिष्ट निधि द्वारा प्राप्त आय (लाभांश के अलावा)	ग xxii						
		xxiii	धारा 194ठग(1) के दूसरे परंतुक में यथा निर्दिष्ट अनिवासियों द्वारा प्राप्त आय 9% की दर धारा 115क(1)(क)(ii) के अधीन प्रभार्य	ग xxiii						
	घ		विशेष दरों पर प्रभार्य का दावा की गई अन्य स्त्रों से आय की प्रकृति में पास थू आय (झापडाउन प्रदान किया जाए)						2घ	
	ङ		ऊपर 1 और 2 में सम्मिलित जो डीटीटीए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर प्रभार्य राशि 2 च (नीचे सारणी के स्तंभ (2) का योग) (केवल अनिवासियों के लिए लागू)						2ङ	
			जिसमें मद्दु सं०	देश का नाम और कोड	डीडीए का अनुच्छेद	संधि के अनुसार दर (यदि प्रभार्य नहीं है तो कुछ नहीं प्रविष्ट कर)	क्याटी आरसी प्राप्त की गई है (हां/नहीं)	आय-कर अधिनियम की धारा	आय-कर अधिनियम के अनुसार दर	लागू दर (6 या 9 में से निम्न)
			1क, 1कiii, 1ख से 1घ, 2क से 2घ सम्मिलित है							
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			I							
			II							
		3	धारा 57 के अधीन कटौतियाँ (आर्य प्रभार्य से संबंधित विशेष दरों के अधीन 2क, 2ख, 2ग, 2घ एवं 2ङ के अलावा)							
		क	व्यय / कटौतियाँ "ग" में इंदराज के अलावा							
		ख	अवक्षयण (केवल तभी उपलब्ध यदि 1ग में आय दी जाती है)							
		ग	धारा 57(1) के तहत लाभांश पर ब्याज व्यय (केवल तभी उपलब्ध जब 1(क) (i) और /या 1क(ii) में प्रस्तावित आय-मूल्य इंदराज							
		गि	धारा 57(i) के तहत योग्य ब्याज व्यय-कलित राशि							
		घ	योग							
		4	धारा 58 के अधीन कटौती न की जाने वाली रकम							4
		5	धारा 59 के अधीन कर से प्रभार्य लाभ							5
		6	अन्य स्रोतों से निवल आय 1(डीटीए अंश से संबंधित आय घटाने के बाद)-3+4+5 (यदि नकारात्मक हो तो अनुसूची सीवाईएलए के 4/में आंकड़े भरें)							6
		7	अन्य स्रोतों से आय (दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व से भिन्न) (2 + 6) (शून्य के रूप 6 दर्ज करें, यदि नकारात्मक)							7
		8	दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व और रख रखाव से आय							
		क	प्राप्तियाँ							8क
		ख	केवल 8क पर प्राप्तियों के संबंध में धारा 57 के अधीन कटौतियाँ							8ख

	ग	धारा 58 के अधीन कटौती न की जाने वाली रकम	8ग				
	घ	धारा 59 के अधीन कर से प्रभार्य लाभ	8घ				
	ङ	अतिशेष (8क - 8ख + 8ग + 8घ) (यदि नकारात्मक हो तो अनुसूची सीएफएल के 11 _{xv} में आंकड़े भरें)			8ङ		
9		"अन्य स्रोतों से आय" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय (7 + 8ङ) (नकारात्मक की दशा में 8ङ को ले जाएं)			9		
10		अन्य स्रोतों से आय के प्रोदभवन/प्राप्ति के बारे में सूचना					
	क्र०सं०	अन्य स्रोतों से आय	15/6 तक	फॉर्म 16/6 से 15/9 तक	फॉर्म 16/9 से 15/12 तक	फॉर्म 16/12 से 15/3 तक	फॉर्म 16/3 से 31/3 तक
			(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)
	1	धारा 2(24)(ix) में निर्दिष्ट लाटरी, फ्रासवर्ड पहेली, दौड़ खेलों, जुआ, सट्टेबाजी से आय					
	2	धारा 115 ख ख ज के अधीन ऑनलाइन गेम्स जीतने से हुई आय					
	3क	क्रम सं. 1क (i) में संदर्भित लाभांश पर आय					
	3ख	क्रम सं. 1क (iii) में संदर्भित लाभांश पर आय					
	4	धारा 115क(1)(क)(i) के तहत 20% की दर से लाभांश आय (पी.टी.आई आय सम्मिलत)					
	5	धारा 115 क (1)(क)(क) के परन्तुक के अधीन 10% की दर से लाभांश आय					
	6	धारा 115कग के तहत 10% की दर से लाभांश आय					
	7	धारा 115कघ(1)(i) के तहत 20% की दर से धारा 115कघ(1)(i) में संदर्भित इकाईयों के अतिरिक्त एफ आई आई की लाभांश आय (पी.टी.आई आय शामिल)					

	8	धारा 115कघ (1)(i) के तहत 10% की दर से धारा 115कघ(1)(i) में संदर्भित इकाईयों के अतिरिक्त विनिर्दिष्ट निधि से लाभांश आय (पी.टी.आई आय सम्मिलित है)					
	9	डी.टी.ए.ए.दरों पर प्रभार्य लाभांश आय					

अनुसूची सी.वाई.एल.ए		चालू वर्षों की हानियों का मुजरा करने के पश्चात आय के ब्यौरे					
क्र. सं.	आय का शीर्ष /स्त्रोत	चालू वर्ष की आय (इस स्तंभ को केवल तभी भरें यदि आय शून्य या सकारात्मक है)	मुजरा की गई चालू वर्ष की गृह संपत्ति है। हानि	मुजरा की गई चालू वर्ष की कारबार हानि (सट्टे या विनिर्दिष्ट कारबार की हानि से भिन्न)	अन्य स्त्रोतों से चालू वर्ष के लिए मुजराई की गई हानि (दौड़ के घोड़ों से हानि और विशेष दर पर कर से प्रभार्य रकम से भिन्न	मुजरे के पश्चात शेष बची चालू वर्ष की आय	
		1	2	3	4	5=1-2-3-4	
चालू वर्ष हानि समायोजन	i	हानि की मुजराई की जानी है (यदि संगणित आंकड़ा नकारात्मक है तो केवल यह पंक्ति भरें)		(अनुसूची एच पी का 3)	(अनुसूची बीपी के मद डूका 2vi)	(अनुसूची ओएस का 6)	
	ii	गृह संपत्ति	(अनुसूची एच पी का 3)				
	iii	व्यवसाय (धारा 115 ख जीवन बीमा व्यवसाय से आय को छोड़कर सट्टा आय और निर्दिष्ट व्यवसाय से आय)	(अनुसूची बीपी का क 37)				
	iv	धारा 115 ख जीवन बीमा व्यवसाय से आय	(अनुसूची बीपी के मद डूका 3iv)				
	v	सट्टे से आय	(अनुसूची बीपी के मद डूका 3ii)				
	vi	धारा 35कघ के अधीन विनिर्दिष्ट कारबार आय	(अनुसूची बीपी के मद डूका 3iii)				

vii	20 प्रतिशत की दर पर अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ कराद्य है	अनुसूची सीजी की मद ड का 8ii)				
viii	30 प्रतिशत की दर से कर से प्रभार्य अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीजी की मद ड का 8iii)				
ix	लागू दर पर कर से प्रभार्य अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीजी की मद ड का 8iv)				
x	डी.टी.ए.ए के अनुसार भारत में विशेष दारों पर कराद्य अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ सामान्य लागू दरों पर अन्य स्रोतों से प्रभार्य कुल आय	(अनुसूची सीजी की मद ड का 89V)				
xi	12.5% की दर पर दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ कराद्य है	सीजी अनुसूची की मद ड. का 8 vi)				
xii	डी.टी.ए.ए के अनुसार भारत में विशेष दारों पर कराद्य दीर्घ कालीनप पूंजी अभिलाभ सामान्य लागू दरों पर अन्य स्रोतों से प्रभार्य कुल आय	(अनुसूची सीजी की मद ड का 8vii)				
xiii	सामान्य लागू दरों पर अन्य स्रोतों से प्रभार्य कुल आय	(अनुसूची ओएस की मद 6)				
Xiv	घुड़दौड़ के स्वामित्व और अनुरक्षण के क्रियाकलाप से लाभ	(अनुसूची ओएस की मद 8इ)				

xv	डी.टी.ए.ए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर कराधेय अन्य स्रोतों से आय	(अनुसूची ओएस की मद 2इ)				
xvi	मुजरा की गई कुल हानि					
xvii	मुजरे के पश्चात शेष हानि (i - xvi)					

अनुसूची-बी.एफ.एल.ए		पूर्व वर्षों की अग्रणीत हानियों के मुजरे के पश्चात आय के ब्यौरे					
क्र. सं.	आय का शीर्ष/स्तोत	अनुसूची सीवाईएलए के 5 के अनुसार चालू वर्ष की हानियों के मुजरे के पश्चात आय	मुजरा की गई अग्रणीत हानि	मुजरा किया गया अग्रणीत अवक्षयण	मुजरा किया गया, धारा 35(4) के अधीन अग्रणीत मोक(रिबेट)	मुजरे के पश्चात शेष बची चालू वर्ष की आय	
		1	2	3	4	5	
i	गृह संपत्ति	(अनुसूची सीवाईएलए का 5ii)	(ख यदि गृह संपत्तिसे हानि है)				
ii	व्यवसाय (धारा 115 ख जीवन बीमा व्यवसाय से आय को छोड़कर सट्टा आय और निर्दिष्ट व्यवसाय से आय)	(अनुसूची सीवाईएलए का 5iii)	(ख यदि सट्टेबाजी या विनिर्दिष्ट कारबार सेभिन्न, कारबार से हानि है) (टिप्पण: धारा 44खख और 44खखघ के अधीन आय के सिवाय अवक्षय मुजराई कारबार आय तक निर्बंधित होगी)	(टिप्पण: धारा 44खख और 44खखख के अधीन आय के सिवाय अवक्षय मुजराई कारबार आय तक निर्बंधित होगी)			
iii	धारा 115 ख जीवन बीमा व्यवसाय से आय	(अनुसूची सीवाईएलए का 5iv)	(ख यदि सट्टेबाजी या विनिर्दिष्ट कारबार से भिन्न, कारबार से हानि है)				
iv	सट्टे से आय	(अनुसूची सीवाईएलए का 5v)	(ख यदि सट्टेबाजी से हानि है)				
v	विनिर्दिष्ट कारबार आय	(अनुसूची सीवाईएलए का 5vi)	(ख विनिर्दिष्ट कारबार से हानि है)				

	vi 20 प्रतिशत की दर से कर से प्रभार्य अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ कराधेय है	(अनुसूची सीवाईएलए का 5 <i>vi</i> ख)	(ख यदि अग्रणीत अल्पकालिक हानि है)			
	vii 30 प्रतिशत की दर से कर से प्रभार्य अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 5 <i>viii</i>)	(ख यदि अल्पकालिक पूंजी हानि है)			
	viii लागू दर पर कर से प्रभार्य अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 5 <i>ix</i>)	(ख यदि अल्पकालिक पूंजी हानि है)			
	ix डीटीएए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर कराधेय लघु कालीन पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 5 <i>x</i>)	(ख यदि अल्पकालिक पूंजी हानि है)			
	x 12.5 प्रतिशत की दर पर दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ कराधेय है	(अनुसूची सीवाईएलए का 5 xi)	(ख यदि अग्रणीत अल्पकालिक या दीर्घकालिक पूंजी हानि है)			

	xi	डीटीएए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर कराधेय दीर्घ कालीन पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 5xii)	(ख यदि अल्पकालिक या दीर्घकालिक पूंजी हानि है)			
	xii	सामान्य लागू दरों पर प्रभार्य अन्य स्रोतों से कुल आय	(अनुसूची सीवाईएलए का 5 xiii)				
	xiii	घुड़दौड़ के स्वामित्व के अनुरक्षण से लाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 5 xiv)	(ख यदि घुड़दौड़ से हानि है)			
	xiv	डीटीएए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर कराधेय अन्य स्रोतों से आय	(अनुसूची सीवाईएलए का 5 xv)				
	xv	मुजरा की गई अग्रणीत कुल हानि (2i + 2ii + 2iii + 2iv+ 2v + 2vi+ 2vii + 2viii + 2ix + 2x+ 2xi +2xiii)					
	xvi	चालू वर्ष की मुजरे के पश्चात शेष बची हानि योग (5i + 5ii + 5iii + 5iv+ 5v + 5vi+ 5vii + 5viii + 5ix + 5x+ 5xi +5xii +5xiii+ 5xiv)					

अनुसूची-सी.एफ.एल		भावी के वर्षों के लिए अग्रणीत हानियों का विवरण									
हानि का अग्रनयन	क्र. सं.	निर्धारण वर्ष	फाई ल करने की	गृह संपत्ति से हानि	सट्टे के कारबार बीमा और कारबार से हानि और कारबार से भिन्न कारबार से हानि	सट्टे के कारबार से हानि	विनिर्दिष्ट कारबार से हानि	धारा 115ख जीवन बीमा व्यवसा	अल्पकालिक पूंजी हानि	दीर्घकालिक पूंजी हानि	दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व और

	Xvi i	पूर्व वर्ष की हानियों का योग अग्रनीत									
	Xvi ii	अनुसूची बीएफए में उपरोक्त हानियों का समायोजन	(अनुसूची बीएफए का 2i)		(अनुसूची बीएफए का 2ii)	(अनुसूची बीएफए का 2iv)	(अनुसूची बीएफए का 2v)	(अनुसूची बीएफए का 2iii)			(अनुसूची बीएफए का 2xiii)
	xix	2026-27 चालू वर्ष की हानि	(अनुसूची सीवाईए का 2xvii)		(अनुसूची सीवाईए का 3xvii)	(अनुसूची बीपी का ख42, यदि नकारात्मक है)	(अनुसूची बीपी का ग48, यदि नकारात्मक है)	अनुसूची बीपी का क4ख (यदि नकारात्मक है)	$(2ix+3ix+4ix+5ix+6ix)$ अनुसूचीसी जी के मद ड)	$(6ix+6ix)$ अनुसूची सीजी के मद ड)	(अनुसूची ओएस का 8इ यदि - नकारात्मक है)
	xx	यूनिट धारकों के मध्य चालू वर्ष हानि वितरित (निवेश निधि के लिए लागू)									
	Xxi	चालू वर्ष की हानियां अग्रनीत (xix-xx)									
	xxi i	भावी वर्षों को अग्रनयन की गई कुल हानि (xvii-xviii+xix)									

अनुसूची -
अनामेलित
अवक्षयण

धारा 35(4) के अधीन अनामेलित अवक्षयण और मोक

क्र. सं.	निर्धारण वर्ष	अवक्षयण				धारा 35(4) के अधीन मोक		
		अग्रणीत अनामेलित अवक्षयण की रकम	धारा 115खकघ या 115 ख क ग (1क) के अधीन कराधान के लिए समायोजित रकम का विकल्प	चालू वर्ष की आय के विरुद्ध मुजरा की गई अवक्षयण की रकम	अगले वर्ष के लिए अग्रेषित शेष रकम	अनामेलित अवक्षयण की अग्रणीत रकम	चालू वर्ष की आय के मोक की रकम की मुजराई	अग्रिम वर्ष के लिए अग्रणीत शेष
(1)	(2)	(3)	(3क)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
i	चालू निर्धारण वर्ष							
ii								
iii								
iv								
v	योग			(बीएफएलए का 3xvi)			(बीएफएलए का 4xvi)	

अनुसूची आ.स.प्र.मा.		लाभ पर आय संगणना प्रकटीकरण मानक का प्रभाव		
क्रम.स.	आ.स.प्र.मा.	लाभ बढ़ना(रु.)	लाभ घटना(रु.)	शुद्ध प्रभाव(रु.)
1	2	3	4	5
I	लेखा नीति			
II	तालिकाओं का मूल्यांकन (145क के अधीन मूल्यांकन की पद्धति में परिवर्तन के प्रभाव से भिन्न, यदि उसे भाग क - ण झ के स्तंभ 4घ या 4ड. पर पृथक रूप से रिपोर्ट किया जाता है।)			
III	संनिर्माण संविदाएं			
IV	राजस्व मान्यता			
V	मूर्त नियत आस्तियां			
VI	विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन			
VII	सरकारी अनुदान			
VIII	प्रतिभूतियां (145क के अधीन मूल्यांकन की पद्धति में परिवर्तन के प्रभाव से भिन्न, यदि उसे भाग क - ण झ के स्तंभ 4घ या 4ड. पर पृथक रूप से रिपोर्ट किया जाता है।)			
IX	उधार लेने की लागत			
X	समाश्रित दायित्व और समाश्रित आस्तियां की व्यवस्था			
XI	लाभ पर आईसीडीएस समायोजन का कुल प्रभाव (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)			

अनुसूची-10कक		धारा 10कक के अधीन कटौती		
धारा 10कक के अधीन कटौती	अवशेष औद्योगिक क्षेत्र में अवस्थित यूनिटों की बाबत कटौती			
	क्रम संख्या	वचनबंध	निर्धारण वर्ष इकाईयों ने विनिर्माण/उत्पादन/सेवा प्रदान करना आरंभ किया है	क्रम संख्या
क	क	वचनबंध सं.0 1		क
				कटौती की रकम (प्ररूप 56च के उपाबंध क की मद 17 के वचनबंध 1 के लिए

	ख	वचनबंध सं.0 2		ख	(प्ररूप 56च के उपाबंध क की मद 17 के वचनबंध 2 के लिए	
	ग	धारा 10कक के अधीन कुल कटौतियाँ (क+ख)			ग	

अनुसूची 80छ		धारा 80 छ के अधीन कटौतियों के लिए हकदार दानों के ब्यौरे							
क	बिना अर्हता सीमा के 100 प्रतिशत कटौतियों के लिए हकदार दान								
	दान के ब्यौरे	आदाता का नाम और पता	आदाता का पैना	दान की रकम			दान के लिए उपयुक्त रकम	यू पीआई अंतरण या चैक संख्या आई एम पी एस/ एन ई एफ टी / आर टी जी एस के लिए निर्देश संख्या संव्यवहार	बैंक का आई एफ एस सी
				नकद दान	अन्य ढंग से दान	कुल दान			
		i							
		ii							
iii	कुल								
ख	बिना अर्हता सीमा के 50 प्रतिशत कटौतियों के लिए हकदार दान								
ग	अर्हता सीमा के अध्याधीन 100 प्रतिशत कटौतियों के लिए हकदार दान								
	दान के ब्यौरे	आदाता का नाम और पता	आदाता का पैना	दान की रकम			दान के लिए उपयुक्त रकम	यू पीआई अंतरण या चैक संख्या आई एम पी एस/ एन ई एफ टी / आर टी जी एस के लिए निर्देश संख्या संव्यवहार	बैंक का आई एफ एस सी
				नकद दान	अन्य ढंग से दान	कुल दान			
		i							
		ii							
iii	कुल								
घ	अर्हता सीमा के अध्याधीन 50 प्रतिशत कटौतियों के लिए हकदार दान								

कुल	चंदा							
-----	------	--	--	--	--	--	--	--

अनुसूची 80ठक		अपतटीय बैंकिंग इकाई या आईएफएससी संबंध में कटौती					
उपधारा जिसमें कटौती का दावा किया							
क्रम संख्या	इकाई का प्रकार	इकाई के आय का प्रकार	पंजीकरण स्वीकृत करने वाला प्राधिकारी	पंजीकरण की तिथि	पंजीकरण संख्या	पहला नि.व. जिसमें कटौती का दावा किया गया	वर्तमान नि.व. के लिए कटौती के दावे की राशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
पंक्ति जोड़ने का विकल्प उपलब्ध कराया जाएगा							
कुल							

अनुसूची 80झकग		योग्य स्टार्ट-अप के संबंध में कटौती (यदि क19(छ) का उत्तर हां है तभी भरा जाए)			
क्रम संख्या	स्टार्ट-अप के निगमन की तिथि	व्यापार की प्रकृति	अंतर मंत्रीस्तरीय प्रमाणन बोर्ड से प्राप्त प्रमाण पत्र संख्या	पहला नि.व. जिसमें कटौती का दावा किया गया	वर्तमान नि.व. के लिए कटौती के दावे की राशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

अनुसूची आर. ए		अनुसंधान संगमों को दानों के ब्यौरे (धारा35(1)(ii) या धारा 35(1)(ii)क या 35(1)(iii) या 35(2कक) के अधीन कटौती)				
	दानकर्ता का नाम और पता	दानकर्ता का पैन	दान की रकम			दान की पात्र रकम
			नकद दान	अन्य ढंग से दान	कुल दान	
i						
ii						
iii	कुल					

अनुसूची-80-झ.क		धारा 80- झ.क के अधीन कटौतियाँ			
क	धारा 80झक (4) (i)में निर्दिष्ट किसी उद्यम के लाभों की बाबत कटौतियाँ (अवसंरचना सुविधा)	क1	वचनबंध सं.0 1	(वचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)	
		क2	वचनबंध सं.0 2	(वचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)	
ख	धारा 80-झक(4)(iv)में निर्दिष्ट उद्यम के लाभों की बाबत कटौती (विद्युत)	ख1	वचनबंध सं.0 1	(वचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)	

		ख2	वचनबंध सं.0. 2	(वचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)	
ग	धारा 80-झक के अधीन कुल कटौती (क1 + क2 + ख1 + ख2)				ग

अनुसूची-80-झ.ख		धारा 80-झ.ख के अधीन कटौतियाँ			
क	जम्मू कश्मीर या लद्दाख में अवस्थित औद्योगिक उपक्रम की बाबत कटौती [धारा 80झख(4)]	क1	वचनबंध सं.0. 1	(वचनबंध के प्ररूप 10 सीसीबी की मद 30)	
		क2	वचनबंध सं.0. 2	(वचनबंध के प्ररूप 10 सीसीबी की मद 30)	
ख	ऐसे उपक्रम की दशा में कटौती, जो खनीज तेल का वाणिज्यिक उत्पादन और खनन आरंभ करता है। [धारा 80झख(9)]	ख1	वचनबंध सं.0. 1	(वचनबंध के प्ररूप 10 सीसीबी की मद 30)	
		ख2	वचनबंध सं.0. 2	(वचनबंध के प्ररूप 10 सीसीबी की मद 30)	
ग	गृह प्रयोजना का विकास और निर्माण करने वाले उपक्रम की दशा में कटौती [धारा 80झख(10)]	ग1	वचनबंध सं.0. 1	(वचनबंध के प्ररूप 10 सीसीबी की मद 30)	
		ग2	वचनबंध सं.0. 2	(वचनबंध के प्ररूप 10 सीसीबी की मद 30)	
घ	फल और सब्जियों, मांस, मांस उत्पाद, कुक्कुट, समुद्री या डेयरी उत्पादों के प्रसंस्करण, परीक्षण और पैकिंग में लगे उपक्रम की दशा में कटौती [धारा 80झख(11क)]	घ1	वचनबंध सं.0. 1	(वचनबंध के प्ररूप 10 सीसीबी की मद 30)	
		घ2	वचनबंध सं.0. 2	(वचनबंध के प्ररूप 10 सीसीबी की मद 30)	
ङ	अनाज की संभलाई, भंडारण और परिवहन के एकीकृत कारबार में लगे उपक्रम की दशा में कटौती [धारा 80झख(11क)]	ङ 1	वचनबंध सं.0. 1	(वचनबंध के प्ररूप 10 सीसीबी की मद 30)	
		ङ 2	वचनबंध सं.0. 2	(वचनबंध के प्ररूप 10 सीसीबी की मद 30)	
च	धारा 80झख के अधीन कुल कटौती (क1 से ङ 2 का योग)				च

अनुसूची 80-झड		पूर्वोत्तर में अवस्थित औद्योगिक उपक्रम की बाबत कटौती			
कक	असम	कक1	वचनबंध सं.0. 1	(वचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)	
		कक2	वचनबंध सं.0. 2	(वचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)	
कख	अरुणाचल प्रदेश	कख1	वचनबंध सं.0. 1	(वचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)	
		कख2	वचनबंध सं.0. 2	(वचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)	
कग	मणिपुर	कग1	वचनबंध सं.0. 1	(वचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)	
		कग2	वचनबंध सं.0. 2	(वचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)	
कघ	मिजोरम	कघ1	वचनबंध सं.0. 1	(वचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)	
		कघ2	वचनबंध सं.0. 2	(वचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)	
कङ	मेघालय	कङ-1	वचनबंध सं.0. 1	(वचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)	

	कच	नागालैंड	कड2	वचनबंध सं.0. 2	(वचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)		
			कच 1	वचनबंध सं.0. 1	(वचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)		
			कच 2	वचनबंध सं.0. 2	(वचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)		
	कछ	त्रिपुरा	कछ1	वचनबंध सं.0. 1	(वचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)		
			कछ2	वचनबंध सं.0. 2	(वचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)		
	कज	सिक्किम	कज1	वचनबंध सं.0. 1	(वचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)		
			कज2	वचनबंध सं.0. 2	(वचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)		
	कझ	पूर्वोत्तर में अवस्थित उपक्रमों के लिए कटौतियों का योग (कक1 से कज 2 का योग)					कझ
	ख	धारा धारा 80झड के अधीन कुल कटौती					ख

अनुसूची 80त		धारा 80त के अधीन कटौतियां		
		कारोबार कोड की प्रकृति	आय	कटौती के लिए पात्र रकम
1	धारा 80त(2)(क)(i) इसके सदस्यों को बैंकिंग/क्रेडिट सुविधा			
2	धारा 80त(2)(क)(ii) कुटीर उद्योग			
3	धारा 80त(2)(क)(iii) इसके सदस्यों द्वारा उगाई गई कृषि उपज का विपणन			
4	धारा 80त(2)(क)(iv) इसके सदस्यों को प्रदाय के प्रयोजन के लिए कृषि के लिए आशयित कृषि उपकरण, बीजों, पशु धन, या अन्य वस्तुओं का क्रय			
5	धारा 80त(2)(क)(v) इसके सदस्यों की कृषि उपज की विद्युत की सहायता के बिना			
6	धारा 80त(2)(क)(vi) इसके सदस्यों के या श्रम का सामूहिक निपटान			
7	धारा 80त(2)(क)(vii) इसके सदस्यों को प्रदाय के प्रयोजन के लिए मछली पकड़नाय या संबद्ध क्रियाकलाप			
8	धारा 80त(2)(ख) केन्द्रीय, राज्य या प्रांतीय अधिनियम के अधीन स्थापित सरकारी या स्थानीय प्राधिकारी/सरकारी कंपनी/ निगम को दूध, तेलबीज, फल या सब्जियां प्रदाय करने में लगे संघीय सहकारी सोसाइटी को इसके सदस्यों द्वारा उत्पन्नया उगाए गए दूध, तेलबीज, फल या सब्जियां प्रदाय करने में लगी प्राथमिक सहकारी सोसाइटियां ।			
9	धारा 80त(2)(ग)(i) धारा 80त(2क) या धारा 80त(2ख) में विनिर्दिष्ट से भिन्न उपभोक्ता सहकारी सोसाइटी			
10	धारा 80त(2)(ग)(ii) धारा 80त(2क) या 80त(2ख) में विनिर्दिष्ट से भिन्न क्रियाकलापों में लगी अन्य सहकारी सोसाइटियां			
11	धारा 80त(2)(घ) अन्य सहकारी सोसाइटीयों में निवेश से ब्याज/लाभांश			
12	धारा 80त(2)(ङ) वाणिज्याक के विपणन को सुकर बनाने के लिए भण्डारण/प्रसंस्करण हेतु गोदामों/भाण्डागारों को किराए पर देने से आय			
13	धारा 80त(2)(च) अन्य			
14	योग			

अनुसूची - VIक		अध्याय VIक के अधीन कटौतियाँ				
कुल कटौतियाँ	1	भाग ख- कतिपय संदायों की बाबत कटौती				
	क	80छ		ख	80छछख	
	ग	80छछग				
	भाग ख के अधीन कुल कटौती (क + ख + ग)					1
	2	भाग ग- कतिपय संदायों की बाबत कटौती				
	घ	80-झक	(अनुसूची 80-ठक का च)	ड	80-झकख	
	च	80-झकग	(अनुसूची 80-झकग का 6)	छ	80-झख	(अनुसूची 80- झख का च)
	ज	80-झखक		झ	80झड	(अनुसूची 80झड का ख)
	ञ	80जजक		ट	80जजकक	(प्रपत्र 10 घक में अनुलग्नक में क्रम सं. 5I(Aiv) +5II)
	ठ	80ठक(1)	(अनुसूची 80-ठक का 8)	ड	80ठक(1क)	(अनुसूची 80-ठक का 8)
	ण	80त				
	भाग ग के अधीन कुल कटौती (घ से ण तक का योग)					2
	3	अध्याय VIक के अधीन कुल कटौती (1 + 2)				3

अनुसूची- ए.एम.टी		धारा 115जग के अधीन अनुकल्पिक निम्नतर संदेय कर की संगणना				
कुल कटौतियाँ	1	भाग-ख-कुल आय के मद 13 के अनुसार कुल आय				1
	2	धारा 115ज(2) के अनुसार समायोजन				
	क	शीर्ष "ग -कतिपय आय के संबंध में कटौतियाँ " के अधीन अध्याय VIक में सम्मिलित किसी धारा के अधीन दावा की गई कटौती	2क			
	ख	धारा 10कक के अधीन दावा की गई कटौती	2ख			
	ग	आस्तियों जिस पर ऐसी कटौती का दावा किया जाता है पर अवक्षय राशि द्वारा यथा घटाया गया धारा 35कघ के अधीन कटौती का दावा	2ग			
	घ	कुल समायोजन (2क + 2ख+2 ग)	2घ			
	3	धारा 115जग (1) के अधीन समायोजित कुल आय(1 + 2ग)				3
	क	धारा 115जग के अधीन आई.एफ.एस.सी में स्थित इकाईयों से समायोजित कुल आय, यदि कोई हो	3क			
	ख	धारा 115जग के अधीन इकाईयों (3-3क) के अलावा समायोजित कुल आय	3ख			
	4	धारा 115जग (1) के अधीन संदेय कर, यथास्थिति [(3 ख) का 18.5 % या 15% (3 क) का 9 % जैसा अनुप्रयोज्य हो] (ए.ओ.पी, बी.ओ.पी, ए.जे.पी के मामले में यह लागू है यदि 3, बीस लाख से अधिक है)				4

अनुसूची ए.एम.टी.सी		धारा 115कघ के अधीन जमा कर की संगणना				
1	निर्धारण वर्ष 2026-27 में धारा 115 जग के अधीन कर (भाग-ख-टी.टी.आई का 1घ)			1		
2	निर्धारण वर्ष 2026-27 में अधिनियम के उपबंधों के अधीन कर (भाग-ख-टी.टी.आई का 4)			2		
3	कर की रकम जिसके विरुद्ध जमा राशि उपलब्ध है [(2-1 प्रविष्ट करें) यदि 2, 1 से अधिक है, अन्यथा शून्य प्रविष्ट करें]			3		
4	उपलब्ध एएमटी जमा राशि का उपयोजन (चालू वर्ष के दौरान उपयोजित एएमटी जमा राशि उपरोक्त तीन में वर्णित अधिकतम रकम के अधीन होगी और वह अग्रणीत एएमटी जमा राशि से अधिक नहीं हो सकती					
	क्र.सं.	निर्धारण वर्ष (क)	एएमटी प्रत्यय (ख)		चालू वर्ष के दौरान उपयोग की गई एएमटी (ग)	अग्रणीत अतिशेष एएमटी जमा (घ) = (ख3) - (ग)
			सकल (ख1)	पूर्व वर्षों में मुजरा की गई (ख2)	अग्रणीत अतिशेष (ख3) = (ख1) - (ख2)	
	I	2012-13				
	ii	2013-14				
	iii	2014-15				
	iv	2015-16				
	v	2016-17				
	vi	2017-18				
	vii	2018-19				
	viii	2019-20				
	ix	2020-21				
	x	2021-22				
	xi	2022-23				
	Xii	2023-24				
	xiii	2024-25				
	Xiv	2025-26				
	xv	चालू निर्धारण वर्ष (1-2 प्रविष्ट करें, यदि 1 > 2 या शून्य प्रविष्ट करें)				
	xvi	योग				
5	धारा 115कघ के अधीन जमा कर की रकम [(मद सं. 4ग के अनुसार)]				5	
6	पश्चातवर्ती निर्धारण वर्ष में जमा राशि के लिए उपलब्ध एएमटी दायित्व की रकम [मद सं. 4घ प्रविष्ट करें]				6	

अनुसूची एसआई		विशेष दर से प्रभार्य आय (धारा और कर की दर के लिए कृपया अदेश देखें)				
विशेष दर	क्र.सं.	धारा / विवरण	<input type="checkbox"/>	विशेष दर (%)	आय (i)	उस पर कर ii
	1	111क या धारा 115कघ(1)(ख)(ii)- [शेयर यूनितों पर एसटीसीजी, जिस पर एसटीसीजी संदत्त है]	<input type="checkbox"/>	20	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए का 5vi का भाग)	
	2	115कघ (प्रतिभूतियों पर एफआईआई के लिए एसटीसीजी जहां एसटीटी का भुगतान नहीं किया गया हो)	<input type="checkbox"/>	30	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए का 5vii का भाग)	

3	112(1)(सूचीबद्ध प्रतिभूतियों/ यूनिटों पर एलटीसीजी)	□	12.5	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए का 5x का भाग)
4	112(1)(ग)(iii) (असूचीबद्ध प्रतिभूतियों पर अनिवासियों के लिए एलटीसीजी)	□	12.5	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए का 5x का भाग)
5	115कख (धारा 115कख में निर्दिष्ट यूनिटों पर अनिवासियों के लिए एलटीसीजी)	□	12.5	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए का 5x का भाग)
6	115कग (बंध पत्र/जीडीआर पर अनिवासियों के लिए एलटीसीजी)	□	12.5	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए का 5x का भाग)
7	115कघ (प्रतिभूतियों पर एफआईआई के लिए एलटीसीजी)	□	10	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए का 5x का भाग)
8	112(अन्य दर पर एलटीसीजी)[जहां अंतरण/घटना	□	12.5	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए का 5x का भाग)
9	112ख या धारा 115कघ(1)(ख)(iii)- परंतुक (शेयरों या यूनिटों के विक्रय पर एलटीसीजी, जिन पर एसटीटी संदत्त है)	□	12.5	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए का 5x का भाग)
10	भारत में डीटीए के अनुसार विशेष दरों पर एसटीसीजी प्रभार्य है	□		(अनुसूची बी.एफ.एल.ए का 5ix)
11	भारत में डीटीए के अनुसार विशेष दरों पर एलटीसीजी प्रभार्य है			(अनुसूची बी.एफ.एल.ए का भाग 5xii)
12	115ख (जीवनबीमा कारबारक के लाभ और अभिलाभ)	□	12.50	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए का 5iii)
13क	115कग (विदेशी करसी में क्रय किए गए बंधपत्रों से प्राप्त ब्याज से अनिवासी की आय)	□	10	(अनुसूची ओ.एस का भाग 2ग x)
13ख	115कग के तहत प्रभार्य अनिवासी द्वारा विदेशी मुद्रा में क्रय किए गए जी.डी.आर के लाभांश पर आय	□	10	(अनुसूची ओ.एस का भाग 2ग xi)
14	115 खख (लॉटरी,वर्ग पहली, दौड़, खेल आदि से जीत)	□	30	(अनुसूची ओ.एस का 2का)
15	115 खखज (ऑनलाइन खेल से जीत)	□	30	(अनुसूची ओ.एस का 2काii)
16	115 खखड (धारा 68,69,69क,69ख,69ग या 69घ के अधीन आय	□	60	(अनुसूची ओ.एस का 2ख)
17	115खखच (पेटेंट से आय पर कर)			
	कशीर्ष कारबार या वृत्ति के अधीन आय	□	10	(अनुसूची बी.पी का 3घ)
	खशीर्ष अन्य स्रोत के अधीन आय	□	10	(अनुसूची ओ.एस का 2घxvi)
18	115खखछ (कार्बन जमा के अंतरण से आय पर कर)			
	कशीर्ष कारबार या वृत्ति के अधीन आय	□	10	(अनुसूची बी.पी का 7ड)
	खशीर्ष अन्य स्रोत के अधीन आय	□	10	(अनुसूची ओ.एस का 2गxvi)
19	115खखज (आभासी डिजिटल परिसंपत्ति के अंतरण से आय पर कर)			
	ककारबार या वृत्ति से आय	□	30	(अनुसूची बी.पी का 3च)
	खपूंजीगत लाभ शीर्ष के तहत आय	□	30	(अनुसूची सी.जी का ग2)
20	115क(1)(ख) (क) और 115क(1)(ख)(ख) (रॉयल्टी और तकनीकी सेवाओं के लिए फीस से एक गैर-निवासी की होने वाली आय)	□	20	(अनुसूची ओ.एस का भाग 2गviii)
21	भारत में डीटीए के अनुसार विशेष दरों पर अन्य स्रोतों से आय प्रभार्य है	□		(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 2ड का भाग 5iv)

22 क	20% की दर पर प्रभार्य लघु अवधि पूंजी अभिलाभ की प्रकृति में गुजरी आय	□	20	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 5vi ख का भाग)
23	30% @ की दर पर प्रभार्य लघु अवधि पूंजी अभिलाभ की प्रकृति में गुजरी हुई आय	□	30	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 5vii का भाग)
24	धारा 112क के अधीन 12.5% की दर पर प्रभार्य लघु अवधि पूंजी अभिलाभ की प्रकृति में गुजरी आय	□	12.5	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 5x का भाग)
25	धारा 112क के अधीन 12.5% की दर पर प्रभार्य लघु अवधि पूंजी अभिलाभ की प्रकृति में गुजरी से भिन्न आय	□	12.5	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 5x का भाग)
26	विशेष दये पर प्रभार्य अन्य स्त्रोत से आय की प्रकृति की गुजरी हुई आय	□		(अनुसूची ओ.एस का 2घ)
27	अन्य स्त्रोतों से आय की प्रकृति में किसी और आय पर विशेष दरों पर प्रभार्य होगा (ई-फाइलिंग युटिलिटी में ड्रॉप-डाउन दिया जाएगा)	□		(अनुसूची ओ.एस के 2ग का भाग)
			योग	

अनुसूची आई एफ		भागीदारी फर्मों के बारे में जानकारी जिसमें आप भागीदार है							
फर्म जिसमें भागीदार है	फर्मों की संख्या जिनमें आप भागीदार है								
	क्र.सं.	फर्म का नाम	फर्म का पैन	क्या फर्म संपरीक्षक के लिए दायी है (हां/नहीं)	क्या फर्म को धारा 92ड लागू होती है (हां/नहीं)	फर्म के लाभ में प्रतिशत हिस्सा	लाभ में हिस्से की रकम	देय या प्राप्त ब्याज की रकम	फर्म में 31 मार्च को पूंजी बकाया
							i	ii	iii
1									
2									
3									
4	योग								

अनुसूची-छूट प्राप्त आय		छूट प्राप्त आय के ब्यौरे (कुल आय में सम्मिलित नहीं की जाने वाली या कर से प्रभार्य न की जाने वाली आय)								
छूट प्राप्त	1	ब्याज से आय						1		
	2	i	शुद्ध कृषि आय (आयकर नियम के नियम 7क, 7ख या 8 के अधीन सम्मिलित नहीं की जाने वाली आय से भिन्न)				i			
		ii	कृषि पर उपगत व्यय				ii			
		iii	पूरव आठ कर-निरधारण वर्षों विनिर्दिष्ट कृषि हानि				iii			
		iv	नियम 7, 7क, 7ख(1), 7ख(1क) और 8 (अनुसूची बी.पी की क्र.सं. 38) से संबंधित कृषि आय अंश				iv		2	
		v	वर्ष (i-ii-iii+iv) के लिए शुद्ध कृषि आय (यदि हानि है तो शून्य निर्दिष्ट करें)							
		vi	वर्ष के लिए कुल कृषि आय 5 लाख से अधिक होने के मामले में निम्नलिखित ब्यौरे दें (प्रत्येक कृषि भूमि के लिए पृथक ब्यौरे भरें)							
			क	पिनकोड के साथ उस जिले का नाम जिसमें कृषि भूमि स्थित है।						
		ख	एकड़ में कृषि भूमिक का मापन							
		ग	क्या कृषि भूमि का स्वामित्व है या पट्टे पर है (ड्राप डाउन प्रदान करें)							
		घ	क्या कृषि भूमि का स्वामित्व है या पट्टे पर है (ड्राप डाउन प्रदान करें)							
3	अन्य छूट प्राप्त आय (कृपया विनिर्दिष्ट करें)(3क + 3ख)						3			

	क	धारा 10(23चख) अथवा 10(23चखक) या 10(23चग) या 10(23चगक) या 10(23चड़) या 10(23चच) या 10(4घ) के तहत आय (कृपया प्रपत्र दाखिल करने की तिथि तथा पावती संख्या का विवरण प्रदान करें (यदि 10(23चच तथा 10(4घ) के तहत दावा किया गया के तहत आय प्रत्येक अनुभाग के लिए अलग से डाउनलोड प्रदान करें तथा पंक्ति विकल्प शामिल करें।					3क		
	ख	कोई अन्य आय (प्रकृति निर्दिष्ट करें)- प्रदत्त आय की प्रकृति दर्ज करने के लिए टेक्स्ट के साथ पंक्ति विकल्प जोड़ें					3ख		
4	डीटीए के अनुसार दावा किये गए कर से अप्रभार्य आय केवल अनिवासियों के लिए लागू								
	क्र.सं	आय की रकम	आय की प्रकृति	देश का नाम और कोड	डीटीए का अनुच्छेद	आय की शीर्ष	क्या टीआटी प्रदान की गई (हां/नहीं)		
	I								
	II								
	III	कर से प्रभार्य नहीं डीटीए से कुल आय						4	
5	कर से अप्रभार्य पास थ्रू आय (अनुसूची पीटीआई)							5	
6	योग (1+2+3+4+5)							6	

अनुसूची पीटीआई		धारा 115प, 115पक और 115पख के अनुसार कारबार न्यास या विनिवेश निधि के पास के माध्यम से आय के ब्यौरे									
पास के माध्यम से आय	क्रम	धारा 115प /115पक/115पख में शामिल निवेश इकाई	कारबार न्यास / विनिवेश निधि का नाम	कारबार न्यास / विनिवेश निधि का स्थायी खाता संख्या	क्रम	आय का शीर्ष	मौजूदा वर्ष की आय	निवेश इकाई द्वारा वितरित मौजूदा वार्षिक हानि का अंश	निवल आय/हानि 9=7-8	ऐसी रकम पर स्त्रोत पर कर कटौती, यदि कोई हों	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
	1.					i	गृह संपत्ति				
						ii	पूजी अभिलाभ				
					क	अल्पकालिक अवधि					
					क।	धारा 111क					

					का i	अन्य				
					ख	दीर्घकालिक अवधि				
					खा i	धारा 112क के अलावा अन्य				
					iii	अन्य स्त्रोत				
					क	लाभांश				
					ख	अन्य				
					iv	दावा की गई आय जो छूट प्राप्त होगी				
					क	धारा 10(23चख ख) के अधीन				
					ख	धारा के अधीन				
					ग	धारा.....के अधीन				
2.					i	गृह संपत्ति				
					ii	पूँजी अभिलाभ				
					क	अल्पकालिक अवधि				
					का i	धारा 111क				
					का i	अन्य				
					ख	दीर्घकालिक अवधि				
					खा i	धारा 112क के अलावा अन्य				
					iii	अन्य स्त्रोत				
					क	लाभांश				
					ख	अन्य				
					iv	दावा की गई आय जो छूट प्राप्त होगी				
					क	धारा 10(23चख ख) के अधीन				
					ख	धारा के अधीन				
					ग	धारा.....के अधीन				

अनुसूची टी.पी.एस.ए		ई-फाईलिंग उपयोगिता में प्रदत्त अनुसूची के अनुसार, धारा 92 खड (2क)के अनुसार कर के द्वितीयक समायोजन का विवरण						
धारा 92 गड (2क) के अनुसार द्वितीयक समायोजन पर कर	1	प्राथमिक समायोजन की राशि जिस पर धारा 92 गड (2क) के अंतर्गत विकल्प का प्रयोग किया गया है और ऐसे अतिरिक्त धन को निर्धारित समय के भीतर वापस नहीं किया गया है (कृपया समस्त नि. वर्षों के संबंध में किए गए समायोजन का कुल योग इंगित करें)						
	2	क	अतिरिक्त आयकर 18% या उससे अधिक की दर पर देय होगा					
		ख	"क" पर 12% की दर से अधिभार					
		ग	(क+ख) पर स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर					
		घ	कुल देय अतिरिक्त कर (क+ख+ग)					
	3	भुगतान किए गए कर						
	4	निवल देय कर (2घ-3)						
	5	धारा 92 गड (2क) के अनुसार द्वितीयक समायोजनों पर कर को जमा करने की तारीख	तारीख 1 (दिन/माह/वर्ष)	तारीख 2 (दिन/माह/वर्ष)	तारीख 3 (दिन/माह/वर्ष)	तारीख 4 (दिन/माह/वर्ष)	तारीख 5 (दिन/माह/वर्ष)	तारीख 6 (दिन/माह/वर्ष)
	6	बैंक और शाखा का नाम						
		बीएसआर कोड						
8	चालान की क्रम संख्या							
9	जमा की गई राशि							

अनुसूची नघ		115 धारा 115 नघ के अधीन अनुवृद्धि आय	
1	विनिर्दिष्ट व्यक्ति की कुल आस्तियों का संकलित उचित बाजार मूल्य (एफएमवी)	1	
2	घटाए: विनिर्दिष्ट व्यक्ति का कुल दायित्व	2	
3	आस्तियों का शुद्ध मूल्य (1-2)	3	
4	(i) धारा 10(1) में निर्देशित आय से सीधे अर्जित आस्तियों का एफएमवी	4i	
	(ii) धारा 12 क ख के अधीन रजिस्ट्रीकरण/अनंतिम रजिस्ट्रीकरण के प्रभावी तारीख की अवधि के दौरान अर्जित आस्तियों का एफएमवी, यदि उक्त अवधि के दौरान धारा 11 और 12 के अधीन लाभ का दावा नहीं किया गया है	4ii	

	(iii) धारा 115 नघ (2) के तीसरे परंतुक के अनुसार हस्तांतरित आस्तियों का एफएमवी	4 iii		
	(iv) कुल (4i+4ii+4 iii)			4iv
5	उपरोक्त 4 पर आस्तियों के संबंध में दायित्व			5
6	धारा 115 नघ के अनुसार अर्जित आय [3-4iv-5]			6
7	धारा 115 नघ के अधीन अधिकतम मर्जिन दर पर अतिरिक्त संदेय आयकर			7
8	धारा 115 नघ के अधीन संदेय ब्याज			8
9	धारा 115 नघ के अधीन विनिर्दिष्ट तारीख			9
10	अतिरिक्त आयकर और संदेय ब्याज			10
11	कर और संदत्त ब्याज			11
12	शुद्ध संदेय (10-11) (नकारात्मक होने पर 0 लिखें)			12
13	अनुवृद्धि आय पर कर जमा करने की तारीख(तारीखें)	तारीख1 (दिन/माह/वर्ष)	तारीख2 (दिन/माह/वर्ष)	तारीख3 (दिन/माह/वर्ष)
14	बैंक एवं शाखा का नाम			
15	बीएसआर कोड			
16	चालान का क्रमांक			
17	जमा की गयी राशि			

अनुसूची- एफएसआई		भारत से बाहर आय और कर राहत (केवल निवासी के मामले में उपलब्ध है)							
क्र. सं.	देश कोड (ई-फाइलिंग उपयोगिता द्वारा ड्रापडाउन उपलब्ध करवाया जाएगा)	कर संदायकर्ता पहचान संख्या	क्र. सं.	आय का शीर्ष	भारत से बाहर आय (भाग ख तज्ञ में शामिल)	भारत से बाहर संदत्त कर	भारत में सामान्य उपबंधों के अधीन ऐसी आय पर संदत्त कर	भारत में उपलब्ध कर राहत (ड) = (ग) या (घ) जो भी निम्नतर हो	यदि राहत धारा 90 या 90क के अधीन दावा की गई है तो डीटीए का सुसंगत अनुच्छेद
				(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ड)	(च)
1			i	गृह संपत्ति					
			ii	कारबार या व्यवसाय					
			iii	पूँजी अभिलाभ					
			iv	अन्य स्त्रोत					
				योग					
2			i	गृह संपत्ति					
			ii	कारबार या व्यवसाय					
			iii	पूँजी अभिलाभ					
			iv	अन्य स्त्रोत					
				योग					

अनुसूची-टीआर		भारत से बाहर संदत्त किए गए करों पर दावा की गई कर राहत के सारांश का ब्यौरा (केवल निवासी के मामले में उपलब्ध है)				
भारत से बाहर संदत्त कर के लिए कर राहत	1	दावा की गई राहत के कर ब्यौरे				
		देश कोड	कर संदायकर्ता पहचान संख्या	भारत से बाहर संदत्त कुल कर (अनुसूची च ज झ की (ग) का प्रत्येक देश की बाबत योग)	उपलब्ध कुल कर राहत (अनुसूची च ज झ की (ङ) का प्रत्येक देश की बाबत योग)	वह धारा जिस के अधीन राहत का दावा किया गया है (90, 90क या 91 विनिर्दिष्ट करें)
		(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ङ)
				योग		
	2	उस देश की बाबत उपलब्ध कुल कर राहत जहां डीटीए लागू है (धारा 90/90क) (1(घ) के योग का भाग)				2
	3	उस देश की बाबत उपलब्ध कुल कर राहत जहां डीटीए लागू नहीं है (धारा 91) (1(घ) के योग का भाग)				3
	4	क्या भारत से बाहर किसी कर का किया गया है जिस पर भारत में कर राहत अनुज्ञात थी जिसका वर्ष के दौरान विदेशी कर प्राधिकारी ने प्रतिदाय / प्रत्यय किया है ? यदि हाँ तो उसके ब्यौरे दें				4
		प्रतिदाय किए गए कर की रकम		ख निर्धारण वर्ष जिसमें भारत में कर राहत की गई है		

अनुसूची वि.आ.		भारत के बाहर किसी भी स्रोत से विदेशी आस्तियां और आय का ब्यौरा										
विदेशी आस्तियों के ब्यौरे	अ1	31 दिसंबर, 2025 को समाप्त कैलेंडर वर्ष के दौरान किसी समय विदेशी निक्षेपागार खातों का विवरण (अन्य लाभकारी ब्याज शामिल)										
	क्र सं.	देश का नाम	देश का कोड	वित्तीय संस्थानों का नाम	वित्तीय संस्थानों का पता	जिप कोड	खाता सं.	प्रास्थिति	खाता खोलने की तारीख	अवधि के दौरान अधिकतम अतिशेष	अंत अतिशेष	अवधि के दौरान खाते में संदत्त या जमा सकल ब्याज
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	(i)											
	(ii)											
अ2	31 दिसंबर, 2025 को समाप्त कैलेंडर वर्ष के दौरान किसी भी समय धारित विदेशी अभिरक्षा खाते के ब्यौरे (जिसके अंतर्गत फायदाग्राही हित भी है)											

क्र सं.	देश का नाम	देश का कोड	वित्तीय संस्थानों का नाम	वित्तीय संस्थानों का पता	जिप कोड	खाता सं.	प्रास्थिति	खाता खोलने की तारीख	अवधि के दौरान अधिकतम अतिशेष	अंत अतिशेष	अवधि के दौरान खाते से संदत्त/प्रत्यय सकल रकम (ड्राप डाउन उपबंधित किया जाए जिसमें रकम की प्रकृति विनिर्दिष्ट हो जैसे कि ब्याज/लाभांश/विक्रय से प्राप्तियां या वित्तीय आस्तियों का मोचन/अन्य आय	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
(i)												
(ii)												
अ3	31 दिसंबर, 2025 को समाप्त कैलेंडर वर्ष के दौरान किसी भी समय किसी इकाई द्वारा धारित विदेशी साधारण और ऋण ब्याज के ब्यौरे (जिसके अंतर्गत फायदाग्राही हित भी है)											
क्र सं.	देश का नाम	देश का कोड	इकाई का नाम	इकाई का पता	जिप कोड	इकाई की प्रकृति	हित अर्जित करने की तारीख	निवेश का आरंभिक मूल्य	अवधि के दौरान अधिकतम अतिशेष	अंतमूल्य	अवधि के दौरान धृति के संबंध में संदत्त या जमा सकल रकम	अवधि के दौरान विक्रय से कुल सकल आगम या निवेश का कुल सकल मोचन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
(i)												
(ii)												
अ4	31 दिसंबर, 2025 को समाप्त कैलेंडर वर्ष के दौरान किसी भी समय धारित विदेशी नकद मूल्य बीमा संविदा या वार्षिकी संविदा के ब्यौरे (जिसके अंतर्गत फायदाग्राही हित भी है)											
क्र सं.	देश का नाम	देश का कोड	वित्तीय संस्था जिसमें बीमा संविदा की गई का नाम		वित्तीय संस्था का पता	जिप कोड	संविदा की तारीख	संविदा का नकद मूल्य या अभ्यर्पित मूल्य	अवधि के दौरान संविदा के संबंध में संदत्त या जमा सकल रकम			
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)			
(i)												
(ii)												
ख	31 दिसंबर, 2025 को समाप्त कैलेंडर वर्ष के दौरान किसी भी समय किसी इकाई में धारित वित्तीय हित के ब्यौरे (जिसके अंतर्गत फायदाग्राही हित भी है)											
क्र सं.	देश का नाम और कोड	जिप कोड	अस्तित्व की प्रकृति	अस्तित्व का नाम और पता	ब्याज की प्रकृति-सीधे / फायदाप्रद स्वामी / हिताधिकारी	रखने की तारीख से	कुल विनिधान (लागत पर) (रु. में)	ऐसे ब्याज से प्रोदभूत आय	आय की प्रकृति	इस विवरणी में कराधेय और पेश किया गया ब्याज		
										राशि	जहां अनुसूची पेश की गई है	अनुसूची की मद संख्या

(1)	(2 क)	(2 ख)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
(i)												
(ii)												
ग	31 दिसंबर, 2025 को समाप्त कैलेंडर वर्ष के दौरान किसी भी समय अचल संपत्ति के ब्यौरे (जिसके अंतर्गत फायदाग्राही हित भी है)											
क्र. सं.	देश का नाम और कोड	जिप कोड	संपत्ति का पता	स्वामित्व-सीधे फायदाप्रद स्वामी / हिताधिकारी	अर्जन की तारीख	कुल विनिधान (लागत पर) (रु. में)	संपत्ति से प्राप्त आय	आय की प्रकृति	इस विवरणी में कराधेय और पेश किया गया ब्याज			
									राशि	जहां अनुसूची पेश की गई है	अनुसूची की मद संख्या	
(1)	(2 क)	(2 ख)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
(i)												
(ii)												
घ	31 दिसंबर, 2025 को समाप्त कैलेंडर वर्ष के दौरान किसी भी समय कोई अन्य पूंजी आस्ति के ब्यौरे (जिसके अंतर्गत फायदाग्राही हित भी है)											
क्र. सं.	देश का नाम और कोड	जिप कोड	आस्ति की प्रकृति	स्वामित्व-सीधे फायदाप्रद स्वामी / हिताधिकारी	अर्जन की तारीख	कुल विनिधान (लागत पर) (रु. में)	संपत्ति से प्रोदभूत आय	आय की प्रकृति	इस विवरणी में कराधेय और पेश किया गया ब्याज			
									राशि	जहां अनुसूची पेश की गई है	अनुसूची की मद संख्या	
(1)	(2 क)	(2 ख)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
(i)												
(ii)												
ङ	31 दिसंबर, 2025 को समाप्त कैलेंडर वर्ष के दौरान किसी भी समय खाता (खातों) जिसमें आप हस्ताक्षर प्राधिकारी हैं के ब्यौरे (जिसके अंतर्गत फायदाग्राही हित भी है) और जो उपरोक्त क से घ में सम्मिलित नहीं किए गए हैं।											
क्र. सं.	संस्था का नाम जिसमें खाता रखा है	संस्था का पता	जिप कोड	खाताधारक का नाम	खाता संख्या	वर्ष के दौरान उच्चतम अतिशेष / विनिधान (रु. में)	क्या आप के पास प्रोदभूत आय कराधेय है	यदि (7) हां है तो खाते में प्रोदभूत राशि	यदि (7) हां में है, तो इस विवरणी में पेश की गई आय			
									राशि	जहां अनुसूची पेश की गई है	अनुसूची की मद संख्या	
(1)	(2)	(3 क)	(3 ख)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
(i)												
(ii)												
च	भारत से बाहर देश की विधि के अधीन बनाए गए न्यासों का ब्यौरे जिसमें आप न्यासी, हिताधिकारी या अवस्थापक हो											
क्र.	देश	जिप कोड	न्यास	अवस्थापक का	जब से पद	क्या आप	यदि (8) हां में	यदि (8) हां में है, तो इस विवरणी में पेश की गई आय				

सं 0	का नाम और कोड	का नाम और पता	न्यासियों के नाम और पते	नाम और पता	हिताधिकारियों के नाम और पते	संभाला है उसकी तारीख	के पास प्रोद भूत आय का कराधेय है	है, तो न्यास से प्राप्त आय	राशि	जहां अनुसूची पेश की गई है	अनुसूची की मद संख्या	
(1)	(2क)	(2ख)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
(i)												
(ii)												
छ	भारत के बाहर किसी भी स्रोत से प्राप्त कोई अन्य आय का ब्यौरा जिसमें (i) उपरोक्त मद क से च और (ii) कारबार या वृत्ति शीर्ष के अधीन आय, में सम्मिलित नहीं की गई है											
क्र. सं.	देश का नाम और कोड	जिप कोड	जिससे प्राप्त हुई है उस व्यक्ति का नाम और पता	प्राप्त आय	आय की प्रकृति	क्या आपके पास कराधेय है।	यदि (6) हां में है, तो इस विवरणी में पेश की गई आय					
(1)	(2क)	(2ख)	(3)	(4)	(5)	(6)	राशि	जहां अनुसूची पेश की गई है	अनुसूची की मद संख्या			
(i)												
(ii)												

अनुसूची जीएसटी		जीएसटी के लिए रिपोर्ट की गई अवधि/कुल प्राप्ति के संबंध में जानकारी	
जीएसटी ब्यौरा	क्र. सं०	जीएसटीआईएन सं०	फाइल जीएसटीव विवरणी के अनुसार बाहरी प्रदायों का वार्षिक मूल्य
	(1)	(2)	(3)
टिप्पण▶		कृपया प्रत्येक जीएसटीआईएन के लिए पृथक जानकारी दें।	

भाग - ख

भाग ख-कुल आय		कुल आय की संगणना	
कुल आय	1	गृह संपत्ति से आय (अनुसूची गृह संपत्ति का 3) (यदि हानि है तो कुछ नहीं प्रविष्ट करें)	1
	2	कारबार या वृत्ति से लाभ और अभिलाभ	

	i सट्टेबाजी और विनिर्दिष्ट कारबार के कारबार और विनिर्दिष्ट कारबार से भिन्न कारबार से लाभ और अभिलाभ (अनुसूची-बी पी का ५३७) (यदि हानि है तो कुछ नहीं प्रविष्ट करें)	2i		
	ii सट्टा व्यवसाय से मुनाफा और लाभ (अनुसूची बीपी की तालिका ड का ३(iii)) (यदि हानि हुई तो शून्य भरें और अनुसूची सीएफल में ये आंकड़े भरें)	2ii		
	iii सट्टा व्यवसाय से मुनाफा और लाभ (अनुसूची बीपी की तालिका ड का ३(iii)) (यदि हानि हुई तो शून्य भरें और अनुसूची सीएफल में ये आंकड़े भरें)	2iii		
	iv विशेष दर पर कर के लिए आय प्रभार्य (अनुसूची बीपी का ३घ, ३ङ और ३च)	2iv		
	v योग (2i+2ii+2iii+2iv) (शून्य प्रविष्ट करें यदि हानि है और इस अंक को अनुसूची सीवाईएलए की हानि की प्रविष्ट में लें जाएं)		2v	
3	पूंजी अभिलाभ			
	क अल्पकालिक			
	i 20% की दर से प्रभार्य अल्पकालिक (अनुसूची सीजी की मद ड का 8iii)	का		
	ii 30 % की 20 की दर से प्रभार्य अल्पकालिक (अनुसूची सीजी की मद ड का दर से प्रभार्य अल्पकालिक (अनुसूची सीजी की मद ड का 8iii))	का		
	iii लागू दर पर प्रभार्य अल्पकालिक (अनुसूची सीजी की मद ड का 8iv)	का		
	iv डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर लघु कालिक प्रभार्य (अनुसूची सीजी के मद ड का 8v)	का		
	v कुल अल्पकालिक (का + 8v+ का + का + का) (यदि हानि हो तो कुछ नहीं प्रविष्ट करें)	क		
	ख दीर्घकालिक			
	i 12.5% की दर से प्रभार्य दीर्घकालिक (अनुसूची सीजी की मद ड का 8vi)	ख		
	ii डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर दीर्घ कालिक प्रभार्य (अनुसूची सीजी के मद ड का 8vii)	ख		
	iii कुल दीर्घकालिक (ख i + ख ii +) (यदि हानि हो तो शून्य भरें)	ख		
	ग अल्पकालिक/दीर्घकालिक पूंजीगत अभिलाभ की राशि (3क + 3ख iii) (यदि हानि तो शून्य दर्ज करें)		3ग	
	घ धारा 115खखज के तहत 30% की दर से प्रभार्य पूंजीगत अभिलाभ (अनुसूची सी.जी का ग 2)		3घ	
	ङ कुल पूंजीगत अभिलाभ (3ग + 3घ)		3ङ	
4	अन्य स्रोतों से आय			
	क सामान्य लागू दरों पर कर से प्रभार्य अन्य स्रोतों से कुल आय (अनुसूची ओएस का 6) (यदि हानि हो तो, कुछ नहीं प्रविष्ट करें)	4	क	
	ख विशेष दर पर कर से प्रभार्य आय (अनुसूची ओएस का 2 भरें)	4	ख	
	ग घुडदौड़ के स्वामित्व और अनुसक्षण क्रियाकलाप से आय (अनुसूची ओएस का 8ड) (यदि हानि हो तो, कुछ नहीं प्रविष्ट करें)	4	ग	

	घ योग (4 क + 4 ख + 4 ग)	4 घ	
5	मदवार आय का योग (1 + 2v + 3उ + 4 घ)	5	
6	5 के सामने मुजरा किए जाने वाली चालू वर्ष की हानि (अनुसूची सीवाईएलए के 2xvi, 3xvi और 4xvi का योग)	6	
7	चालू वर्ष की हानियों के शुरू होने के बाद शेष (5 - 6) (अनुसूची सीवाईएलए के कॉलम 5 के क्रम सं. (ii), (iii), (v) से (xvi)का योग + 4ख + 2iv)	7	
8	7 के संबंध में मुजरा किए जाने के लिए अग्रनीत की गई (अनुसूची बीएफएलए के 2xv, 3 xv और 4xv का योग)	8	
9	सकल कुल आय (7 - 8) (अनुसूची बीएफएलए के कॉलम 5 के क्रम सं. (i), (ii), (iv)से (xiv)का योग + 4ख + 2iv)	9	
10	9 में सम्मिलित धारा 111क, धारा 112, धारा 112क आदि के अधीन विशेष दर पर कर से प्रभार्य आय	10	
11	अध्याय VI के अधीन कटौतियाँ		
	क अनुसूची 6क का भाग ख [अनुसूची 6क का (1) और (9-10) तक सीमित] (अनुसूची बीएफएलए के कॉलम 5 के क्रम सं. i+ii+iv+v+viii+xiii+xiv)	11क	
	ख अनुसूची 6क का भाग ग [अनुसूची 6क का (2)]	11ख	
	ग कुल (11क + 11ख) (9-10) तक सीमित	11ग	
12	धारा 10कक के अधीन कटौती (अनुसूची 10कक का कुल)	12	
13	कुल आय (9- 11ग -12)	13	
14	विशेष दरों पर कर से प्रभार्य आय (अनुसूची एसआई के i का योग)	14	
15	रेट प्रयोजन के लिए शुद्ध कृषि आयकोई अन्य आय (अनुसूची ईआई का 2v)	15	
16	कुल आय (13 - 14 + 15) [यदि (13-14) प्रभार्य कर की प्रभार्य नहीं की गई रकम से अधिक है तो लागू होगा]	16	
17	अग्रनीत की जाने वाली चालू वर्ष की हानि यहाँ (अनुसूची सीएफएल के xxi का योग)	17	
18	धारा 115 जग के अधीन समझी गई कुल आय (अनुसूची ए.एम.टी का 3)	18	

भाग ख-कुल आय पर कर दायित्व

कुल आय पर कर दायित्व की संगणना

कर दायित्व की संरचना	1	क धारा 115जग के अधीन समझी गई कुल आय पर संदेय कर (अनुसूची एएमटी का 4)	1क	
		ख पूर्वोक्त (क) पर अधिभार (यदि लागू है)	1 ख	
		ग स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर 4% की दर पर ऊपर 1क+1ख पर	1 ग	
		घ मानी गई आय (1 क+s1 ख+1 ग) पर कुल संदेय कर	1 घ	
	2	कुल आय पर संदेय कर		
		क भाग ख-टीआई के 16 के सामान्य दरों पर कर	2क	
		ख विशेष दरों पर कर (अनुसूची-एसआई का ii का कुल योग)	2ख	
		ग कृषि आय पर छूट [भाग ख-नहीं झ का 13-14 कर से प्रभार्य अधिकतम रकम से ज्यादा नहीं होगा, तभी लागू होगा]	2ग	
		घ कुल आय पर संदेय कर (2क+2ख-2ग)	2घ	
		ड उपकर	उपांतिक राहत से पूर्व परिकलित अधिभार	उपांतिक के बाद अधिभार
	i अनुसूची एस.आई के 12 (ii) का 25%	2ड i	i क	

		ii 10% या 15% पर लागू	2ड		ii क	
		iii [(2घ) पर 12ड (ii) में संदर्भित आय पर कर - अनुसूची एस.आई का 12(ii)]	2ड			
		iv कुल (i क + ii क)	2ड		iv	
	च	स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर 4% की दर पर ऊपर 2घ+2डiv	2च			
	छ	कुल आय पर संदेय कर (2घ + 2डiv + 2च)	2छ			
	3	सकल संदेय कर (2छ या 1घ से उच्चतर)	3			
	4	पूर्व वर्षों में संदत्त कर का धारा 115जग के अधीन जमा (यदि 2छ 1घ से अधिक है) (अनुसूची एएमटीसी का 5)	4			
	5	धारा 115 जघ के अधीन जमा के पश्चात संदेय कर (3 - 4)	5			
	6	कर राहत				
		क धारा 90/90क (अनुसूची नद का 2)	6क			
		ख धारा 91 (अनुसूची नद का 3)	6ख			
		ग योग (6क + 6ख)	6ग			
	7	शुद्ध कर दायित्व (5-6ग) (यदि नकारात्मक हो तो शून्य दर्ज करें)	7			
	8	ब्याज और देय फीस				
		क विवरण प्रस्तुत करने में व्यतिक्रम के लिए ब्याज (धारा 234क)	8क			
		ख अग्रिम कर के संदाय में व्यतिक्रम के लिए ब्याज (धारा 234ख)	8ख			
		ग अग्रिम कर के आस्थगन के लिए ब्याज (धारा 234ग)	8ग			
		घ आय की विवरणी प्रस्तुत करने में त्रुटि के लिए फीस (धारा 234घ)	8घ			
		घक आय की पुनरीक्षति विवरणी प्रस्तुत करने हेतु फीस (धारा 239-झ)	8घक			
		ड कुल ब्याज और देय फीस (8क+ 8ख+ 8ग +8घ)	8ड			
	9	कुल दायित्व (7 + 8 ड)	9			
	10	संदत्त कर				
		क अग्रिम कर (18क के स्तंभ 5 से)	10क			
		ख स्रोत पर काटी गया कर (18ख के स्तंभ 9 का योग)	10ख			
		ग टीसीएस (18ग के स्तंभ 7 का योग)	10ग			
		घ स्वत. निर्धारण कर (18क के स्तंभ 5 से)	10घ			
		ड कुल संदत्त कर (10क+10ख+10ग+10घ)	10ड			
	11	संदेय रकम (यदि 9, 10ड से अधिक है तो प्रविष्ट करें, अन्यथा 0 प्रविष्ट करें)	11			
	12	प्रतिदाय (यदि 10ड, 9 से अधिक है)	12			
	13	धारा 115नड के अधीन संदेय ब्याज सहित धारा 115 नघ के अधीन आय पर संदेय शुद्ध कर (अनुसूची 115 नघ का क्र.सं. 12)	13			
	14	क्र.सं. 12 (13-12) पर प्रतिदाय के समायोजन के पश्चात धारा 115 नघ के अधीन संदेय कर	14			
	15	क्र.सं. 14 (12-13) के अनुसार समायोजन के पश्चात शुद्ध प्रतिदाय (यदि कोई प्रतिदाय हो तो सीधे खाते में जमा किया जाएगा)	15			
बैंक खाता	16	क्या आपका भारत में बैंक खाता है (भारत में बिना बैंक खाते के रिफंड का दावा करने वाले गैर-निवासी नहीं का चयन कर सकते हैं)				हां या नहीं का चयन करें

क) पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय भारत में रखे गए सभी बैंक खातों का ब्यौरा (निष्क्रिय खातों को छोड़कर)																				
क्रम सं.	बैंक खाता भारत में धारण किए जाने की दशा में बैंक का आईएफएस कोड	बैंक का नाम	खाता सं.	खाता का प्रकार (ई-फाइलिंग उपयोगिता द्वारा डाउनलोड उपलब्ध कराया जाएगा)	प्रतिदाय जमा के लिए खाता चुनें (न्यूनतम एक खाते को <input checked="" type="checkbox"/> करें)															
i					<input type="checkbox"/>															
ii					<input type="checkbox"/>															
<p>नोट:</p> <p>1) निष्क्रिय खाते को छोड़कर, किसी भी समय रखे गए सभी बैंक खातों की सूचना दी जानी</p> <p>2) कई खातों के चुने जाने की दशा में, विवरणी प्रसंस्करण के पश्चात प्रतिदाय का विधि मान्य खातों में से किसी एक में जमा किया जाएगा।</p> <p>आवश्यकतानुसार पंक्तियां जोड़ी जा सकती हैं</p> <p>ख) अनिवासी, जिनका भारत में बैंक खाता नहीं है, अपने विकल्प के तौर पर, एक विदेशी बैंक खाते का ब्यौरा प्रस्तुत कर सकते हैं:</p> <table border="1"> <tr> <td>क्रम सं.</td> <td>स्विफ्ट कोड</td> <td>बैंक का नाम</td> <td>स्थान का देश</td> <td>आई.बी.ए.एन</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5">आवश्यकतानुसार पंक्तियां जोड़ी जा सकती हैं</td> </tr> </table>						क्रम सं.	स्विफ्ट कोड	बैंक का नाम	स्थान का देश	आई.बी.ए.एन						आवश्यकतानुसार पंक्तियां जोड़ी जा सकती हैं				
क्रम सं.	स्विफ्ट कोड	बैंक का नाम	स्थान का देश	आई.बी.ए.एन																
आवश्यकतानुसार पंक्तियां जोड़ी जा सकती हैं																				
17	क्या आप पूर्व वर्ष के दौरान किसी भी समय																			
	(i) भारत के बाहर स्थित कोई आस्तियां (जिसके अंतर्गत किसी सत्ता में वित्तीय हित भी है) को हिताधिकारी स्वामी, हिताधिकारी या अन्यथा के रूप में धारित करते हैं।			<input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं																
	(ii) भारत के बाहर स्थित किसी खाते में हस्ताक्षर प्राधिकारी हैं; या																			
	(iii) भारत के बाहर किसी स्रोत से आय है? (निवासी के मामले में ही लागू (यदि उत्तर हां है, तब अनुसूची च क को भरना सुनिश्चित करें)																			

18		अनुसूची-आयकर			
क आय-कर के अग्रिम कर और स्वनिर्धारण कर के ब्यौरे					
कर	क्रम संख्या	बीएसआर कोड	निक्षेप की तारीख (तिथि/मास/वर्ष)	चालान का क्रम संख्या	रकम(रू.)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	i				
	ii				
	iii				
टिप्पण ▶		अग्रिम कर और स्व-मूल्यांकन कर के कुल को टी टी आइ के भाग ख के क्रम संख्या 10क और 10घ में दर्ज करें			
ख स्रोत पर कर कटौती के ब्यौरे [कटौतीकर्ता(कटौतीकर्ताओं) द्वारा जारी प्ररूप (टीडीएस) प्ररूप 16 क या प्ररूप 16ख/16ग/16घ/16 ड के अनुसार]					

क्र.सं.	स्वयं/अन्य व्यक्ति से संबंधित टीडीएस क्रेडिट (धारा 37खक(2) के अनुसार अन्य व्यक्ति]	अन्य व्यक्ति का पैन/आधार संख्या (यदि टीडीएस क्रेडिट अन्य व्यक्ति से संबंधित है)	कटौतीकर्ता का पैन/किराएदार/क्रेता का पैन/आधार संख्या	धारा जिसके अधीन टीडीएस की कटौती होती है	अग्रेषित अदावाकृत टीडीएस	चालू वित्त वर्ष का टीडीएस (वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान टीडीएस कटौती)		इस वर्ष जमा टीडीएस का दावा (केवल तभी जब समान आय इसी वर्ष कर से लिए प्रस्तावित, लागू नहीं, यदि टीडीएस धारा 194 एन के अधीन काटा गया।		प्रस्तावित समान रसीद/आहरण		अग्रेषित टीडीएस क्रेडिट	
						वित्तीय वर्ष जिसमें कटौती की गई	अग्रेषित टीडीएस	स्वयं कटौती	नियम 37खक (2) के अनुसार या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कटौती (यदि लागू हो)	स्वयं क्रेडिट के हाथों में दावा की गई	नियम 37खक (2) के अनुसार या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा दावा किया गया (यदि लागू हो)		कुल रकम
(1)	(2)	(3)	(4)	(4क)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
								आय टी.डी.एस		आय टी.डी.एस	पैन/आधार संख्या		
i													
टिप्पण भाग ख ► ननझ के 10ख में स्तंभ 9 का योग प्रविष्ट करें													
ग	स्तोत पर कर के संग्रहण का ब्यौरा [संग्रहणकर्ता द्वारा जारी किए गए प्ररूप 27घ के अनुसार]												
क्र.सं.	स्वयं/अन्य व्यक्ति संबंधित जमा टी.सी.एस नियम 37-आई (1) के अनुसार अन्य व्यक्ति]	संग्रहणकर्ता का कर कटौती और कर संग्रहण अकाउंट नंबर	अन्य व्यक्ति का पैन (यदि टी.सी.एस जमा अन्य व्यक्ति से संबंधित	दावा नहीं किया गया अग्रणित स्तोत पर कटौती किया गया कर ख/च		चालू वित्त वर्ष के टी.सी.एस. (वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान कर संग्रहण)		इस वर्ष में दावा किया गया जमा टी.सी.एस		टी.सी.एस जमा आगे लाया गया			
				वित्तीय वर्ष जिसमें संग्रह किया गया	रकम ख/च	स्वयं संग्रहित किया	नियम 37-आई (1) के अनुसार अन्य व्यक्ति द्वारा (यदि लागू हो)	स्वयं दावा किया गया	नियम 37-आई (1) के अनुसार अन्य व्यक्ति द्वारा (यदि लागू हो)				
(1)	(2i)	(2ii)	(3)	(4)	(5)	(6i)	(6ii)	(7i)	(7ii)	(8)			

Addresses to be provided for communication purposes: Primary Address: (A7a) Flat/Door/Block No (A8a) Name of Premises/Building/Village (A9a) Road/Street/Post Office (A10a) Area/Locality (A11a) Town/City/District (A12a) State (A13a) Pin code/Zip code (A14a) Country Secondary Address: (A7b) Flat/Door/Block No (A8b) Name of Premises/Building/Village (A9b) Road/Street/Post Office (A10b) Area/Locality (A11b) Town/City/District (A12b) State (A13b) Pin code/Zip code (A14b) Country		Status (<i>firm-1sub-status- Partnership Firm, LLP, local authority-2, AOP/BOI- 3 sub-status- other cooperative bank, other cooperative society, society registered under society registration Act, 1860 or any other Law corresponding to that state, Primary agricultural credit society/cooperative bank, Rural development bank, Business trust, investment fund, Trust other than trust eligible to file Return in ITR 7, any other AOP/BOI,, artificial juridical person-4, sub-status- Estate of the deceased, Estate of the insolvent, Other AJP</i>),	<input type="checkbox"/>
Details to be provided for communication purposes:			
(A15) Office Phone Number with STD code/ Primary Mobile No. of the taxpayer		(A16) Secondary Mobile No.	
<input type="text"/>		<input type="text"/>	
(A17) Primary Email ID of the taxpayer		(A18) Secondary Email ID	
FILING STATUS	A19(ai) Due date for filing return of income [Dropdown to be provided]: 1. 31st July 2. 31st August 3. 31st October 4. 30th November		
	A19(aii) (1) Filed u/s (Tick)	<input type="checkbox"/> 139(1)-On or before due date, <input type="checkbox"/> 139(4)-After due date, <input type="checkbox"/> 139(5)-Revised Return, <input type="checkbox"/> 92CD-Modified return, <input type="checkbox"/> 119(2)(b)-After condonation of delay.	
	(2) Or Filed in response to notice u/s	<input type="checkbox"/> 139(9), <input type="checkbox"/> 142(1), <input type="checkbox"/> 148, <input type="checkbox"/> 153C	
	(3) Whether you are a business trust?	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
	4) Whether you are an investment fund referred to in section 115UB?	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
	(b) If revised/Defective/ in response to notice for Modified, then enter Receipt No. and Date of filing original return (DD/MM/YYYY)		/ /
(c) If filed in response to a notice u/s 139(9)/142(1)/148/153C or order u/s 119(2)(b), enter Unique Number/ Document Identification Number (DIN) and date of such notice/order, or if filed u/s 92CD enter date of advance pricing agreement	<i>(unique number)</i>	/ /	
(d) NOTE:- If AOP(other than co-operative society)/ BOI/ AJP, please fill (di). If co-operative society, please fill (dii) or (div), as applicable.			

(di)	<p>Do you have income from business or profession for current Assessment Year? <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No</p> <p>(I) If answer to A19(di) is Yes, have you filed form 10IEA within due date for any earlier assessment year for choosing old tax regime? <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No</p> <p>(A) If answer to (I) is yes, then</p> <p>i. Furnish form 10IEA acknowledgement number and assessment year for which this form for choosing old tax regime was filed.</p> <p>ii. Have you re-entered new tax regime by filing form 10IEA for any assessment year subsequent to assessment year in which first form 10IEA was filed for choosing old tax regime? <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No</p> <p>(a) If answer to (I)(A)(ii) is Yes, provide the acknowledgement number of second form 10IEA and assessment year for which this form for choosing new tax regime was filed, and furnish ITR in new tax regime.</p> <p>(b) If answer to (I)(A)(ii) is No, have you furnished form 10IEA for re-entering in new tax regime in current assessment year?</p> <p>(b)(i) If yes, then provide the acknowledgement number of form 10IEA and furnish ITR in new tax regime,</p> <p>(b)(ii) If No, then furnish ITR in old tax regime.</p> <p>(B) If answer to (I) is No, have you furnished form 10IEA within due date for current assessment year for choosing old tax regime? <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No</p> <p>i. If answer to (I)(B) is Yes, provide the acknowledgement number of form 10IEA, and then furnish return in old tax regime,</p> <p>ii. If answer to (I)(B) is No, furnish ITR in new tax regime.</p> <p>(II) If answer to A19(di) is No, do you wish to opt for old tax regime for the current Assessment Year? <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No</p> <p>Note- The default regime under section 115BAC(1A) is the 'new regime'. 'Old regime' can be chosen by opting out of new regime u/s. 115BAC(6) by filing form 10IEA, which should be exercised on or before the due date for furnishing the return of income u/s 139(1).</p>		
(dii)	<p>Have you opted for tax regime u/s 115BAD? <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No If yes, please furnish the AY in which said option is exercised for the first time along with date of filing of Form 10-IF & acknowledgment number.</p>		
(diii)	<p>If "No", Option for current assessment year <input type="checkbox"/> Not opting <input type="checkbox"/> opting it now. If "opting it now", please furnish</p>	<p>Date of filing of form 10-IF DD/MM/YYYY</p>	<p>Acknowledgement number:</p>
(div)	<p>If you are a new manufacturing cooperative society, whether you were required to furnish the return of income mandatorily u/s 139(1) for the AY 2024-25 or AY 2025-26? <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No</p>		
div(a)	<p>If the answer to (div) is "Yes", whether you have exercised the option u/s 115BAE of Opting of new tax regime in A.Y 2024-25 or AY 2025-26? <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No</p>		
div(b)	<p>If the answer to (div) is "No", do you wish to exercise the option u/s 115BAE of Opting of New Tax regime in AY 2026-27 <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No</p>		
div(c)	<p>If div(a) or div(b) is selected as 'Yes', please furnish date of filing of Form 10-IFA & acknowledgment number</p>	<p>Date of filing of form 10-IFA DD/MM/YYYY</p>	<p>Acknowledgement number</p>
(e)	<p>Residential Status (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> Resident <input type="checkbox"/> Non-Resident</p>		
(f)	<p>Whether assessee has a unit in an International Financial Services Centre and derives income solely in convertible foreign exchange? (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No</p>		
(g)	<p>Whether you are recognized as start up by DPIIT <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No</p>		
(h)	<p>If yes, please provide start up recognition number allotted by the DPIIT</p>		
(i)	<p>Whether certificate from inter-ministerial board for certification is received? <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No</p>		
(j)	<p>If yes, please provide the certification number</p>		
(k)	<p>Whether you are recognized as MSME <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No</p>		
(l)	<p>If yes, please provide registration number allotted as per Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (27 of 2006)</p>		
(m)	<p>In the case of non-resident, is there a permanent establishment (PE) in India (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No</p>		
(n)	<p>In the case of non-resident, is there a significant economic presence (SEP) in India as defined in Explanation (2A) to section 9(1) (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No</p> <p>If yes, please provide details of</p> <p>(a) aggregate of payments arising from the transaction or transactions during the previous year as referred in Explanation 2A(a) to Section 9(1)(i)</p> <p>(b) number of users in India as referred in Explanation 2A(b) to Section 9(1)(i)</p>		
(o)	<p>Whether you are an FII / FPI? Yes/No If yes, please provide SEBI Regn. No.</p>		

	(p)	Whether this return is being filed by a representative assessee? (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Yes	
		(1)	Name of the representative assessee
		(2)	Email ID of the representative assessee
		(3)	Contact Number of the representative assessee
	(q)	Whether you are Partner in a firm? (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
		Name of Firm	PAN

(r)	Whether you have held unlisted equity shares at any time during the previous year? (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No If yes, please furnish following information in respect of equity shares													
	Name of company	Type of company	PAN	Opening balance		Shares acquired during the year				Shares transferred during the year		Closing balance		
				No. of shares	Cost of acquisition	No. of shares	Date of subscription / purchase	Face value per share	Issue price per share (in case of fresh issue)	Purchase price per share (in case of purchase from existing shareholder)	No. of shares	Sale consideration	No. of shares	Cost of acquisition
	1a	1b	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
(s)	Legal Entity Identifier (LEI) details (mandatory if refund is 50 Crores or more)													
	LEI Number					Valid upto date								

AUDIT INFORMATION	a1	Whether liable to maintain accounts as per section 44AA? (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No
	a2	Whether assessee is declaring income only under section 44AD/44ADA/44AE/44B/44BB/44BBA/44BBC/44BBD (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No
	a2i	Please select the range of total sales/turnover/gross receipts of business (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Up to Rs. 1 crore <input type="checkbox"/> More than Rs. 1 crore and up to Rs. 10 crores <input type="checkbox"/> More than Rs. 10 crores
	a2ii	If more than '1 Crore and up to 10 Crore' Option is selected at a2i, please select the percentage of amounts received in cash & non a/c payee cheque/ bank draft out of the aggregate receipts during the previous year <input type="checkbox"/> Up to 5% <input type="checkbox"/> More than 5% (Note: If this percentage is more than 5%, you are liable for audit u/s. 44AB)
	a2iii	If "More than Rs. 1 crore and up to Rs. 10 crores" option is selected at a2i, please select the percentage of payments made in cash & non a/c payee cheque/ bank draft out of the aggregate payments made during the previous year <input type="checkbox"/> Up to 5% <input type="checkbox"/> More than 5% (Note: If this percentage is more than 5%, you are liable for audit u/s. 44AB)
	b	Whether liable for audit under section 44AB? (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No
bi	If Yes is selected at (b), mention by virtue of which of the following conditions: Sales, turnover or gross receipts exceeds the limits specified under section 44AB (Tick) <input checked="" type="checkbox"/>	

For persons referred to in section 160(1)(iii) or (iv)	F To be filled in case of persons referred to in section 160(1)(iii) or (iv)								
	1	Whether shares of the beneficiary are determinate or known?						<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
	2	Whether the person referred in section 160(1)(iv) has Business Income?						<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
	3	Whether the person referred in section 160(1)(iv) is declared by a Will and /or is exclusively for the benefit of any dependent relative of the settlor and/or is the only trust declared by the settlor?						<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
	4	Please furnish the following details (as applicable):							
	(i)	Whether all the beneficiaries have income below basic exemption limit?						<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
	(ii)	Whether the relevant income or any part thereof is receivable under a trust declared by any person by will and such trust is the only trust so declared by him?						<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
	(iii)	Whether the trust is non-testamentary trust created before 01-03-1970 for the exclusive benefit of relatives/member of HUF of the settlor mainly dependent on him/Family?						<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
	(iv)	Whether the trust is created on behalf of a provident fund, superannuation fund, gratuity fund, pension fund or any other fund created bona fide by a person carrying on Business or profession exclusive for the employees in such Business or Profession?						<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
	NATURE OF	G Nature of business or profession, if more than one business or profession, indicate the three main activities/products (Other than those declaring income under sections 44AD, 44ADA and 44AE)							
S. No.		Code			Trade name of the business, if any			Description	
(i)									
(ii)									

Part A-BS		BALANCE SHEET AS ON 31ST DAY OF MARCH, 2026 OR DATE OF DISSOLUTION (fill items A and B in a case where regular books of account are maintained, otherwise fill item C)								
SOURCES OF FUNDS	A Sources of Funds									
	1	Partners' / members' fund								
	A	Partners' / members' capital							A	
	B	Reserves and Surplus								
	i	Revaluation Reserve			bi					
	ii	Capital Reserve			bii					
	iii	Statutory Reserve			biii					
	iv	Any other Reserve			biv					
	v	Credit balance of Profit and loss account			bv					
	vi	Total (bi + bii + biii + biv + bv)						Bvi		
	C	Total partners'/ members' fund (a + bvi)							1c	
	2	Loan funds								
	A	Secured loans								
	i	Foreign Currency Loans			ai					
	ii	Rupee Loans								
	A	From Banks			iiA					
	B	From others			iiB					
	C	Total (iiA + iiB)						iiC		
iii	Total secured loans (ai + iiC)						Aiii			
B	Unsecured loans (including deposits)									
i	Foreign Currency Loans			bi						
ii	Rupee Loans									
A	From Banks			iiA						

				B	From persons specified in section 40A(2)(b) of the I. T. Act	iiB							
				C	From others	iiC							
				D	Total Rupee Loans (iiA + iiB + iiC)	iiD							
				iii	Total unsecured loans (bi + iiD)		Biii						
				C	Total Loan Funds (aiii + biii)		2c						
				3	Deferred tax liability		3						
				4	Advances								
				i	From persons specified in section 40A(2)(b) of the I. T. Act	i							
				ii	From others	ii							
				iii	Total Advances (i + ii)		4iii						
				5	Sources of funds (1c + 2c + 3 + 4iii)		5						
				B Application of funds									
				1	Fixed assets								
				A	Gross: Block		1a						
				B	Depreciation		1b						
C	Net Block (a – b)		1c										
D	Capital work-in-progress		1d										
E	Total (1c + 1d)						1e						
2	Investments												
A	Long-term investments												
i	Investment in property		i										
ii	Equity instruments												
A	Listed equities		iiA										
B	Unlisted equities		iiB										
C	Total		iiC										
iii	Preference shares		iii										
iv	Government or trust securities		iv										
v	Debenture or bonds		v										
vi	Mutual funds		vi										
vii	Others		vii										
viii	Total Long-term investments (i + iiC + iii + iv + v + vi + vii)						aviii						
B	Short-term investments												
i	Equity instruments												
A	Listed equities		iA										
B	Unlisted equities		iB										
C	Total		iC										
ii	Preference shares		ii										
iii	Government or trust securities		iii										
iv	Debenture or bonds		iv										
v	Mutual funds		v										
vi	Others		vi										
vii	Total Short-term investments (iC + ii + iii + iv + v + vi)						bvii						
C	Total investments (aviii + bvii)						2c						
3	Current assets, loans and advances												
A	Current assets												
i	Inventories												
A	Raw materials		iA										

	B	Work-in-progress	iB		
	C	Finished goods	iC		
	D	Stock-in-trade (in respect of goods acquired for trading)	iD		
	E	Stores/consumables including packing material	iE		
	F	Loose tools	iF		
	G	Others	iG		
	H	Total (iA + iB + iC + iD + iE + iF + iG)		iH	
	ii	Sundry Debtors			
	A	Outstanding for more than one year	iiA		
	B	Others	iiB		
	C	Total Sundry Debtors		iiC	
	iii	Cash and bank balances			
	A	Balance with banks	iiiA		
	B	Cash-in-hand	iiiB		
	C	Others	iiiC		
	D	Total Cash and cash equivalents (iiiA + iiiB + iiiC)		iiiD	
	iv	Other Current Assets		aiv	
	v	Total current assets (iH + iiC + iiiD + aiv)		av	
	B	Loans and advances			
	i	Advances recoverable in cash or in kind or for value to be received	bi		
	ii	Deposits, loans and advances to corporate and others	bii		
	iii	Balance with Revenue Authorities	biii		
	iv	Total (bi + bii + biii)		biv	
	v	Loans and advances included in biv which is			
	a	for the purpose of business or profession	va		
	b	not for the purpose of business or profession	vb		
	C	Total (av + biv)		3c	
	D	Current liabilities and provisions			
	i	Current liabilities			
	A	Sundry Creditors			
	1	Outstanding for more than one year	1		
	2	Others	2		
	3	Total (1 + 2)	A3		
	B	Liability for leased assets	iB		
	C	Interest Accrued and due on borrowings	iC		
	D	Interest accrued but not due on borrowings	iD		
	E	Income received in advance	iE		
	F	Other payables	iF		
	G	Total (A3 + iB + iC + iD + iE + iF)		iG	
	ii	Provisions			
	A	Provision for Income Tax	iiA		
	B	Provision for Leave encashment/Superannuation/Gratuity	iiB		
	C	Other Provisions	iiC		

	4	A	D Total (iiA + iiB-+ iiC)		iiE		
			iii Total (iE + iiD)		diii		
			E Net current assets (3c – diii)		3e		
			Miscellaneous expenditure not written off or adjusted		4a		
			B Deferred tax asset		4b		
			C Debit balance in Profit and loss account/ accumulated balance		4c		
NO ACCOUNT CASE	5	D Total (4a + 4b + 4c)		4d			
		Total, application of funds (1e + 2c + 3e +4d)		5			
		C In a case where regular books of account of business or profession are not maintained, furnish the following information as on 31 st day of March, 2026, in respect of business or profession					
		1	Amount of total sundry debtors			C1	
		2	Amount of total sundry creditors			C2	
		3	Amount of total stock-in-trade			C3	
4	Amount of the cash balance			C4			

Part A- Manufacturing account		Manufacturing Account for the financial year 2025-26 (fill items 1 to 3 in a case where regular books of account are maintained, otherwise fill items 62 to 66 as applicable)						
1	Debits to Manufacturing Account							
	A	Opening Inventory						
		i	Opening stock of raw-material	i				
		ii	Opening stock of Work in progress	ii				
		iii	Total (i + ii)			Aiii		
		B	Purchases (net of refunds and duty or tax, if any)				B	
		C	Direct wages				C	
		D	Direct expenses (Di + Dii + Diii)				D	
		i	Carriage inward	i				
			ii	Power and fuel	ii			
			iii	Other direct expenses	iii			
		E	Factory Overheads					
		i	Indirect wages	i				
		ii	Factory rent and rates	ii				
iii		Factory Insurance	iii					
iv	Factory fuel and power	iv						
v	Factory general expenses	v						
vi	Depreciation of factory machinery	vi						
	vii	Total (i+ii+iii+iv+v+vi)			Evii			
	F	Total of Debits to Manufacturing Account (Aiii+B+C+D+Evii)				F		
2	Closing Stock							
	i	Raw material	2i					
		ii	Work-in-progress	2ii				
	Total (2i +2ii)		2					
3	Cost of Goods Produced – transferred to Trading Account (1F-2)				3			

Part A- Trading Account		Trading Account for the financial year 2025-26 (fill items 4 to 12 in a case where regular books of account are maintained, otherwise fill items 62 to 66 as applicable)			
CREDITS TO TRADING ACCOUNT	4	Revenue from operations			
	A	Sales/ Gross receipts of business (net of returns and refunds and duty or tax, if any)			
	i	Sale of goods	i		
	ii	Sale of services	ii		
	iii	Other operating revenues (specify nature and amount)			
	a		iiia		
	b		iiib		
	c	Total (iiia + iiib)	iiic		
	iv	Total (i + ii + iiic)			Aiv
	B	Gross receipts from Profession			B
	C	Duties, taxes and cess received or receivable in respect of goods and services sold or supplied			
	i	Union Excise duties	i		
	ii	Service tax	ii		
	iii	VAT/ Sales tax	iii		
iv	Central Goods & Service Tax (CGST)	iv			
v	State Goods & Services Tax (SGST)	v			
vi	Integrated Goods & Services Tax (IGST)	vi			
vii	Union Territory Goods & Services Tax (UTGST)	vii			
viii	Any other duty, tax and cess	viii			
ix	Total (i + ii + iii + iv +v+ vi+vii+viii)			Cix	
D	Total Revenue from operations (Aiv + B +Cix)			4D	
	5	Closing Stock of Finished Goods			5
	6	Total of credits to Trading Account (4D + 5)			6
DEBITS TO TRADING ACCOUNT	7	Opening Stock of Finished Goods			7
	8	Purchases (net of refunds and duty or tax, if any)			8
	9	Direct Expenses (9i + 9ii + 9iii)			9
	i	Carriage inward	i		
	ii	Power and fuel	ii		
	iii	Other direct expenses Note: Row can be added as per the nature of Direct Expenses	iii		
	10	Duties and taxes, paid or payable, in respect of goods and services purchased			
	i	Custom duty	10i		
	ii	Counter veiling duty	10ii		
	iii	Special additional duty	10iii		
	iv	Union excise duty	10iv		
	v	Service tax	10v		
	vi	VAT/ Sales tax	10vi		
	vii	Central Goods & Service Tax (CGST)	10vii		
viii	State Goods & Services Tax (SGST)	10viii			
ix	Integrated Goods & Services Tax (IGST)	10ix			
x	Union Territory Goods & Services Tax (UTGST)	10x			
xi	Any other tax, paid or payable	10xi			

	xii	Total (10i + 10ii + 10iii + 10iv + 10v + 10vi + 10vii + 10viii + 10ix + 10x + 10xi)	10xi	
11		Cost of goods produced – Transferred from Manufacturing Account	11	
12		Gross Profit from Business/Profession— transferred to Profit and Loss account (6-7-8-9-10xii-11)	12	
12a		Turnover from Intraday Trading	12a	
12b		Income from Intraday Trading - transferred to Profit and Loss account	12b	
12c		Turnover from Futures & Options Trading	12c	
12d		Income from Futures & Options Trading - transferred to Profit and Loss account	12d	

Part A-P & L		Profit and Loss Account for the financial year 2025-26 (fill items 13 to 60 & 67 in a case where regular books of account are maintained, otherwise fill items 62 to 66 as applicable)			
CREDITS TO PROFIT AND LOSS ACCOUNT	13	Gross profit transferred from Trading Account (12+12b+12d)		13	
	14	Other income			
		i	Rent	i	
		ii	Commission	ii	
		iii	Dividend income	iii	
		iv	Interest income	iv	
		v	Profit on sale of fixed assets	v	
		vi	Profit on sale of investment being securities chargeable to Securities Transaction Tax (STT)	vi	
		vii	Profit on sale of other investment	vii	
		viii	Gain (loss) on account of foreign exchange fluctuation u/s 43AA	viii	
		ix	Profit on conversion of inventory into capital asset u/s 28(via) (FMV of inventory as on the date of conversion)	ix	
		x	Agricultural income	x	
		xi	Any other income (specify nature and amount)		
			A	xia	
		B	xib		
		C	Total (xia + xib)		
	xii	Total of other income (i + ii + iii + iv + v + vi + vii + viii + ix + x + xic)		14xii	
DEBITS TO PROFIT AND LOSS ACCOUNT	15	Total of credits to profit and loss account (13+14xii)		15	
	16	Freight outward		16	
	17	Consumption of stores and spare parts		17	
	18	Power and fuel		18	
	19	Rents		19	
	20	Repairs to building		20	
	21	Repairs to machinery		21	
	22	Compensation to employees			
		i	Salaries and wages	22i	
		ii	Bonus	22ii	
	iii	Reimbursement of medical expenses	22iii		
	iv	Leave encashment	22iv		
	v	Leave travel benefits	22v		

	vi	Contribution to approved superannuation fund	22vi		
	vii	Contribution to recognised provident fund	22vii		
	viii	Contribution to recognised gratuity fund	22viii		
	ix	Contribution to any other fund	22ix		
	x	Any other benefit to employees in respect of which an expenditure has been incurred	22x		
	xi	Total compensation to employees (total of 22i to 22x)			22xi
	xii	Whether any compensation, included in 22xi, paid to non-residents	xiiia	Yes / No	
		If Yes, amount paid to non-residents	xiib		
23	Insurance				
	i	Medical Insurance	23i		
	ii	Life Insurance	23ii		
	iii	Keyman's Insurance	23iii		
	iv	Other Insurance including factory, office, car, goods, etc.	23iv		
	v	Total expenditure on insurance (23i + 23ii + 23iii + 23iv)			23v
24	Workmen and staff welfare expenses				24
25	Entertainment				25
26	Hospitality				26
27	Conference				27
28	Sales promotion including publicity (other than advertisement)				28
29	Advertisement				29
30	Commission				
	i	Paid outside India, or paid in India to a non-resident other than a company or a foreign company	i		
	ii	To others	ii		
	iii	Total (i + ii)			30iii
31	Royalty				
	i	Paid outside India, or paid in India to a non-resident other than a company or a foreign company	i		
	ii	To others	ii		
	iii	Total (i + ii)			31iii
32	Professional / Consultancy fees / Fee for technical services				
	i	Paid outside India, or paid in India to a non-resident other than a company or a foreign company	i		
	ii	To others	ii		
	iii	Total (i + ii)			32iii
33	Hotel, boarding and Lodging				33
34	Traveling expenses other than on foreign traveling				34
35	Foreign travelling expenses				35
36	Conveyance expenses				36
37	Telephone expenses				37

38	Guest House expenses				38	
39	Club expenses				39	
40	Festival celebration expenses				40	
41	Scholarship				41	
42	Gift				42	
43	Donation				43	
44	Rates and taxes, paid or payable to Government or any local body (excluding taxes on income)					
	i	Union excise duty	44i			
	ii	Service tax	44ii			
	iii	VAT/ Sales tax	44iii			
	iv	Cess	44iv			
	v	Central Goods & Service Tax (CGST)	44v			
	vi	State Goods & Services Tax (SGST)	44vi			
	vii	Integrated Goods & Services Tax (IGST)	44vii			
	viii	Union Territory Goods & Services Tax (UTGST)	44viii			
	ix	Any other rate, tax, duty or cess incl STT and CTT	44ix			
	x	Total rates and taxes paid or payable (44i + 44ii + 44iii + 44iv + 44v + 44vi + 44vii + 44viii + 44ix)		44x		
45	Audit fee				45	
46	Salary/Remuneration paid to Partners of the firm				46	
47	Other expenses (specify nature and amount)					
	i		i			
	ii		ii			
	iii	Total (i + ii)		47iii		
48	Bad debts (specify PAN/ Aadhaar No. of the person, if available, for whom Bad Debt for amount of Rs. 1 lakh or more is claimed and amount)					
	i(1)		48i(1)			
	i(2)		48i(2)			
	i(3)		48i(3)			
	i	(Rows can be added as required) Total [48i(1)+48i(2)+48i(3)]		48i		
	ii	Others (more than Rs. 1 lakh) where PAN/ Aadhaar No. is not available (provide name and complete address)		48ii		
	iii	Others (amounts less than Rs. 1 lakh)		48iii		
	iv	Total Bad Debt (48i + 48ii + 48iii)		48iv		
49	Provision for bad and doubtful debts				49	
50	Other provisions				50	
51	Profit before interest, depreciation and taxes [15 – (16 to 21 + 22xi + 23v + 24 to 29 + 30iii + 31iii + 32iii + 33 to 43 + 44x + 45 + 46 + 47iii + 48iv + 49 + 50)]				51	
52	Interest					
	i	Paid outside India, or paid in India to a non-resident other than a company or to a foreign company		i		
	ii	To others		ii		
	iii	Total (i+ii)		52iii		

PROVISIONS FOR TAX AND APPROPRIATIONS	53	Depreciation and amortization			53		
	54	Net profit before taxes (51 – 52iii – 53)			54		
	55	Provision for current tax			55		
	56	Provision for Deferred Tax			56		
	57	Profit after tax (54 – 55 – 56)			57		
	58	Balance brought forward from previous year			58		
	59	Amount available for appropriation (57 + 58)			59		
	60	Transferred to reserves and surplus			60		
	61	Balance carried to balance sheet in proprietor's account (59 – 60)			61		
PRESUMPTIVE INCOME CASES	62	COMPUTATION OF PRESUMPTIVE BUSINESS INCOME UNDER SECTION 44AD (Only for Resident Partnership Firm other than LLP)					
		SR.NO.	Name of Business	Business code	Description		
		(i)	Gross Turnover or Gross Receipts (iA + iB + iC) (62i limited to Rs.2 Crores, however if [62iB+62iC] is less than or equal to 5% of 62i then the limit under 62i is extended to Rs.3 Crores.)			62i	
			A	Through a/c payee cheque or a/c payee bank draft or bank electronic clearing system or other prescribed electronic modes received before specified date	iA		
			B	Receipts in Cash	iB		
			C	Any mode other than A and B	iC		
		(ii)	Presumptive Income under section 44AD (iiA + iiB)			62ii	
			A	6% of 62iA, or the amount claimed to have been earned, whichever is higher	iiA		
			B	8% of (62iB + 62iC), or the amount claimed to have been earned, whichever is higher	iiB		
		<i>NOTE—If income is less than the above percentage of Gross Receipts/Turnover, it is mandatory to maintain books of account and have a tax audit under section 44AB</i>					
	63	COMPUTATION OF PRESUMPTIVE INCOME FROM PROFESSIONS UNDER SECTION 44ADA (Only for Resident Partnership Firm other than LLP)					
		SR.NO.	Name of Business/ Profession	Business code	Description		
		(i)	Gross Receipts (63i limited to Rs.50 Lakh, however if [63iB+63iC] is less than or equal to 5% of 63i then limit under 63i is extended to Rs.75 Lakh)			63i	
		A	Through a/c payee cheque or a/c payee bank draft or bank electronic clearing system received or prescribed electronic modes received before specified date	iA			
		B	Receipts in Cash	iB			
		C	Any mode other than A and B	iC			
	(ii)	Presumptive Income under section 44ADA (50% of 63i, or the amount claimed to have been earned, whichever is higher)			63ii		
	<i>NOTE—If income is less than 50% of Gross Receipts, it is mandatory to maintain books of account and have a tax audit under section 44AB</i>						
64	COMPUTATION OF PRESUMPTIVE INCOME FROM GOODS CARRIAGES UNDER SECTION 44AE						
	SR.NO.	Name of Business	Business code	Description			

		Registration	Whether	Tonnage	Number of	Presumptive income			
		No. of goods carriage	owned/leased/ hired	capacity of goods carriage (in MT)	months for which goods carriage was owned/ leased/ hired by assessee	u/s 44AE for the goods carriage (Computed @ Rs.1000 per ton per month in case tonnage exceeds 12MT, or else @ Rs.7500 per month) or the amount claimed to have been actually earned, whichever is higher			
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			
	(i)								
	(a)								
	(b)								
	Total								
	Add row options as necessary								
	(ii)	Total presumptive income from goods carriage u/s 44AE [total of column (5) of table 64(i)]					64(ii)		
	(iii)	Less: Salary/Remuneration to Partners of the firm					64(iii)		
	(iv)	Total Presumptive Income u/s 44AE (ii-iii)					64(iv)		
	<i>NOTE—If the profits are lower than prescribed under S.44AE or the number of goods carriage owned at any time during the year exceeds 10, it is mandatory to maintain books of account and have a tax audit under 44AB.</i>								
NO ACCOUNT CASE	65	IF REGULAR BOOKS OF ACCOUNT OF BUSINESS OR PROFESSION ARE NOT MAINTAINED, furnish the following information for previous year 2025-26 in respect of business or profession -							
		(i)	For assessee carrying on Business						
		a	Gross receipts (a1 + a2)			ia			
			1	Through a/c payee cheque or a/c payee bank draft or bank electronic clearing system or other prescribed electronic modes received before specified date		a1			
			2	Any other mode		a2			
		b	Gross profit			ib			
		c	Expenses			ic			
		d	Net profit				65i		
		(ii)	For assessee carrying on Profession						
		a	Gross receipts (a1 + a2)			ii a			
			1	a1		a1			
			2	a2		a2			
		b	Gross profit			ii b			
		c	Expenses			ii c			
		d	Net profit				65ii		
		(iii)	Total profit (65i + 65ii)					65iii	
		66	i	Turnover from speculative activity				66i	
		ii	Gross Profit				66ii		
		iii	Expenditure, if any				66iii		
		iv	Net income from speculative activity (66ii– 66iii)				66iv		
	67	In case of Non-Resident, if the total income comprises of profits and gains from business referred to in sections 44B, 44BB, 44BBA, 44BBC or 44BBD furnish the following information							
		i	Gross receipts / Turnover				67i		

	ii	Net profit	67ii	
--	----	------------	------	--

Part A- OI		Other Information (mandatory if liable for audit under section 44AB, for others, fill if applicable)		
OTHER INFORMATION	1	Method of accounting employed in the previous year (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> mercantile <input type="checkbox"/> cash		
	2	Is there any change in method of accounting (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No		
	3a	Increase in the profit or decrease in loss because of deviation, if any, as per Income Computation Disclosure Standards notified under section 145(2) [column XI(3) of Schedule ICDS]	3a	
	3b	Decrease in the profit or increase in loss because of deviation, if any, as per Income Computation Disclosure Standards notified under section 145(2) [column XI(4) of Schedule ICDS]	3b	
	4	Method of valuation of closing stock employed in the previous year		
	A	Raw Material (if at cost or market rates, whichever is less write 1, if at cost, write 2, if at market rate, write 3)		<input type="checkbox"/>
	B	Finished goods (if at cost or market rates, whichever is less write 1, if at cost, write 2, if at market rate, write 3)		<input type="checkbox"/>
	C	Is there any change in stock valuation method (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No		
	D	Increase in the profit or decrease in loss because of deviation, if any, from the method of valuation specified under section 145A	4d	
	E	Decrease in the profit or increase in loss because of deviation, if any, from the method of valuation specified under section 145A	4e	
	5	Amounts not credited to the profit and loss account, being -		
	A	the items falling within the scope of section 28	5a	
	B	the proforma credits, drawbacks, refund of duty of customs or excise or service tax, or refund of sales tax or value added tax, or refund of GST, where such credits, drawbacks or refunds are admitted as due by the authorities concerned	5b	
	C	escalation claims accepted during the previous year	5c	
	D	any other item of income	5d	
	E	capital receipt, if any	5e	
	F	Total of amounts not credited to profit and loss account (5a+5b+5c+5d+5e)	5f	
	6	Amounts debited to the profit and loss account, to the extent disallowable under section 36 due to non-fulfilment of condition specified in relevant clauses-		
	A	Premium paid for insurance against risk of damage or destruction of stocks or store [36(1)(i)]	6a	
	B	Premium paid for insurance on the health of employees [36(1)(ib)]	6b	
C	Any sum paid to an employee as bonus or commission for services rendered, where such sum was otherwise payable to him as profits or dividend [36(1)(ii)]	6c		
D	Any amount of interest paid in respect of borrowed capital [36(1)(iii)]	6d		
E	Amount of discount on a zero-coupon bond [36(1)(iia)]	6e		
F	Amount of contributions to a recognised provident fund [36(1)(iv)]	6f		
G	Amount of contributions to an approved superannuation fund [36(1)(iv)]	6g		
H	Amount of contribution to a pension scheme referred to in section 80CCD [36(1)(iva)]	6h		
I	Amount of contributions to an approved gratuity fund [36(1)(v)]	6i		
J	Amount of contributions to any other fund	6j		

	K	Any sum received from employees as contribution to any provident fund or superannuation fund or any fund set up under ESI Act or any other fund for the welfare of employees to the extent not credited to the employees account on or before the due date [36(1)(va)]	6k		
	L	Amount of bad and doubtful debts [36(1)(vii)]	6l		
	M	Provision for bad and doubtful debts [36(1)(viiia)]	6m		
	N	Amount transferred to any special reserve [36(1)(viii)]	6n		
	O	Expenditure for the purposes of promoting family planning amongst employees [36(1)(ix)]	6o		
	P	Amount of securities transaction paid in respect of transaction in securities if such income is not included in business income [36(1)(xv)]	6p		
	Q	Marked to market loss or other expected loss as computed in accordance with the ICDS notified u/s 145(2) [36(1)(xviii)]	6q		
	R	Expenditure for purchase of sugarcane in excess of the government approved price [36(1)(xvii)]	6r		
	S	Any other disallowance	6s		
	T	Total amount disallowable under section 36 (total of 6a to 6s)		6t	
	U	Total number of employees employed by the company (mandatory in case company has recognized Provident Fund)			
		i deployed in India	i		
		ii deployed outside India	ii		
		iii Total	iii		
7		Amounts debited to the profit and loss account, to the extent disallowable under section 37			
	A	Expenditure of capital nature [37(1)]	7a		
	B	Expenditure of personal nature [37(1)]	7b		
	C	Expenditure laid out or expended wholly and exclusively NOT for the purpose of business or	7c		
	D	Expenditure on advertisement in any souvenir, brochure, tract, pamphlet or the like, published by a political party [37(2B)]	7d		
	E	Expenditure by way of penalty or fine for violation of any law for the time being in force	7e		
	F	Any other penalty or fine	7f		
	G	Expenditure incurred for any purpose which is an offence or which is prohibited by law	7g		
	H	Amount of any liability of a contingent nature	7h		
	I	Any other amount not allowable under section	7i		
	J	Total amount disallowable under section 37 (total of 7a to 7i)		7j	
8	A.	Amounts debited to the profit and loss account, to the extent disallowable under section 40			
	a	Amount disallowable under section 40 (a)(i), on account of non-compliance with the provisions of Chapter XVII-B	Aa		
	b	Amount disallowable under section 40(a)(ia) on account of non-compliance with the provisions of Chapter XVII-B	Ab		
	c	Amount disallowable under section 40 (a)(ib), on account of non-compliance with the provisions of Chapter VIII of the Finance Act, 2016	Ac		
	d	Amount disallowable under section 40(a)(iii) on account of non-compliance with the provisions of Chapter XVII-B	Ad		
	e	Amount of tax or rate levied or assessed on the basis of profits [40(a)(ii)]	Ae		
	f	Amount paid as wealth tax [40(a)(ia)]	Af		

		g	Amount paid by way of royalty, license fee, service fee etc. as per section 40(a)(iib)	Ag		
		h	Amount of interest, salary, bonus, commission or remuneration paid to any partner or member [40(b)]	Ah		
		i	Any other disallowance	Ai		
		j	Total amount disallowable under section 40 (total of Aa to Ai)		8Aj	
	B.		Any amount disallowed under section 40 in any preceding previous year but allowable during the previous year		8B	
	9		Amounts debited to the profit and loss account, to the extent disallowable under section 40A			
		A	Amounts paid to persons specified in section 40A(2)(b)	9a		
		B	Amount paid otherwise than by account payee cheque or account payee bank draft or use of electronic clearing system through a bank account or through such electronic mode as may be prescribed, disallowable under section 40A(3)	9b		
		C	Provision for payment of gratuity [40A(7)]	9c		
		D	any sum paid by the assessee as an employer for setting up or as contribution to any fund, trust, company, AOP, or BOI or society or any other institution [40A(9)]	9d		
		E	Marked to market loss or other expected loss except as allowable u/s 36(1)(xviii) [40A(13)]	9e		
		F	Any other disallowance	9f		
		G	Total amount disallowable under section 40A		9g	
	10		Any amount disallowed under section 43B in any preceding previous year but allowable during the previous year			
		A	Any sum in the nature of tax, duty, cess or fee under any law	10a		
		B	Any sum payable by way of contribution to any provident fund or superannuation fund or gratuity fund or any other fund for the welfare of employees	10b		
		C	Any sum payable to an employee as bonus or commission for services rendered	10c		
		D	Any sum payable as interest on any loan or borrowing from any public financial institution or a State financial corporation or a State Industrial investment corporation	10d		
		Da	Any sum payable as interest on any loan or borrowing from such class of non-banking financial companies as may be notified by the Central Government	10da		
		E	Any sum payable as interest on any loan or borrowing from any scheduled bank or a co-operative bank other than a primary agricultural credit society or a primary co-operative agricultural and rural development bank	10e		
		F	Any sum payable towards leave encashment	10f		
		G	Any sum payable to the Indian Railways for the use of railway assets	10g		
		H	Any sum payable to a micro or small enterprise beyond the time limit specified in section 15 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (27 of 2006)	10h		
		I	Total amount allowable under section 43B (total of 10a to 10h)		10i	
	11		Any amount debited to profit and loss account of the previous year but disallowable under section 43B			
		A	Any sum in the nature of tax, duty, cess or fee under any law	11a		

	B Any sum payable by way of contribution to any provident fund or superannuation fund or gratuity fund or any other fund for the welfare of employees	11b		
	C Any sum payable to an employee as bonus or commission for services rendered	11c		
	D Any sum payable as interest on any loan or borrowing from any public financial institution or a State financial corporation or a State Industrial investment corporation	11d		
	Da Any sum payable as interest on any loan or borrowing from such class of non-banking financial companies as may be notified by the Central Government, in accordance with the terms and conditions of the agreement governing such loan or borrowing	11da		
	E Any sum payable as interest on any loan or borrowing from any scheduled bank or a co-operative bank other than a primary agricultural credit society or a primary co-operative agricultural and rural development bank	11e		
	F Any sum payable towards leave encashment	11f		
	G Any sum payable to the Indian Railways for the use of railway assets	11g		
	H Any sum payable to a micro or small enterprise beyond the time limit specified in section 15 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (27 of 2006)	11h		
	I Total amount disallowable under Section 43B(total of 11a to 11h)		11i	
12	Amount of credit outstanding in the accounts in respect of			
	A Union Excise Duty	12a		
	B Service tax	12b		
	C VAT/sales tax	12c		
	D Central Goods & Service Tax (CGST)	12d		
	E State Goods & Services Tax (SGST)	12e		
	F Integrated Goods & Services Tax (IGST)	12f		
	G Union Territory Goods & Services Tax (UTGST)	12g		
	H Any other tax	12h		
	I Total amount outstanding (total of 12a to 12h)		12i	
13	Amounts deemed to be profits and gains under section 33AB or 33ABA or 33AC			13
14	Any amount of profit chargeable to tax under section 41			14
15	Amount of income or expenditure of prior period credited or debited to the profit and loss account (net)			15
16	Amount of expenditure disallowed u/s 14A			16
17	Interest disallowable under section 23 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006			17
18	Whether assessee is exercising option under subsection 2A of section 92CE (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No [If yes , please fill schedule TPSA]			18

Part A – QD		Quantitative details (mandatory if liable for audit under section 44AB)	
QUANTITATIVE DETAILS	(a) In the case of a trading concern		
	1 Opening stock	1	
	2 Purchase during the previous year	2	
	3 Sales during the previous year	3	
	4 Closing stock	4	
	5 Shortage/ excess, if any	5	
	(b) In the case of a manufacturing concern		
	6 Raw materials		
	a Opening stock	6a	
	b Purchases during the previous year	6b	
	c Consumption during the previous year	6c	
	d Sales during the previous year	6d	
	e Closing stock	6e	
	f Yield finished products	6f	
	g Percentage of yield	6g	
	h Shortage/ excess, if any	6h	
	7 Finished products/ By-products		
	a opening stock	7a	
	b purchase during the previous year	7b	
	c quantity manufactured during the previous year	7c	
d sales during the previous year	7d		
e closing stock	7e		
f shortage/ excess, if any	7f		

SCHEDULES TO THE RETURN FORM (FILL AS APPLICABLE)

Schedule HP		Details of Income from House Property (Drop down to be provided indicating ownership of property)				
HOUSE PROPERTY	1	Address of property 1	Town/ City	State	Country	PIN Code/ Zip code
	Is the property co-owned? <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No (if "YES" please enter following details)					
	Assessee's percentage of share in the property % <input type="text"/>					
	Name of other Co-owner(s)		PAN/Aadhaar No. of Co-owner(s)		Percentage Share in Property (%)	
	I					
	II					
	/Tick <input checked="" type="checkbox"/> the applicable option]		Name(s) of Tenant(s) (if let out)		PAN/TAN/ Aadhaar No. of Tenant(s) (if TDS credit is claimed)	
	<input type="checkbox"/> Let out		I			
	<input type="checkbox"/> Deemed let out		II			
	A	Gross rent received or receivable or lettable value (higher of the two, if let out for whole of the year; lower of the two if let out for part of the year)			1a	
B	The amount of rent which cannot be realized		1b			
C	Tax paid to local authorities		1c			
D	Total (1b + 1c)		1d			

E	Annual value (1a – 1d)	1e	
F	Annual value of the property owned (own percentage share x 1e)	1f	
G	30% of 1f	1g	
H	Interest payable on borrowed capital (Details are to be filled in the drop down to be provided in e-filing utility)	1h	
I	Total (1g + 1h)	1i	
J	Arrears/Unrealised rent received during the year less 30%	1j	
K	Income from house property 1 (1f – 1i + 1j)	1k	
	(fill up details separately for each property)		
2	Pass through income/ Loss if any *	2	
3	Income under the head “Income from house property” (Σ 1k + 2) (if negative, take the figure to 2i of schedule CYLA)	3	
NOTE	Furnishing of PAN/Aadhaar No. of tenant is mandatory if tax is deducted under section 194-IB. Furnishing of TAN of tenant is mandatory if tax is deducted under section 194-I.		

Schedule BP		Computation of income from business or profession		
INCOME FROM BUSINESS OR PROFESSION	A	From business or profession other than speculative business and specified business		
	1	Profit before tax as per profit and loss account (item 54, 62(ii), 63(ii), 64(iv), 65(iii), 66(iv) & 67(ii) of Part A-P&L)		
	2a	Net profit or loss from speculative business included in 1 (enter –ve sign in case of loss) [Sl.no.12b of Trading account + Sl. No. 66iv of Schedule P&L]	2a	
	2b	Net profit or Loss from Specified Business u/s 35AD included in 1 (enter –ve sign in case of loss)	2b	
	3	Income/ receipts credited to profit and loss account considered under other heads of income or chargeable u/s 115BBF or chargeable u/s 115BBG or chargeable u/s 115BBH	a	House property
			b	Capital gains
			c	Other sources
			ci	Dividend income
			cii	Other than dividend income
			ciii	u/s 115BBF
	d	u/s 115BBG		
	e	u/s 115BBH		
	f	u/s 115BBH (net of Cost of Acquisition, if any)	3f	(Item No. A of Schedule VDA)
	4a	Profit or loss included in 1, which is referred to in section 44AD/ 44ADA/ 44AE/ 44B/ 44BB/ 44BBA/44BBC/44BBD/44DA/ First schedule of Income-tax Act(other than profit from life insurance business referred to in section 115B) (Dropdown to be provided)	4a	
	4b	Profit and gains from life insurance business referred to in section 115B	4b	
	4c	Profit from activities covered under rule 7, 7A, 7B(1), 7B(1A) and 8 (Dropdown to be provided)	4c	
	5	Income credited to Profit and Loss account (included in 1) which is exempt		
	a	Share of income from firm(s)	5a	
	b	Share of income from AOP/ BOI	5b	
	c	Any other exempt income (specify nature and amount)		
			i	Ci
			ii	Cii
iii	Total (ci + cii)	5ciii		
d	Total exempt income (5a + 5b + 5ciii)	5d		
5A	Income or receipts credited to Profit and Loss account but not chargeable to tax under the Act.	5A		

6	Balance (1- 2a - 2b - 3a - 3b - 3c - 3d - 3e - 3f - 4a -4b-4c— 5d-5A)			6	
7	Expenses debited to profit and loss account considered under other heads of income/related to income chargeable u/s 115BBF/or u/s 115BBG or u/s 115BBH	A	House property	7a	
		B	Capital gains	7b	
		C	Other sources	7c	
		D	u/s 115BBF	7d	
		E	u/s 115BBG	7e	
		F	u/s 115BBH (other than Cost of Acquisition)	7f	
8a	Expenses debited to profit and loss account which relate to exempt income			8a	
8b	Expenses debited to profit and loss account which relate to exempt income and disallowed u/s 14A (16 of Part A-OI)			8b	
9	Total (7a + 7b + 7c + 7d + 7e + 7f + 8a+ 8b)			9	
10	Adjusted profit or loss (6+9)			10	
11	Depreciation and amortisation debited to profit and loss account			11	
12	Depreciation allowable under Income-tax Act				
	i	Depreciation allowable under section 32(1)(ii) and 32(1)(ia) (column 6 of Schedule-DEP)	12i		
	ii	Depreciation allowable under section 32(1)(i) (Make your own computation refer Appendix-IA of IT Rules)	12ii		
	iii	Total (12i + 12ii)	12iii		
13	Profit or loss after adjustment for depreciation (10 +11 – 12iii)			13	
14	Amounts debited to the profit and loss account, to the extent disallowable under section 36 (6f of Part A-OI)			14	
15	Amounts debited to the profit and loss account, to the extent disallowable under section 37 (7j of Part A-OI)			15	
16	Amounts debited to the profit and loss account, to the extent disallowable under section 40 (8Aj of Part A-OI)			16	
17	Amounts debited to the profit and loss account, to the extent disallowable under section 40A (9g of Part-A-OI)			17	
18	Any amount debited to profit and loss account of the previous year but disallowable under section 43B (11i of Part A-OI)			18	
19	Interest disallowable under section 23 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (17 of Part A- OI)			19	
20	Deemed income under section 41			20	
21	Deemed income under section 32AC/ 32AD/ 33AB/ 33ABA/35ABA/35ABB/ 35AC/ 40A(3A)/ 33AC/ 72A/ 80HHD/ 80-IA			21	
22	Deemed income under section 43CA			22	
23	Any other item of addition under section 28 to 44DB			23	
24	Any other income not included in profit and loss account/any other expense not allowable (including income from salary, commission, bonus and interest from firms in which assessee is a partner)			24	
25	Increase in profit or decrease in loss on account of ICDS adjustments and deviation in method of valuation of stock (Column 3a + 4d of Part A- OI)			25	
26	Total (14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21+22 +23+24+25)			26	
27	Deduction allowable under section 32(1)(iii)			27	
28	Amount of deduction under section 35 or 35CCC or 35CCD in excess of the amount debited to profit and loss account (item x(4) of Schedule ESR) (if amount deductible under section 35 or 35CCC or 35CCD is lower than amount debited to P&L account, it will go to item 24)			28	

29	Any amount disallowed under section 40 in any preceding previous year but allowable during the previous year (8B of Part A-OI)	29		
30	Any amount disallowed under section 43B in any preceding previous year but allowable during the previous year (10i of Part A-OI)	30		
31	Any other amount allowable as deduction	31		
32	Decrease in profit or increase in loss on account of ICDS adjustments and deviation in method of valuation of stock (Column 3b + 4e of Part A- OI)	32		
33	Total (27+28+29+30+31+32)			33
34	Income (13+26-33)			34
35	Profits and gains of business or profession deemed to be under -			
	i	Section 44AD [62(ii) of schedule]	35i	
	ii	Section 44ADA [63(ii) of schedule]	35ii	
	iii	Section 44AE [64(iv) of schedule]	35iii	
	iv	Section 44B	35iv	
	v	Section 44BB	35v	
	via	Section 44BBA	35vi	
	vib	Section 44BBC	35vib	
	vic	Section 44BBD	35vic	
	vii	Section 44DA	35 vii	(item 4 of Form 3CE)
	viii	First Schedule to the Income-tax Act, 1961 (other than 115B)	35viii	
	ix	Total (35i to 35viii)		35 ix
36	Net profit or loss from business or profession other than speculative and specified business (34 + 35 ix)			36
37	Net Profit or loss from business or profession other than speculative business and specified business after applying rule 7A, 7B or 8, if applicable (If rule 7A, 7B or 8 is not applicable, enter same figure as in 36) (If loss take the figure to 2i of item E) (37a+ 37b + 37c + 37d + 37e + 37f)			A37
	a	Income chargeable under Rule 7	37a	
	b	Deemed income chargeable under Rule 7A	37b	
	c	Deemed income chargeable under Rule 7B(1)	37c	
	d	Deemed income chargeable under Rule 7B(1A)	37d	
	e	Deemed income chargeable under Rule 8	37e	
	f	Income other than Rule 7A, 7B & Rule 8 (Item No. 36)	37f	
38	Balance of income deemed to be from agriculture, after applying Rule 7, 7A, 7B(1), 7B(1A) and Rule 8 for the purpose of aggregation of income as per Finance Act [4c-(37a+37b+37c+37d+37e)]			38
B Computation of income from speculative business				
39	Net profit or loss from speculative business as per profit or loss account			39
40	Additions in accordance with section 28 to 44DB			40
41	Deductions in accordance with section 28 to 44DB			41
42	Income from speculative business (if loss, take the figure to 6xvii of schedule CFL)			B42
C Computation of income from specified business under section 35AD				
43	Net profit or loss from specified business as per profit or loss account			43
44	Additions in accordance with section 28 to 44DB			44
45	Deductions in accordance with section 28 to 44DB (other than deduction under section,- (i) 35AD, (ii) 32 or 35 on which deduction u/s 35AD is claimed)			45
46	Profit or loss from specified business (43+44-45)			46
47	Deductions in accordance with section 35AD(1)			47
48	Income from Specified Business (46-47) (if loss, take the figure to 7xv ii of schedule CFL)			C48
49	Relevant clause of sub-section (5) of section 35AD which covers the specified business (to be selected from drop down menu)			C49
D	Income chargeable under the head 'Profits and gains from business or profession' (A37+B42+C48)			D

E Intra-head set off of business loss of current year				
Sl.	Type of Business income	Income of current year (Fill this column only if figure is zero or positive)	Business loss set off	Business income remaining after set off
		(1)	(2)	(3) = (1) – (2)
i	Loss to be set off (Fill this row only if figure is negative)		(A37)	
ii	Income from speculative business	(B42)		
iii	Income from specified business	(C48)		
iv	Income from life insurance business under section 115B	(4b)		
v	Total loss set off (ii + iii+iv)			
v	Loss remaining after set off (i – v)			

Schedule DPM		Depreciation on Plant and Machinery (Other than assets on which full capital expenditure is allowable as deduction under any other section)			
1	Block of assets	Plant and machinery			
		15	30	40	45
2	Rate (%)	(i)	(ii)	(iii)	(iv)
3a	Written down value on the first day of previous year				
3b	Adjustment as per second proviso to sub-section (3) of section 115BAC (Refer to rule 5)				
3	Total (3a + 3b)				
4	Additions for a period of 180 days or more in the previous year				
5	Consideration or other realization during the previous year out of 3 or 4				
6	Amount on which depreciation at full rate to be allowed (3+4 – 5) (enter 0, if result is negative)				
7	Additions for a period of less than 180 days in the previous year				
8	Consideration or other realizations during the year out of 7				
9	Amount on which depreciation at half rate to be allowed (7 – 8) (enter 0, if result is negative)				
10	Depreciation on 6 at full rate				
11	Depreciation on 9 at half rate				
12	Additional depreciation, if any, on 4				
13	Additional depreciation, if any, on 7				
14	Additional depreciation relating to immediately preceding year* on asset put to use for less than 180 days				
15	Total depreciation* (10+11+12+13+14)				
16	Depreciation disallowed under section 38(2) of the Income-tax Act, 1961 (out of column 15)				
17	Net aggregate depreciation (15-16)				

18	Proportionate aggregate depreciation allowable in the event of succession, amalgamation, demerger etc. (out of column 17)				
19	Expenditure incurred in connection with transfer of asset/assets				
20	Capital gains/ loss under section 50* (5 + 8 - 3-4 -7 - 19) (enter negative only if block ceases to exist)				
21	Written down value on the last day of previous year* (6+ 9 -15) (enter 0 if result is negative)				

Schedule DOA		Depreciation on other assets (Other than assets on which full capital expenditure is allowable as deduction)							
DEPRECIATION ON OTHER ASSETS	1	Block of assets	Land	Building (not including land)			Furniture and fittings	Intangible assets	Ships
	2	Rate (%)	Nil	5	10	40	10	25	20
			(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)
	3	Written down value on the first day of previous year							
	4	Additions for a period of 180 days or more in the previous year							
	5	Consideration or other realization during the previous year out of 3 or 4							
	6	Amount on which depreciation at full rate to be allowed (3 + 4 - 5) (enter 0, if result is negative)							
	7	Additions for a period of less than 180 days in the previous year							
	8	Consideration or other realizations during the year out of 7							
	9	Amount on which depreciation at half rate to be allowed (7-8) (enter 0, if result is negative)							
	10	Depreciation on 6 at full rate							
	11	Depreciation on 9 at half rate							
	12	Total depreciation* (10+11)							
	13	Depreciation disallowed under section 38(2) of the Income-tax Act, 1961 (out of column 12)							
	14	Net aggregate depreciation (12-13)							
	15	Proportionate aggregate depreciation allowable in the event of succession, amalgamation, demerger etc. (out of column 14)							
16	Expenditure incurred in connection with transfer of asset/assets								

17	Capital gains/ loss under section 50 (5 + 8 -3-4 -7 -16) (enter negative only if block ceases to exist)						
18	Written down value on the last day of previous year* (6+ 9 -12) (enter 0 if result is negative)						

Schedule DEP		Summary of depreciation on assets (Other than assets on which full capital expenditure is allowable as deduction under any other section)					
SUMMARY OF DEPRECIATION ON ASSETS	1	Plant and machinery					
	a	Block entitled for depreciation @ 15 per cent (Schedule DPM – 17i or 18i as applicable)	1a				
	b	Block entitled for depreciation @ 30 per cent (Schedule DPM – 17ii or 18ii as applicable)	1b				
	c	Block entitled for depreciation @ 40 per cent (Schedule DPM – 17iii or 18iii as applicable)	1c				
	d	Block entitled for depreciation @ 45 per cent (Schedule DPM – 17iv or 18iv as applicable)					
	e	Total depreciation on plant and machinery (1a + 1b + 1c +1d)					1d
	2	Building (not including land)					
	a	Block entitled for depreciation @ 5 per cent (Schedule DOA- 14ii or 15ii as applicable)	2a				
	b	Block entitled for depreciation @ 10 per cent (Schedule DOA- 14iii or 15iii as applicable)	2b				
	c	Block entitled for depreciation @ 40 per cent (Schedule DOA- 14iv or 15iv as applicable)	2c				
	d	Total depreciation on building (total of 2a + 2b + 2c)					2d
	3	Furniture and fittings (Schedule DOA- 14v or 15v as applicable)					3
	4	Intangible assets (Schedule DOA- 14vi or 15vi as applicable)					4
	5	Ships (Schedule DOA- 14vii or 15vii as applicable)					5
	6	Total depreciation (1e+2d+3+4+5)					6

Schedule DCG		Deemed Capital Gains on sale of depreciable assets					
SUMMARY OF DEPRECIATION ON ASSETS	1	Plant and machinery					
	a	Block entitled for depreciation @ 15 per cent (Schedule DPM – 20i)	1a				
	b	Block entitled for depreciation @ 30 per cent (Schedule DPM – 20ii)	1b				
	c	Block entitled for depreciation @ 40 per cent (Schedule DPM – 20iii)	1c				
	d	Block entitled for depreciation @ 45 per cent (Schedule DPM – 20iv)					
	e	Total (1a +1b + 1c + 1d)					1d
	2	Building (not including land)					
	a	Block entitled for depreciation @ 5 per cent (Schedule DOA- 17ii)	2a				
	b	Block entitled for depreciation @ 10 per cent (Schedule DOA- 17iii)	2b				
	c	Block entitled for depreciation @ 40 per cent (Schedule DOA- 17iv)	2c				
	d	Total (2a + 2b + 2c)					2d
	3	Furniture and fittings (Schedule DOA- 17v)					3
	4	Intangible assets (Schedule DOA- 17vi)					4
	5	Ships (Schedule DOA- 17vii)					5
	6	Total (1e+2d+3+4+5)					6

Schedule ESR		Expenditure on scientific Research etc. (Deduction under section 35 or 35CCC or 35CCD)		
Sl No	Expenditure of the nature referred to in section (1)	Amount, if any, debited to profit and loss account (2)	Amount of deduction allowable (3)	Amount of deduction in excess of the amount debited to profit and loss account (4) = (3) – (2)
I	35(1)(i)			
ii	35(1)(ii)			
iii	35(1)(ia)			
iv	35(1)(iii)			
v	35(1)(iv)			
vi	35(2AA)			
vii	35(2AB)			
viii	35CCC			
ix	35CCD			
X	Total			

NOTE In case any deduction is claimed under sections 35(1)(ii) or 35(1)(ia) or 35(1)(iii) or 35(2AA), please provide the details as per Schedule RA.

Sched	Capital Gains																																																																																																																																																																																																																															
ule	CG																																																																																																																																																																																																																															
A	Short-term Capital Gains (STCG) (Sub-items 4 & 5 are not applicable for residents)																																																																																																																																																																																																																															
	<table border="1"> <tr> <td rowspan="2">1</td> <td colspan="8">From sale of land or building or both (fill up details separately for each property)(in case of co-ownership, enter your share of capital gain)</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Date of purchase/acquisition</td> <td>DD/MM/YYYY</td> <td colspan="2">Date of sale/transfer</td> <td colspan="2">DD/MM/YYYY</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td rowspan="10">a</td> <td rowspan="3">i</td> <td colspan="6">Full value of consideration received/receivable</td> <td>ai</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="6">Value of property as per stamp valuation authority</td> <td>aii</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="6">Full value of consideration adopted as per section 50C for the purpose of Capital Gains [in case (aii) does not exceed 1.10 times (ai), take this figure as (ai), or else take (aii)]</td> <td>aiii</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="5">b</td> <td colspan="7">Deductions under section 48</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">i</td> <td colspan="6">Reduction as per clause (iii) of section 48 of the Act, read with Rule 8AB</td> <td>bi</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="6">Cost of acquisition without indexation</td> <td>bii</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="6">Cost of Improvement without indexation</td> <td>biii</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="6">Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer</td> <td>biv</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="6">Total (bi + bii + biii+biv)</td> <td>bv</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="7">c Balance (aiii – bv)</td> <td>1c</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="7">d Deduction under section 54G/54GA (Specify details in item D below)</td> <td>1d</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="7">e Short-term Capital Gains on Immovable property (1c – 1d)</td> <td></td> <td>A1e</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">f</td> <td colspan="8">In case of transfer of immovable property, please furnish the following details (see note)</td> </tr> <tr> <td>S. No.</td> <td>Name of buyer(s)</td> <td>PAN/Aadhaar No. of buyer(s)</td> <td>Percentage share</td> <td>Amount</td> <td>Address of property, Country code, ZIP code</td> <td>Pin code</td> <td>State</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> NOTE  Furnishing of PAN/Aadhaar No. is mandatory, if the tax is deduced under section 194-IA or is quoted by buyer in the documents. In case of more than one buyer, please indicate the respective percentage share and amount. </td> </tr> <tr> <td rowspan="5">2</td> <td colspan="8">From slump sale</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">a</td> <td rowspan="2">i</td> <td colspan="6">Fair market value as per Rule 11UAE(2)</td> <td>2ai</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="6">Fair market value as per Rule 11UAE(3)</td> <td>2aii</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="6">Full value of consideration (higher of ai or aii)</td> <td>2aiii</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="6">b Net worth of the under taking or division (6(e) of Form 3CEA)</td> <td>2b</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="6">c Short term capital gains from slump sale (2Aiii-2B)</td> <td></td> <td>A2c</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">3</td> <td colspan="8">From sale of equity share or unit of equity oriented Mutual Fund (MF) or unit of a business trust on which STT is paid under section 111A or 115AD(1)(b)(ii) proviso (for FII) (where A4 is not applicable)</td> </tr> <tr> <td>a</td> <td colspan="6">Full value of consideration</td> <td>3a</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="6">B Deductions under section 48</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	1	From sale of land or building or both (fill up details separately for each property)(in case of co-ownership, enter your share of capital gain)								Date of purchase/acquisition		DD/MM/YYYY	Date of sale/transfer		DD/MM/YYYY				a	i	Full value of consideration received/receivable						ai		Value of property as per stamp valuation authority						aii		Full value of consideration adopted as per section 50C for the purpose of Capital Gains [in case (aii) does not exceed 1.10 times (ai), take this figure as (ai), or else take (aii)]						aiii		b	Deductions under section 48									i	Reduction as per clause (iii) of section 48 of the Act, read with Rule 8AB						bi		Cost of acquisition without indexation						bii		Cost of Improvement without indexation						biii		Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer						biv		Total (bi + bii + biii+biv)						bv		c Balance (aiii – bv)							1c		d Deduction under section 54G/54GA (Specify details in item D below)							1d		e Short-term Capital Gains on Immovable property (1c – 1d)								A1e	f	In case of transfer of immovable property, please furnish the following details (see note)								S. No.	Name of buyer(s)	PAN/Aadhaar No. of buyer(s)	Percentage share	Amount	Address of property, Country code, ZIP code	Pin code	State	NOTE  Furnishing of PAN/Aadhaar No. is mandatory, if the tax is deduced under section 194-IA or is quoted by buyer in the documents. In case of more than one buyer, please indicate the respective percentage share and amount.								2	From slump sale								a	i	Fair market value as per Rule 11UAE(2)						2ai		Fair market value as per Rule 11UAE(3)						2aii		Full value of consideration (higher of ai or aii)						2aiii		b Net worth of the under taking or division (6(e) of Form 3CEA)						2b		c Short term capital gains from slump sale (2Aiii-2B)							A2c	3	From sale of equity share or unit of equity oriented Mutual Fund (MF) or unit of a business trust on which STT is paid under section 111A or 115AD(1)(b)(ii) proviso (for FII) (where A4 is not applicable)								a	Full value of consideration						3a		B Deductions under section 48						
1	From sale of land or building or both (fill up details separately for each property)(in case of co-ownership, enter your share of capital gain)																																																																																																																																																																																																																															
	Date of purchase/acquisition		DD/MM/YYYY	Date of sale/transfer		DD/MM/YYYY																																																																																																																																																																																																																										
a	i	Full value of consideration received/receivable						ai																																																																																																																																																																																																																								
		Value of property as per stamp valuation authority						aii																																																																																																																																																																																																																								
		Full value of consideration adopted as per section 50C for the purpose of Capital Gains [in case (aii) does not exceed 1.10 times (ai), take this figure as (ai), or else take (aii)]						aiii																																																																																																																																																																																																																								
	b	Deductions under section 48																																																																																																																																																																																																																														
		i	Reduction as per clause (iii) of section 48 of the Act, read with Rule 8AB						bi																																																																																																																																																																																																																							
			Cost of acquisition without indexation						bii																																																																																																																																																																																																																							
		Cost of Improvement without indexation						biii																																																																																																																																																																																																																								
		Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer						biv																																																																																																																																																																																																																								
	Total (bi + bii + biii+biv)						bv																																																																																																																																																																																																																									
	c Balance (aiii – bv)							1c																																																																																																																																																																																																																								
d Deduction under section 54G/54GA (Specify details in item D below)							1d																																																																																																																																																																																																																									
e Short-term Capital Gains on Immovable property (1c – 1d)								A1e																																																																																																																																																																																																																								
f	In case of transfer of immovable property, please furnish the following details (see note)																																																																																																																																																																																																																															
	S. No.	Name of buyer(s)	PAN/Aadhaar No. of buyer(s)	Percentage share	Amount	Address of property, Country code, ZIP code	Pin code	State																																																																																																																																																																																																																								
	NOTE  Furnishing of PAN/Aadhaar No. is mandatory, if the tax is deduced under section 194-IA or is quoted by buyer in the documents. In case of more than one buyer, please indicate the respective percentage share and amount.																																																																																																																																																																																																																															
2	From slump sale																																																																																																																																																																																																																															
	a	i	Fair market value as per Rule 11UAE(2)						2ai																																																																																																																																																																																																																							
			Fair market value as per Rule 11UAE(3)						2aii																																																																																																																																																																																																																							
		Full value of consideration (higher of ai or aii)						2aiii																																																																																																																																																																																																																								
	b Net worth of the under taking or division (6(e) of Form 3CEA)						2b																																																																																																																																																																																																																									
c Short term capital gains from slump sale (2Aiii-2B)							A2c																																																																																																																																																																																																																									
3	From sale of equity share or unit of equity oriented Mutual Fund (MF) or unit of a business trust on which STT is paid under section 111A or 115AD(1)(b)(ii) proviso (for FII) (where A4 is not applicable)																																																																																																																																																																																																																															
	a	Full value of consideration						3a																																																																																																																																																																																																																								
B Deductions under section 48																																																																																																																																																																																																																																

		i	Reduction as per clause (iii) of section 48 of the Act, read with rule 8AB of the Rules	bi	
		ii	Cost of acquisition without indexation	bii	
		iii	Cost of Improvement without indexation	biii	
		iv	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer	biv	
		v	Total (i + ii + iii+iv)	bv	
	C		Balance (3a – bv)	3c	
	D		Loss to be disallowed u/s 94(7) or 94(8)- for example if asset bought/acquired within 3 months prior to record date and dividend/income/bonus units are received, then loss arising out of sale of such asset to be ignored (Enter positive value only)	3d	
	E		Short-term capital gain on equity share or equity oriented MF (STT paid) (3c +3d)		A3e
4	For NON-RESIDENT, not being an FII- from sale of shares or debentures of an Indian company (to be computed with foreign exchange adjustment under first proviso to section 48)				
	A	STCG on transactions covered u/s 111A			A4a
	B	STCG from sale of shares not covered in sl.no. 4A or sale of debentures			A4b
5	For NON-RESIDENTS- from sale of securities (other than those at A3 above) by an FII as per section 115AD				
	A	i	In case securities sold include shares of a company other than quoted shares, enter the following details		
		a	Full value of consideration received/receivable in respect of unquoted shares	ia	
		b	Fair market value of unquoted shares determined in the prescribed manner	ib	
		c	Full value of consideration in respect of unquoted shares adopted as per section 50CA for the purpose of Capital Gains (higher of a or b)	ic	
		ii	Full value of consideration in respect of securities other than unquoted shares	aii	
		iii	Total (ic + ii)	aiii	
	B	Deductions under section 48			
		i	Reduction as per clause (iii) of section 48 of the Act, read with rule 8AB of the Rules	bi	
		ii	Cost of acquisition without indexation	bii	
		iii	Cost of improvement without indexation	biii	
		iv	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer	biv	
		v	Total (i + ii + iii+iv)	bv	
	C		Balance (5aiii – bv)	5c	
	D		Loss to be disallowed u/s 94(7) or 94(8)- for example if security bought/acquired within 3 months prior to record date and dividend/income/bonus units are received, then loss arising out of sale of such security to be ignored (Enter positive value only)	5d	
	E		Short-term capital gain on securities (other than those at A3 above) by an FII (5c +5d)		A5e
6	From sale of assets other than at A1 or A2 or A3 or A4 or A5 above				
	a	i	In case assets sold include shares of a company other than quoted shares, enter the following details		
		a	Full value of consideration received/receivable in respect of unquoted shares	ia	
		b	Fair market value of unquoted shares determined in the prescribed manner	ib	
		c	Full value of consideration in respect of unquoted shares adopted as per section 50CA for the purpose of Capital Gains (higher of a or b)	ic	
		ii	Full value of consideration in respect of assets other than unquoted shares	aii	
		iii	Total (ic + ii)	aiii	
	b	Deductions under section 48			
		i	Reduction as per clause (iii) of section 48 of the Act, read with rule 8AB of the Rules	Bi	
		ii	Cost of acquisition without indexation	bii	
		iii	Cost of Improvement without indexation	biii	
		iv	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer	biv	
		v	Total (i + ii + iii+iv)	bv	
	c		Balance (6aiii – bv)	6c	

	d	In case of asset (security/unit) loss to be disallowed u/s 94(7) or 94(8)- for example if asset bought/acquired within 3 months prior to record date and dividend/income/bonus units are received, then loss arising out of sale of such asset to be ignored (Enter positive value only)					6d			
	e	Deemed short term capital gains on depreciable assets (6 of schedule- DCG)					6e			
	f	Deduction under section 54G/54GA					6f			
	g	STCG on assets other than at A1 or A2 or A3 or A4 or A5 above (6c + 6d + 6e – 6f)						A6g		
7	Amount deemed to be short term capital gains									
a	Whether any amount of unutilized capital gain on asset transferred during the previous years shown below was deposited in the Capital Gains Accounts Scheme within due date for that year? <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Not applicable. If yes, then provide the details below									
	Sl.	Previous year in which asset transferred	Section under which deduction claimed in that year	New asset acquired/constructed	Amount not used for new asset or remained unutilized in Capital gains account (X)					
				Previous year in which asset acquired/constructed	Amount utilized out of Capital Gains account					
	i	2022-23	54G/54GA							
	ii	2023-24	54G/54GA							
	iii	2024-25	54G/54GA							
b	Amount deemed to be short term capital gains u/s 54G/54GA, other than at 'a'									
c	Amount deemed to be short term capital gains as per Section 45(4) read with Section 9B of the Act					7c	Sl. No. 4b of form 5c			
Amount deemed to be short term capital gains (Xi + Xii + Xiii + b + c)							A7			
8	Pass Through Income/Loss in the nature of Short Term Capital Gain, (Fill up schedule PTI) (A8a A8b + A8c)							A8		
	a	Pass Through Income/ Loss in the nature of Short Term Capital Gain, chargeable @ 20%					A8a			
	b	Pass Through Income/Loss in the nature of Short Term Capital Gain, chargeable @ 30%					A8b			
	c	Pass Through Income/Loss in the nature of Short Term Capital Gain, chargeable at applicable rates					A8c			
9	Amount of STCG included in A1 – A8 but claimed as not chargeable to tax or chargeable at special rates in India as per DTAA (applicable for non-residents only)									
	Sl. No.	Amount of income	Item No. A1 to A8 above in which included	Country name & Code	Article of DTAA	Rate as per Treaty (enter NIL, if not chargeable)	Whether TRC obtained (Y/N)	Section of I.T. Act	Rate as per I.T. Act	Applicable rate [lower of (6) or (9)]
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	I									
	II									
	A	Total amount of STCG claimed as not chargeable to tax in India as per DTAA					A9a			
	B	Total amount of STCG claimed as chargeable to tax at special rates in India as per DTAA					A9b			
	A(A)	Capital loss on buy back of shares (can be claimed only if respective Dividend income u/s 2(22)(f) is offered in sl. no. 1a/iii or 2c/2d of Schedule OS) [Short Term Capital loss @20% / 30% / Applicable rate]					A(A)			
10	Total Short-term Capital Gain (A1e+ A2c+ A3e+ A4a+ A4b+ A5e+ A6g+A7 + A8-A9a+A(A))					A10				

B	Long-term capital gain (LTCG) (Sub-items 5,6 & 7 are not applicable for residents)								
Long-term Capital Gains	1	From sale of land or building or both (fill up details separately for each property)(from a to f)(in case of co-ownership, enter your share of Capital Gain)							
		Date of purchase/acquisition		DD/MM/YYYY		Date of sale/transfer		DD/MM/YYYY	
	A	i	Full value of consideration received/receivable				ai		
		ii	Value of property as per stamp valuation authority				aii		

		iii	Full value of consideration adopted as per section 50C for the purpose of Capital Gains [in case (aii) does not exceed 1.10 times (ai), take this figure as (ai), or else take (aii)]				aiii			
		B	Deductions under section 48							
		i	Reduction as per clause (iii) of section 48 of the Act, read with rule 8AB of the Rules				bi			
		ii	Cost of acquisition without indexation				bii			
		iiia	Cost of improvement without indexation				biia			
		iiiii	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer				biiii			
		iv	Total (bi+bii+biia+biiii)				biv			
		C	Balance (aiii – biv)				1c			
		D	Deduction under section 54D/54EC/54G/54GA (Specify details in item D below)						1d	
		E	Long-term Capital Gains on Immovable property (1c – 1d)					B1e		
		F	In case of transfer of immovable property, please furnish the following details (see note)							
			S.No.	Name of buyer(s)	PAN/Aadhaar No. of buyer(s)	Percentage share	Amount	Address of property, Country code, ZIP	Pin code	State
			NOTE ► Furnishing of PAN/Aadhaar No. is mandatory, if the tax is deducted under section 194-1A or is quoted by buyer in the documents. In case of more than one buyer, please indicate the respective percentage share and amount.							
		G	Total Long-term Capital Gains on Immovable property (ΣB1e)						B1g	
	2	From slump sale								
		i	Fair market value as per Rule 11UAE(2)				2ai			
		ii	Fair market value as per Rule 11UAE(3)				2aii			
		iii	Full value of consideration (higher of ai or aii)				2aiii			
		b	Net worth of the under taking or division(6(e) of Form 3CEA)				2b			
		c	Balance (2aiii – 2b)				2c			
		d	Deduction u/s 54EC				2d			
		e	Long term capital gains from slump sale (2c-2d)				B2e			
	3	From sale of listed securities (other than a unit) or zero coupon bonds as per section 112(1)								
		a	Full value of consideration					3a		
		b	Deductions under section 48							
		i	Reduction as per clause (iii) of section 48 of the Act, read with rule 8AB of the Rules				bi			
		ii	Cost of acquisition without indexation				bii			
		iii	Cost of improvement without indexation				biiii			
		iv	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer				biv			
		v	Total (bi + bii +biiii+biv)				bv			
		c	Long Term Capital Gains on assets at B3 (a – bv)					B3c		
	4	From sale of equity share in a company or unit of equity oriented fund or unit of a business trust on which STT is paid under section 112A								
		Long-term Capital Gains on sale of capital assets at B4(Column 14 of schedule 112A)						B4		
	5	For NON-RESIDENTS- from sale of unlisted shares or listed debenture of Indian company (to be computed with foreign exchange adjustment under first proviso to section 48)								
		LTCG computed without indexation benefit on unlisted shares or listed debentures						B5		
	6	For NON-RESIDENTS- from sale of, (i) unlisted securities as per sec. 112(1)(c), (ii) units referred in sec. 115AB, (iii) bonds or GDR as referred in sec. 115AC, (iv) securities by FII as referred to in sec.115AD								
		a	i	In case securities sold include shares of a company other than quoted shares, enter the following details						
			A	Full value of consideration received/receivable in respect of unquoted shares				ia		
			B	Fair market value of unquoted shares determined in the prescribed manner				ib		
			C	Full value of consideration in respect of unquoted shares adopted as per section 50CA for the purpose of Capital Gains (higher of a or b)				ic		
			ii	Full value of consideration in respect of securities other than unquoted shares				Aii		
			iii	Total (ic + ii)				Aiii		

			b	Deductions under section 48					
			i	Reduction as per clause (iii) of section 48 of the Act, read with rule 8AB of the Rules			Bi		
			ii	Cost of acquisition without indexation			Bii		
			iii	Cost of improvement without indexation			Biii		
			iv	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer			Biiv		
			v	Total (bi + bii +biii+biv)			Bv		
			c	Long-term Capital Gains on assets at B6 above in case of NON-RESIDENT (aiii-bv)			B6c		
		7	For FII/FPI (NON-RESIDENTS) - From sale of equity share in a company or unit of equity oriented fund or unit of a business trust on which STT is paid under section 112A read with section 115AD						
			Long-term Capital Gains on sale of capital assets at B7 (Column 14 of 115AD(1)(b)(iii) proviso)					B7	
		8	From sale of assets where B1 to B7 above are not applicable						
			a	i	In case assets sold include shares of a company other than quoted shares, enter the following details				
				A	Full value of consideration received/receivable in respect of unquoted shares			ia	
				B	Fair market value of unquoted shares determined in the prescribed manner			ib	
				C	Full value of consideration in respect of unquoted shares adopted as per section 50CA for the purpose of Capital Gains (higher of a or b)			ic	
				ii	Full value of consideration in respect of assets other than unquoted shares			aii	
				iii	Total (ic + ii)			aiii	
			b	Deductions under section 48					
				i	Reduction as per clause (iii) of section 48 of the Act, read with rule 8AB of the Rules			bi	
				ii	Cost of acquisition without indexation			bii	
				iii	Cost of improvement without indexation			biii	
				iv	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer			biv	
				v	Total (bi + bii +biii+biv)			bv	
				c	Balance (aiii – bv)			c	
				d	Deduction under section 54D//54G/54GA (Specify details in item D below)			d	
				e	Long-term Capital Gains on assets at B8 above (8c- 8d)			B8e	
		9	Amount deemed to be long-term capital gains						
			a	Whether any amount of unutilized capital gain on asset transferred during the previous year shown below was deposited in the Capital Gains Accounts Scheme within due date for that year? <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Not applicable. If yes, then provide the details below					
				S.no	Previous year in which asset transferred	Section under which deduction claimed in	New asset acquired/constructed	Amount not used for new asset or remained unutilized in Capital gains account (X)	
				i	2022-23	54D/54G/54GA			
				ii	2023-24	54D/54G/54GA			
				iii	2024-25	54D/54G/54GA			
			b	Amount deemed to be long-term capital gains, other than at 'a'			b		
			c	Amount deemed to be long term capital gains as per Section 45(4) read with Section 9B of the Act (Sl. No. 4b of Form 5c)			9c		
			Total Amount deemed to be long-term capital gains (aXi + aXii + aXiii + b+c)					B9	
		10	Pass Through Income/Loss in the nature of Long Term Capital Gain, (Fill up schedule PTI) (B10a1+B10a2)					B10	

	a1	Pass Through Income/ Loss in the nature of Long-Term Capital Gain, chargeable @ 12.5% u/s 112A					B10a1				
	a2	Pass Through Income/ Loss in the nature of Long-Term Capital Gain, chargeable @ 12.5% under sections other than u/s 112A					B10a2				
	11	Amount of LTCG included in items B1 to B10 but claimed as not chargeable to tax or chargeable at special rates in India as per DTAA (Applicable for non-residents only)									
		Sl. No.	Amount of income	Item No. B1 to B11 above in which included	Country name & Code	Article of DTAA	Rate as per Treaty (enter NIL, if not chargeable)	Whether TRC obtained (Y/N)	Section of Income-tax Act, 1961	Rate as per Income-tax Act, 1961	Applicable rate /lower of (6) or (9)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		I									
		II									
	a	Total amount of LTCG claimed as not chargeable to tax in India as per DTAA							B11a		
	b	Total amount of LTCG claimed as chargeable to tax at special rates in India as per DTAA							B11b		
	B(A)	Capital Loss on buy back of shares [Long Term @12.5%] (can be claimed only if respective Dividend income u/s 2(22)(f) is offered in 1a(iii) or 2c/2d of Schedule OS)							B(A)		
	12	Total long term capital gain [B1g + B2e + B3c + B4 + B5 + B6c + B7+ B8e+ B9+B10-B11a+B(A)]							B12		
	C1	Sum of Capital Gain Incomes (8ii + 8iii + 8iv + 8v + 8vi + 8vii of table E below)							C1		
	C2	Income from transfer of Virtual Digital Assets (Item No. B of Schedule VDA)							C2		
	C3	Income chargeable under the head "CAPITAL GAINS" (C1 + C2)							C3		
	D	Information about deduction claimed against Capital Gains									
	1	In case of deduction u/s 54D/54EC /54G/54GA give following details									
	a	Deduction claimed u/s 54D									
		i	Date of acquisition of original asset					Ai	dd/mm/yyyy		
		ii	Cost of purchase/ construction of new land or building for industrial undertaking					aii			
		iii	Date of purchase of new land or building					aiii	dd/mm/yyyy		
		iv	Amount deposited in Capital Gains Accounts Scheme before due date					aiv			
			(iva) Date of Deposit	(ivb) Account Number	(ivc) IFS Code						
			dd/mm/yyyy								
		v	Amount of deduction claimed					av			
	b	Deduction claimed u/s 54EC									
		i	Date of transfer of original asset					bi	dd/mm/yyyy		
		ii	Amount invested in specified/notified bonds (not exceeding fifty lakh rupees)					bii			
		iii	Date of investment					biii	dd/mm/yyyy		
		iv	Amount of deduction claimed					biv			
	c	Deduction claimed u/s 54G									
		i	Date of transfer of original asset					ci	dd/mm/yyyy		
		ii	Cost and expenses incurred for purchase or construction of new asset					cii			
		iii	Date of purchase/construction of new asset in an area other than urban area					ciii	dd/mm/yyyy		
		iv	Amount deposited in Capital Gains Accounts Scheme before due date					civ			
			(iva) Date of Deposit	(ivb) Account Number	(ivc) IFS Code						
			dd/mm/yyyy								
		v	Amount of deduction claimed					cv			
	d	Deduction claimed u/s 54GA									
		i	Date of transfer of original asset from urban area					di	dd/mm/yyyy		
		ii	Cost and expenses incurred for purchase or construction of new asset					dii			
		iii	Date of purchase/construction of new asset in SEZ					diii	dd/mm/yyyy		
		iv	Amount deposited in Capital Gains Accounts Scheme before due date					div			
			(iva) Date of Deposit	(ivb) Account Number	(ivc) IFS Code						
			dd/mm/yyyy								
		v	Amount of deduction claimed					dv			
	e	Total deduction claimed (1a + 1b + 1c + 1d)							e		

E Set-off of current year capital losses with current year capital gains (excluding amounts included in A9a & B11a which is NOT chargeable under DTAA)									
Sl.	Type of Capital Gain	Gain of current year (Fill this column only if computed figure is positive)	Short term capital loss set off				Long term capital loss set off		Current year's capital gains remaining after set off (8=1-2-3-4-5-6-7)
			20%	30%	applicable rate	DTAA rates	12.5%	DTAA rates	
		1	2	3	4	5	6	7	8
i	Loss to be set off (Fill this row if figure computed is negative) →		(A3e*+ A4a*+ A8a*+A(A))	(A5e*+ A8b*+A(A))	(A1e*+ A2c*+A4b*+A6g*+A7*+A8c*+A(A))	A9b	(B1g*+ B2e*+ B3c*+B4*+B5*+B6c*+ B7*+ B8e*+B9* B10a1*+B10a2*+B(A))	B11b	
ii	Short term capital gain	20%	(A3e*+ A4a*+ A8a*+A(A))						
iii		30%	(A5e*+ A8b*+A(A))						
iv		applicable rate	(A1e*+ A2c*+A4b*+A6g*+A7*+A8c*+A(A))						
v		DTAA rates	A9b						
vi		12.5%	(B1g*+ B2e*+B3c*+ B4*+B5*+B6c*+ B7*+ B8e*+B9* B10a1*+B10a2*+B(A))						
vii	DTAA rates	B11b							
viii	Total loss set off (ii + iii + iv + v + vi + vii)								
ix	Loss remaining after set off (i-viii)								
The figures of STCG in this table (A1e* etc.) are the amounts of STCG computed in respective column (A1-A8) is after setoff with similar securities and as reduced by the amount of STCG not chargeable to tax or chargeable at special rates as per DTAA, which is included therein, if any.									
The figures of LTCG in this table (B1e* etc.) are the amounts of LTCG computed in respective column (B1-B10) is after setoff with similar securities and as reduced by the amount of LTCG not chargeable to tax or chargeable at special rates as per DTAA, which is included therein, if any.									

F Information about accrual/receipt of capital gain									
Type of Capital gain / Date	Upto 15/6 (i)	16/6 to 15/9 (ii)	16/9 to 15/12 (iii)	16/12 to 15/3 (iv)	16/3 to 31/3 (v)				
1 Short-term capital gains taxable at the rate of 20% Enter value from item 5vi of schedule BFLA, if any.									
2 Short-term capital gains taxable at the rate of 30% Enter value from item 5vii of schedule BFLA, if any.									
3 Short-term capital gains taxable at applicable rates Enter value from item 5viii of schedule BFLA, if any.									
4 Short-term capital gains taxable at DTAA rates Enter value from item 5ix of schedule BFLA, if any.									
5 Long- term capital gains taxable at the rate of 12.5% Enter value from item 5x of schedule BFLA, if any.									
6 Long- term capital gains taxable at the rate DTAA rates Enter value from item 5xi of schedule BFLA, if any.									
7 Capital gains on transfer of Virtual Digital Asset taxable at the rate of 30% Enter value from item 19B of schedule SI, if any									

Schedule 112A From sale of equity share in a company or unit of equity oriented fund or unit of a business trust on which STT is paid under section 112A														
Sl. No.	Share/Unit acquired (On or before/after 31st	ISIN Code	Name of the Share/Unit	No. of Shares/Units	Sale-price per Share /Unit	Full Value of Consideration- if shares are acquired on or before 31.01.2018	Cost of acquisition without indexation Higher of 8 and 9	Cost of acquisition	If the long term capital asset was acquired before 01.02.2018,	Fair Market Value per share/unit as on 31st January, 2018	Total Fair Market Value of capital asset as per	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer	Total deductions (7+12)	Balance (6-13) Item 5 of LTCG Schedule

Schedule VDA						
Income from transfer of Virtual Digital Assets (Note: Details of every transaction are to be filled, wherein every 'transfer' is a transaction)						
Sl. No.	Date of Acquisition	Date of Transfer	Head under which income to be taxed (Business/Capital Gain)	Cost of Acquisition (In case of gift; a. Enter the amount on which tax is paid u/s 56(2)(x) if any b. In any other case cost to previous owner)	Consideration Received	Income from transfer of Virtual Digital Assets (enter nil in case of loss) (Col. 6 – Col. 5)
(Col. 1)	(Col. 2)	(Col. 3)	(Col. 4)	(Col. 5)	(Col. 6)	(Col. 7)
Add Rows						
A. Total (Sum of all Positive Incomes of Business Income in Col. 7)						(Item No. 3f of Schedule BP)
B. Total (Sum of all Positive Incomes of Capital Gain in Col. 7)						(Item No. C2 of Schedule CG)

Schedule OS							
Income from other sources							
OTHER SOURCES	1	Gross Income chargeable to tax at normal applicable rates (1a+ 1b+ 1c+ 1d + 1e)				1	
		a	Dividends, Gross (ai + aii + aiii)			1a	
		i	Dividend income other than (ii) and (iii)	ai			
		ii	Dividend income u/s 2(22)(e)	aii			
		iii	Dividend income u/s 2(22)(f)	aiii			
		b	Interest, Gross (bi + bii + biii + biv+bv)			1b	
		i	From Savings Bank	bi			
		ii	From Deposits (Bank/ Post Office/ Co-operative Society/)	bii			
		iii	From Income-tax Refund	biii			
		iv	In the nature of Pass through income/ loss	biv			
		v	Others including interest from Companies, NBFCs & HFCs	bv			
		c	Rental income from machinery, plants, buildings, etc., Gross			-	
		d	Income of the nature referred to in section 56(2)(x) which is chargeable to tax (di + dii + diii + div + dv)			1d	
		i	Aggregate value of sum of money received without consideration			di	
		ii	In case immovable property is received without consideration, stamp duty value of property			dii	
		iii	In case immovable property is received for inadequate consideration, stamp duty value of property in excess of such consideration			diii	
		iv	In case any other property is received without consideration, fair market value of property			div	
		v	In case any other property is received for inadequate consideration, fair market value of property in excess of such consideration			dv	
		e	Any other income (please specify nature)			1e	
		Sl. No.	Nature			Amount	
	1	Any specified sum received by a unit holder from a business trust during the previous year as referred to in section 56(2)(xii)					
		Rows can be added as required					
	2	Income chargeable at special rates (2ai + 2aii + 2b+ 2c+ 2d + 2e related to sl. no. 1)				2	
	ai	Winnings from lotteries, crossword puzzles, races, card games etc. chargeable u/s 115BB			2ai		

		aii	Income by way of winnings from online games chargeable u/s 115BBJ	2aii				
		b	Income chargeable u/s 115BBE (bi + bii + biii + biv+ bv + bvi)	2b				
			i	Cash credits u/s 68	bi			
			ii	Unexplained investments u/s 69	bii			
			iii	Unexplained money etc. u/s 69A	biii			
			iv	Undisclosed investments etc. u/s 69B	biv			
			v	Unexplained expenditure etc. u/s 69C	bv			
			vi	Amount borrowed or repaid on hundi u/s 69D	bvi			
			c	Any other income chargeable at special rate (total of ci to cxv)	2c			
			i	Dividends received by non-resident (not being company) or foreign company chargeable u/s 115A(1)(a)(i) other than proviso to section 115A(1)(a)(A)	ci			
			ia	Dividend received by non-resident (not being company) or foreign company from a unit in an International Financial Services Centre, as referred to in sub-section (1A) of section 80LA chargeable under proviso to section 115A(1)(a)(A)	cia			
			ii	Interest received from Government or Indian concern on foreign currency debts chargeable u/s 115A(1)(a)(ii)	cii			
			iii	Interest received from Infrastructure Debt Fund chargeable u/s 115A(1)(a)(iia)	ciii			
			iv	Interest referred to in section 194LC(1) - chargeable u/s 115A(1)(a)(iiaa) @ 5%	civ			
			v	Interest referred to in Proviso to section 194LC(1)- chargeable u/s 115A(1)(a)(iiaa)@4%	cv			
			vi	Interest referred to in section 194LD - chargeable u/s 115A(1)(a)(iiab)	cvi			
			vii	Distributed income being interest referred to in section 194LBA - chargeable u/s 115A(1)(a)(iiac)	cvii			
			viii	Income from units of UTI or other Mutual Funds specified in section 10(23D), purchased in Foreign Currency - chargeable u/s 115A(1)(a)(iii)	cviii			
			ix	Income from royalty or fees for technical services received from Government or Indian concern - chargeable u/s 115A(1)(b) (A) & 115A(1)(b)(B)	cix			
			x	Income by way of interest from bonds purchased in foreign currency by non-residents - chargeable u/s 115AC	cx			
	xi	Income by way of dividend from GDRs purchased in foreign currency by non-residents - chargeable u/s 115AC	cxii					
	xii	Income (other than dividend) received by an FII in respect of securities (other than units referred to in section 115AB) - chargeable u/s 115AD(1)(i)	cxiii					
	xiii	Income by way of interest received by an FII on bonds or Government securities referred to in section 194LD - chargeable as per proviso to section 115AD(1)(i)	cxiii					
	xiv	Income received by non-residents sportsmen or sports associations chargeable u/s 115BBA	cxiv					
	xv	Anonymous Donations in certain cases chargeable u/s 115BBC	cxv					

	xvi	Income by way of royalty from patent developed and registered in India - chargeable u/s 115BBF	cxvi							
	xvii	Income by way of transfer of carbon credits - chargeable u/s 115BBG	cxvii							
	xviii	Investment Income of a Non-Resident Indian - chargeable u/s 115E	cxviii							
	xix	115AB(1)(a) - Income in respect of units - off-shore fund	cxix							
	xx	Income being dividend received by an FII in respect of securities (other than units referred to in section 115AB) - chargeable u/s 115AD(1)(i)	cxx							
	xxi	Income being dividend received by a specified fund in respect of securities (other than units referred to in section 115AB) - chargeable u/s 115AD(1)(i)	cxxi							
	xxii	Income (other than dividend) received by a specified fund in respect of securities (other than units referred to in section 115AB) - chargeable u/s 115AD(1)(i)	cxxii							
	xxiii	Income received by non-resident as referred in second proviso to section 194LC(1) - chargeable u/s 115A(1)(a)(iaa) @ 9%	cxxiii							
d	Pass through income in the nature of income from other sources claimed as chargeable at special rates (<i>drop down to be provided</i>)									2d
e	Amount included in 1 and 2 above, which is claimed as chargeable at special rates in India as per DTAA (<i>total of column (2) of table below</i>) (<i>Applicable for non-residents only</i>)									2e
	Sl. No.	Amount of income	Item No.1ai, 1aiii, 1b to 1d to No.2a to 2d in which included	Country name & code	Article of DTAA	Rate as per Treaty (<i>enter NIL, if not chargeable</i>)	Whether TRC obtained (Y/N)	Section of I.T. Act	Rate as per I.T. Act	Applicable rate [<i>lower of (6) or (9)</i>]
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	I									
	II									
3	Deductions under section 57 (<i>other than those relating to income chargeable at special rates under 2a, 2b, 2c, 2d & 2e</i>)									
	A	Expenses / Deductions other than "C"							3a	
	B	Depreciation (available only if income offered in 1c)							3b	
	C	Interest expenditure on dividend u/s 57(i) (available only if income offered in 1a(i) and/or 1a(ii))							3c	
	Ci	Eligible Interest expenditure u/s 57(i) – computed value							3ci	
	D	Total							3d	
4	Amounts not deductible u/s 58									4
5	Profits chargeable to tax u/s 59									5
6	Net Income from other sources 1(after reducing income related to DTAA portion)-3+4+5 (<i>If negative take the figure to 4i of schedule CYLA</i>)									6
7	Income from other sources (other than from owning and maintaining race horses) (2 + 6) (<i>enter 6 as nil, if negative</i>)									7
8	Income from the activity of owning race horses									
	a	Receipts							8a	
	b	Deductions under section 57 in relation to receipts at 8a only							8b	
	c	Amounts not deductible u/s 58							8c	
	d	Profits chargeable to tax u/s 59							8d	
	e	Balance (8a - 8b + 8c + 8d) (<i>if negative take the figure to 10 xvii of Schedule CFL</i>)							8e	
9	Income under the head "Income from other sources" (7+ 8e) (<i>take 8e as nil if negative</i>)									9

10 Information about accrual/receipt of income from Other Sources						
S.No.	Other Source Income	Upto	From	From	From	From
		15/6	16/6 to	16/9 to	16/12 to	16/3 to
		(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)
1	Income by way of winnings from lotteries, crossword puzzles, races, games, gambling, betting etc. referred to in section 2(24)(ix)					
2	Income by way of winnings from online games u/s 115BBJ					
3a	Dividend Income referred in Sl. No 1a(i)					
3b	Dividend Income referred in Sl. No. 1a(iii)					
4	Dividend Income u/s 115A(1)(a)(i) other than proviso to section 115A(1)(a)(A) @ 20% (Including PTI Income)					
5	Dividend income under proviso to sec 115A(1)(a)(A) @10% (Including PTI Income)					
6	Dividend Income u/s 115AC @ 10% (Including PTI Income)					
7	Dividend Income (other than units referred to in section 115AB) received by a FII u/s 115AD(1)(i) @ 20% (Including PTI Income)					
8	Dividend Income (other than units referred to in section 115AB) received by a specified fund u/s 115AD(1)(i) @ 10% (Including PTI Income)					
9	Dividend income chargeable at DTAA Rates					

Schedule CYLA		Details of Income after Set off of current year losses				
Sl.No	Head/ Source of Income	Income of current year (Fill this column only if income is zero or positive)	House property loss of the current year set off	Business Loss (other than speculation or specified business loss) of the current year set off	Other sources loss (other than loss from race horses and amount chargeable to special rate of tax) of the current year set off	Current year's Income remaining after set off
		1	2	3	4	5=1-2-3-4
i	Loss to be set off (Fill this row only, if computed figure is negative)	→	(3 of Schedule -HP)	(2v of item E of Schedule BP)	(6 of Schedule-OS)	
ii	House property	(3 of Schedule HP)				
iii	Business (excluding Income from life insurance business u/s 115B, speculation income and income from specified business)	(A37 of Schedule BP)				
iv	Income from life insurance business u/s 115B	(3iv of item E of Sch. BP)				
v	Speculation income	(3ii of item E of Sch. BP)				
vi	Specified business income u/s 35AD	(3iii of item E of Sch. BP)				
vii	Short-term capital gain taxable @ 20%	(8ii of item E of Schedule CG)				
viii	Short-term capital gain taxable @ 30%	(8iii of item E of Schedule CG)				
ix	Short-term capital gain taxable at applicable rates	(8iv of item E of Schedule CG)				
x	Short-term capital gain taxable at special rates in India as per DTAA	(8v of item E of Schedule CG)				
xi	Long term capital gain taxable @ 12.5%	(8vi of item E of Schedule CG)				

xii	Long term capital gains taxable at special rates in India as per DTAA	(8vii of item E of Schedule CG)				
xiii	Net income from other sources chargeable at normal applicable rates	(6 of Schedule OS)				
xiv	Profit from the activity of owning and maintaining race horses	(8e of Schedule OS)				
xv	Income from other sources taxable at special rates in India as per DTAA	(2e of Schedule OS)				
xvi	Total loss set off					
xvii	Loss remaining after set-off (i – xvi)					

Schedule BFLA		Details of Income after Set off of Brought Forward Losses of earlier years				
Sl. No.	Head/ Source of Income	Income after set off, if any, of current year's losses as per 5 of Schedule CYLA)	Brought forward loss set off	Brought forward depreciation set off	Brought forward allowance under section 35(4) set off	Current year's income remaining after set off
		1	2	3	4	5
i	House property	(5ii of Schedule CYLA)	(B/f house property loss)			
ii	Business (excluding Income from life insurance business u/s 115B, speculation income and income from specified business)	(5iii of Schedule CYLA)	(B/f business loss, other than speculation or specified business loss) (Note: B/F loss set off will be restricted to business income excluding income u/s 44BB and 44BBD)	Note: B/F depreciation set off will be restricted to business income excluding income u/s 44BB and 44BBD)		
iii	Income from life insurance business u/s 115B	(5iv of Schedule CYLA)	(B/f business loss, other than speculation or specified business loss)			
iv	Speculation Income	(5v of Schedule CYLA)	(B/f normal business or speculation loss)			
v	Specified Business Income	(5vi of Schedule CYLA)	(B/f normal business or specified business loss)			
vi	Short-term capital gain taxable @ 20%	(5vii of schedule CYLA)	(B/f short-term capital loss)			
vii	Short-term capital gain taxable @ 30%	(5viii of Schedule CYLA)	(B/f short-term capital loss)			
viii	Short-term capital gain taxable at applicable rates	(5ix of Schedule CYLA)	(B/f short-term capital loss)			
ix	Short-term capital gain taxable at special rates in India as per DTAA	(5x of Schedule CYLA)	(B/f short-term capital loss)			
x	Long-term capital gain taxable @ 12.5%	(5xi of schedule CYLA)	(B/f short-term or long-term capital loss)			

xi	Long term capital gains taxable at special rates in India as per DTAA	(5xii of Schedule CYLA)	(B/f short-term or long-term capital loss)			
xii	Net income from other sources chargeable at normal applicable rates	(5xiii of Schedule CYLA)				
xiii	Profit from owning and maintaining race horses	(5xiv of Schedule CYLA)	(B/f loss from horse races)			
xiv	Income from other sources income taxable at special rates in India as per DTAA	(5xv of Schedule CYLA)				
xv	Total of brought forward loss set off (2i+2ii+2iii+2iv+2v+2vi+2vii+2viii+2ix+2x+2xi+2xiii)					
xvi	Current year's income remaining after set off of total of (5i + 5ii + 5iii+ 5iv + 5v + 5vi + 5vii + 5viii + 5ix + 5x+5xi +5xii+ 5xiii + 5xiv)					

Schedule CFL		Details of Losses to be carried forward to future years											
CARRY FORWARD OF LOSS	Sl. No.	Assessment Year	Date of Filing (DD/MM/YYYY)	House property loss	Loss from business other than loss from insurance business, loss from speculative business and specified business			Loss from speculative business	Loss from specified business	Loss from life insurance business u/s 115B	Short-term capital loss	Long-term Capital loss	Loss from owning and maintaining race horses
					Brought forward business loss	Amount as adjusted on account of opting for taxation under section 115BAD or 115BAC(1A)	Brought forward Business losses available for set off during the year						
	1	2	3	4	5a	5b	5c=5a-5b	6	7	8	9	10	11
	i	2010-11											
	ii	2011-12											
	iii	2012-13											
	iv	2013-14											
	v	2014-15											
	vi	2015-16											
	vii	2016-17											
	viii	2017-18											
	ix	2018-19											
	x	2019-20											
	xi	2020-21											
	xii	2021-22											
	xiii	2022-23											
	xiv	2023-24											
	xv	2024-25											
	xvi	2025-26											
	xvii	Total of earlier year losses b/f											
	xviii	Adjustment of above losses in Schedule BFLA		(2i of Schedule BFLA)			(2ii of Schedule BFLA)	(2iv of Schedule BFLA)	(2v of Schedule BFLA)	(2iii of schedule BFLA)			(2xiii of Schedule BFLA)
	xix	2026-27 (Current year losses)		(2xvii of Schedule CYLA)			(3xvii of Schedule CYLA)	(B42 of Schedule BP, if -ve)	(C48 of Schedule BP, if -ve)	(A4b of Schedule BP, if -ve)	(2ix+3ix+4ix+5ix) of item E of Schedule CG)	(6ix+7ix) of item E of Schedule CG)	(8e of Schedule OS, if -ve)

xx	Current year loss distributed among the unit-holder (Applicable for Investment fund only)										
xxi	Current year losses to be carried forward (xix-xx)										
xxii	Total loss Carried forward to future years (xvii-xviii+xxi)										

Schedule UD		Unabsorbed depreciation and allowance under section 35(4)						
Sl No	Assessment Year	Depreciation			Allowance under section 35(4)			
		Amount of brought forward unabsorbed depreciation	Amount as adjusted on account of opting for taxation under section 115BAD or 115BAC(1A)	Amount of depreciation set-off against the current year income	Balance carried forward to the next year	Amount of brought forward unabsorbed allowance	Amount of allowance set-off against the current year income	Balance Carried forward to the next year
(1)	(2)	(3)	3(a)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
i	Current Assessment Year							
ii								
iii								
iv								
v	Total			(3xvi of BFLA)			(4xvi of BFLA)	

Schedule ICDS		Effect of Income Computation Disclosure Standards on profit		
Sl. No.	ICDS	Increase in profit (Rs.)	Decrease in profit (Rs.)	Net effect (Rs.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	Accounting Policies			
II	Valuation of Inventories (other than the effect of change in method of valuation u/s 145A, if the same is separately reported at col. 4d or 4e of Part A-OI)			
III	Construction Contracts			
IV	Revenue Recognition			
V	Tangible Fixed Assets			
VI	Changes in Foreign Exchange Rates			
VII	Government Grants			
VIII	Securities (other than the effect of change in method of valuation u/s 145A, if the same is separately reported at col. 4d or 4e of Part A-OI)			
IX	Borrowing Costs			
X	Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets			
XI	Total effect of ICDS adjustments on profit (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)			

Schedule 10AA		Deduction under section 10AA			
DEDUCTION U/S 10AA	Deductions in respect of units located in Special Economic Zone				
	SI	Undertaking	Assessment year in which unit begins to manufacture/produce/provide services	SI	Amount of deduction
	a	Undertaking No.1		a	(item 17 of Annexure A of Form 56F for Undertaking 1)
	b	Undertaking No.2		b	(item 17 of Annexure A of Form 56F for Undertaking 2)
	c	Total deduction under section 10AA (a + b)			

Schedule 80G		Details of donations entitled for deduction under section 80G							
DETAILS OF DONATIONS	A Donations entitled for 100% deduction without qualifying limit								
	Name and address of donee		PAN of Donee	Amount of donation			Eligible Amount of donation	Transaction Reference number for UPI transfer or Cheque number/IMPS/NEFT/RTGS	IFS code of Bank
				Donation in cash	Donation in other mode	Total Donation			
	i								
	ii								
	iii		Total						
	B Donations entitled for 50% deduction without qualifying limit								
	Name and address of donee		PAN of Donee	Amount of donation			Eligible Amount of donation	Transaction Reference number for UPI transfer or Cheque number/IMPS/NEFT/RTGS	IFS code of Bank
				Donation in cash	Donation in other mode	Total Donation			
	i								
	ii								
	iii		Total						
	C Donations entitled for 100% deduction subject to qualifying limit								
	Name and address of donee		PAN of Donee	Amount of donation			Eligible Amount of donation	Transaction Reference number for UPI transfer or Cheque number/IMPS/NEFT/RTGS	IFS code of Bank
				Donation in cash	Donation in other mode	Total Donation			
	i								
	ii								
iii		Total							
D Donations entitled for 50% deduction subject to qualifying limit									

	Name and address of donee		PAN of Donee	ARN (Donation Reference Number)	Amount of donation			Eligible Amount of donation	Transaction Reference number for UPI transfer or Cheque number/IMPS/NEFT/RTGS	IFS code of Bank					
					Donation in cash	Donation in other mode	Total Donation								
	i														
	ii														
iii		Total													
E	Total donations (Aiii + Biii + Ciii + Diii)														

Schedule 80GGA Details of donations for scientific research or rural development							
S. No.	Relevant clause under which deduction is claimed (drop down to be provided)	Name and address of donee	PAN of Donee	Amount of donation			Eligible Amount of donation
				Donation in cash	Donation in other mode	Total Donation	
i							
ii							
Total donation							

Schedule 80GGC Details of contributions made to political parties									
S. No.	Date	Amount of contribution			Eligible amount of contribution	Name of the political party	PAN of the political party	Transaction Reference number for UPI transfer or Cheque number/IMPS/NEFT/RTGS	IFS code of Bank
		Contribution in cash	Contribution in other mode	Total Contribution					
i									
(add rows)									
Total contribution									

Schedule 80LA Deduction in respect of offshore banking unit or IFSC							
Sub-section in which deduction is claimed							
Sl. No.	Type of entity	Type of income of the unit	Authority granting registration	Date of registration	Registration number	First AY during which deduction is claimed	Amount of deduction claimed for current AY
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
(add row option to be provided)							
Total							

Schedule 80IAC Deduction in respect of eligible start-up [to be filled only if answer to A19(g) is 'Yes']					
Sl. No.	Date of incorporation of Startup	Nature of business	Certificate number as obtained from Inter Ministerial Board of Certification	First AY in which deduction was claimed	Amount of deduction claimed for current AY
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

Schedule RA		Details of donations to research associations etc. [deduction under sections 35(1)(ii) or 35(1)(ia) or 35(1)(iii) or 35(2AA)]				
Name and address of donee		PAN of Donee	Amount of donation			Eligible Amount of donation
			Donation in cash	Donation in other mode	Total Donation	
i						
ii						
iii	Total					

Schedule 80-IA		Deductions under section 80-IA			
a	Deduction in respect of profits of an enterprise referred to in section 80-IA(4)(i) [Infrastructure facility]	a1	Undertaking no. 1	(item 30 of Form 10CCB of the undertaking)	
		a2	Undertaking no. 2	(item 30 of Form 10CCB of the undertaking)	
b	Deduction in respect of profits of an undertaking referred to in section 80-IA(4)(iv) [Power]	b1	Undertaking no. 1	(item 30 of Form 10CCB of the undertaking)	
		b2	Undertaking no. 2	(item 30 of Form 10CCB of the undertaking)	
c	Total deductions under section 80-IA (a1 + a2 + b1 + b2)				c

Schedule 80-IB		Deductions under section 80-IB				
a	Deduction in respect of industrial undertaking located in Jammu & Kashmir or Ladakh [Section 80-IB(4)]	a1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)		
		a2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)		
b	Deduction in the case of undertaking which begins commercial production or refining of mineral oil [Section 80-IB(9)]	b1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)		
		b2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)		
c	Deduction in the case of an undertaking developing and building housing projects [Section 80-IB(10)]	c1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)		
		c2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)		
d	Deduction in the case of an undertaking engaged in processing, preservation and packaging of fruits, vegetables, meat, meat products, poultry, marine or dairy products [Section 80-IB(11A)]	d1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)		
		d2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)		
e	Deduction in the case of an undertaking engaged in integrated business of handling, storage and transportation of food grains [Section 80-IB(11A)]	e1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)		
		e2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)		
f	Total deduction under section 80-IB (Total of a1 to e2)					f

Schedule 80-IE		Deductions under section 80-IE			
a	Deduction in respect of undertaking located in North-East				
aa	Assam	aa1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)	
		aa2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)	
ab	Arunachal Pradesh	ab1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)	
		ab2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)	
ac	Manipur	ac1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)	
		ac2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)	
ad	Mizoram	ad1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)	
		ad2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)	
ae	Meghalaya	ae1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)	
		ae2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)	

	af	Nagaland	af1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)	
			af2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)	
	ag	Tripura	ag1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)	
			ag2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)	
	ah	Sikkim	ah1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)	
			ah2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)	
ai	Total deduction for undertakings located in North-east (total of aal to ah2)				ai	
b	Total deduction under section 80-IE (ai)				b	

Schedule 80P		Deductions under section 80P		
		Nature of Business Code	Income	Amount eligible for deduction
1	Sec.80P(2)(a)(i) Banking/Credit Facilities to its members			
2	Sec.80P(2)(a)(ii) Cottage Industry			
3	Sec.80P(2)(a)(iii) Marketing of Agricultural produce grown by its members			
4	Sec.80P(2)(a)(iv) Purchase of Agricultural Implements, seeds, live-stocks or other articles intended for agriculture for the purpose of supplying to its members.			
5	Sec.80P(2)(a)(v) Processing , without the aid of power, of the agricultural Produce of its members.			
6	Sec.80P(2)(a)(vi) Collective disposal of Labour of its members			
7	Sec.80P(2)(a)(vii) Fishing or allied activities for the purpose of supplying to its members.			
8	Sec.80P(2)(b)Primary cooperative society engaged in supplying Milk, oilseeds, fruits or vegetables raised or grown by its members to Federal cooperative society engaged in supplying Milk, oilseeds, fruits or vegetables/Government or local authority/Government Company / corporation established by or under a Central, State or Provincial Act			
9	Sec.80P(2)(c)(i)Consumer Cooperative Society Other than specified in 80P(2a) or 80P(2b)			
10	Sec.80P(2)(c)(ii)Other Cooperative Society engaged in activities Other than specified in 80P(2a) or 80P(2b)			
11	Sec.80P(2)(d)Interest/Dividend from Investment in other co-operative society			
12	Sec.80P(2)(e)Income from Letting of godowns/ warehouses for storage, processing / facilitating the marketing of commodities			
13	Sec.80P(2)(f)Others			
14	Total			

Schedule VI-A		Deductions under Chapter VI-A					
TOTAL DEDUCTIONS	1	Part B- Deduction in respect of certain payments					
		a	80G		b	80GGA	
		c	80GGC				
		Total Deduction under Part B (a + b + c)				1	
		2	Part C- Deduction in respect of certain incomes				
		d	80-IA	(c of Schedule 80-IA)	e	80-IAB	
		f	80-IAC	(6 of Schedule 80-IAC)	g	80-IB	(f of Schedule 80-IB)
		h	80-IBA		i	80-IE	(B of Schedule 80-IE)
		j	80JJA		k	80JJAA	[Sl.no. 5I(eiv) +5II of Annexure to Form 10DA]
		l	80LA(1)	(8 of Schedule 80-LA)	m	80LA(1A)	(8 of Schedule 80-LA)
		n	80P				
		Total Deduction under Part C (total of d to n)				2	
		3	Total deductions under Chapter VI-A (1 + 2)			3	

Schedule AMT		Computation of Alternate Minimum Tax payable under section 115JC		
1	Total Income as per item 13 of PART-B-TI			1
2	Adjustment as per section 115JC(2)			
	a Deduction Claimed under any section included in Chapter VI-A under the heading "C.—Deductions in respect of certain incomes"	2a		
	b Deduction Claimed u/s 10AA	2b		
	c Deduction claimed u/s 35AD as reduced by the amount of depreciation on assets on which such deduction is claimed	2c		
	d Total Adjustment (2a+ 2b+ 2c)	2d		
3	Adjusted Total Income under section 115JC(1) (1+2d)			3
a	Adjusted Total Income u/s 115JC from units located in IFSC, if any			
b	Adjusted Total Income u/s 115JC from other Units (3-3a)			
4	Tax payable under section 115JC(1) (9% of (3a)+ 18.5% or 15% of (3b) as applicable)/ (In the case of AOP, BOI, AJP this is applicable if 3 is greater than Rs. 20 lakh)			4

Schedule AMTC		Computation of tax credit under section 115JD				
1	Tax under section 115JC in assessment year 2026-27 (1d of Part-B-TTI)				1	
2	Tax under other provisions of the Act in assessment year 2026-27 (2g of Part-B-TTI)				2	
3	Amount of tax against which credit is available [enter (2 – 1) if 2 is greater than 1, otherwise enter 0]				3	
4	Utilisation of AMT credit Available (Sum of AMT credit utilized during the current year is subject to maximum of amount mentioned in 3 above and cannot exceed the sum of AMT Credit Brought Forward)					
	S.No	Assessment Year (AY) (A)	AMT Credit		AMT Credit Utilised during the Current Assessment Year (C)	Balance AMT Credit Carried Forward (D)= (B3) –(C)
			Gross (B1)	Set-off in earlier assessment years (B2)	Balance brought forward to the current assessment year (B3) = (B1) – (B2)	
	i	2012-13				
	ii	2013-14				
	iii	2014-15				
	iv	2015-16				
	v	2016-17				
	vi	2017-18				
	vii	2018-19				
	viii	2019-20				
	ix	2020-21				
	x	2021-22				
	xi	2022-23				
	xii	2023-24				
	xiii	2024-25				
	xiv	2025-26				
	xv	Current AY (enter 1 -2, if 1>2 else enter 0)				
	xvi	Total				
5	Amount of tax credit under section 115JD utilised during the year [total of item No. 4 (C)]				5	
6	Amount of AMT liability available for credit in subsequent assessment years [total of 4 (D)]				6	

Schedule SI		Section/Description	☑	Special rate (%)	Income(i)	Tax thereon (ii)	
SPECIAL RATE	SI No						
	1	111A or section 115AD(1)(b)(ii)- Proviso (STCG on shares units on which STT paid)	<input type="checkbox"/>	20	(part of 5vi of Schedule BFLA)		
	2	115AD (STCG for FIIs on securities where STT not paid)	<input type="checkbox"/>	30	(part of 5vii of Schedule BFLA)		
	3	112(1) (LTCG on listed securities/ units)	<input type="checkbox"/>	12.5	(part of 5x of Schedule BFLA)		
	4	112(1)(c)(iii) (LTCG for non-resident on unlisted securities)	<input type="checkbox"/>	12.5	(part of 5x of Schedule BFLA)		
	5	115AB (LTCG for non-resident on units referred in section 115AB)	<input type="checkbox"/>	12.5	(part of 5x of Schedule BFLA)		
	6	115AC (LTCG for non-resident on bonds/GDR)	<input type="checkbox"/>	12.5	(part of 5x of Schedule BFLA)		
	7	115AD (LTCG for FII on securities)	<input type="checkbox"/>	12.5	(part of 5x of Schedule BFLA)		
	8	112 (LTCG on others)	<input type="checkbox"/>	12.5	(part of 5x of Schedule BFLA)		
	9	112A or section 115AD(1)(b)(iii)-Proviso (LTCG on sale of shares or units on which STT is paid)	<input type="checkbox"/>	12.5	(part of 5x of Schedule BFLA)		
	10	STCG chargeable at special rates in India as per DTAA	<input type="checkbox"/>		(part of 5ix of Schedule BFLA)		
	11	LTCG Chargeable at special rates in India as per DTAA	<input type="checkbox"/>		(part of 5xi of Schedule BFLA)		
	12	115B (Profits and gains of life insurance business)	<input type="checkbox"/>	12.5	(5iii of Schedule BFLA)		
	13a	115AC (Income by way of interest received by a non-resident from bonds purchased in foreign currency)	<input type="checkbox"/>	10	(part of 2cx of Schedule OS)		
	13b	115AC (Income by way of dividend received by non-resident from GDR purchased in foreign currency)	<input type="checkbox"/>	10	(part of 2cxi of Schedule OS)		
	14	115BB (Winnings from lotteries, puzzles, races, games etc.)	<input type="checkbox"/>	30	(2ai of Schedule OS)		
	15	115BBJ (Winnings from online games)	<input type="checkbox"/>	30	(2aaii of Schedule OS)		
	16	115BBE (Income under section 68, 69, 69A, 69B, 69C or 69D)	<input type="checkbox"/>	60	(2b of Schedule OS)		
	17	115BBF (Income from patent)					
		a	Income under head business or profession	<input type="checkbox"/>	10	(3d of Schedule BP)	
		b	Income under head other sources	<input type="checkbox"/>	10	(2cxv of Schedule OS)	
	18	115BBG (Income from transfer of carbon credits)					
		a	Income under head business or profession	<input type="checkbox"/>	10	(7e of Schedule BP)	
		b	Income under head other sources	<input type="checkbox"/>	10	(2cxvi of Schedule OS)	
	19	115BBH-Tax on Income from Virtual Digital asset					
	a.	Income under head business or profession	<input type="checkbox"/>	30	3f of Schedule BP		
	b.	Income under head Capital Gain	<input type="checkbox"/>	30	(C2 of Schedule CG)		
20	115A(1)(b) (A) & 115A(1)(b)(B) (Income of a non-resident from Royalty & Fees for Technical Services)	<input type="checkbox"/>	20	(part of 2cviii of Schedule OS)			
21	Income from other sources chargeable at special rates in India as per DTAA	<input type="checkbox"/>		(part of 5iv of Schedule BFLA)			
22	Pass Through Income in the nature of Short Term Capital Gain chargeable @ 20%	<input type="checkbox"/>	20	(part of 5vi of Schedule BFLA)			
23	Pass Through Income in the nature of Short Term Capital Gain chargeable @ 30%	<input type="checkbox"/>	30	(part of 5vii of Schedule BFLA)			
24	Pass Through Income in the nature of Long Term Capital Gain chargeable @ 12.5% u/s 112A	<input type="checkbox"/>	12.5	(part of 5x of Schedule BFLA)			
25	Pass Through Income in the nature of Long Term Capital Gain chargeable @ 12.5% - u/s other than 112A	<input type="checkbox"/>	12.5	(part of 5x of Schedule BFLA)			

26	Pass through income in the nature of income from other sources chargeable at special rates	<input type="checkbox"/>	(2d of Schedule OS)
27	Any other income chargeable at special rates (Please choose from dropdown menu)	<input type="checkbox"/>	(part of 2c of Schedule OS)
Total			

Schedule IF		Information regarding partnership firms in which you are partner							
FIRMS IN WHICH PARTNER	Number of firms in which you are partner								
	Sl. No.	Name of the Firm	PAN of the firm	Whether the firm is liable for audit? (Yes/No)	Whether section 92E is applicable to firm? (Yes/ No)	Percentage Share in the profit of the firm	Amount of share in the profit	Amount of interest due or received	Capital balance on 31 st March in the firm
							I	II	III
	1								
	2								
	3								
4	Total								

Schedule EI		Details of Exempt Income (Income not to be included in Total Income or not chargeable to tax)								
EXEMPT INCOMES	1	Interest income						1		
	2	i	Gross Agricultural receipts (other than income to be excluded under rule 7A, 7B or 8 of I.T. Rules)			i				
		ii	Expenditure incurred on agriculture			ii				
		iii	Unabsorbed agricultural loss of previous eight assessment years			iii				
		iv	Agricultural income portion relating to Rule 7, 7A, 7B(1), 7B(1A) and 8 (from Sl. No. 38 of Sch. BP)			iv				
		v	Net Agricultural income for the year (i – ii – iii + iv) (enter nil if loss)						2	
		vi	In case the net agricultural income for the year exceeds Rs.5 lakh, please furnish the following details (Fill up details separately for each agricultural land)							
		a	Name of district along with pin code in which agricultural land is located							
		b	Measurement of agricultural land in Acre							
		c	Whether the agricultural land is owned or held on lease (drop down to be provided)							
		d	Whether the agricultural land is irrigated or rain-fed (drop down to be provided)							
	3	Other exempt income (please specify) (3a+3b)						3		
		a	Income u/s 10(23FB) or 10(23FBA) or 10 (23FC) or 10(23FCA) or 10(23FE) or 10(23FF) or 10(4D) (Please provide details of Acknowledgement Number and Date of Form Filed if 10(23FF) and 10(4D) is claimed)			3a				
b		Any other Income (Specify nature) – Add row option with free text to enter the nature of income to be provided in utility			3b					
4	Income claimed as not chargeable to tax as per DTAA (Applicable for non-residents only)									
	Sl. No.	Amount of income	Nature of income	Country name & Code	Article of DTAA	Head of Income	Whether TRC obtained (Y/N)			
	I									
	II									
	III	Total Income from DTAA not chargeable to tax						4		
5	Pass through income claimed as not chargeable to tax (Schedule PTI)						5			
6	Total (1+2+3+4+5)						6			

Schedule PTI		Pass Through Income details from business trust or investment fund as per section 115U, 115UA and 115UB								
Sl .	Investment entity covered by section 115U/115UA/115UB	Name of business trust/ investment fund	PAN of the business trust/ investment fund	Sl .	Head of income	Current year income	Share of current year loss distributed by Investment fund	Net Income/Losses 9=7-8	TDS on such amount , if any	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
PASS THROUGH INCOME	1.			i	House property					
				ii	Capital Gains					
				A	Short term					
				ai	Section 111A					
				ai	Others					
				B	Long term					
				bi	Section 112A					
				bi	Sections other than 112A					
				iii	Other Sources					
				A	Dividend					
				B	Others					
				iv	Income claimed to be exempt					
				A	u/s 10(23FBB)					
				B	u/s					
				C	u/s					
				2.				i	House property	
	ii	Capital Gains								
	A	Short term								
	ai	Section 111A								
	ai	Others								
	B	Long term								
	bi	Section 112A								
	bi	Sections other than 112A								
	iii	Other Sources								
A	Dividend									
B	Others									
iv	Income claimed to be exempt									
A	u/s 10(23FBB)									
B	u/s									
C	u/s									

Schedule- TPSA		Details of Tax on secondary adjustments as per section 92CE(2A) as per the schedule provided in e-filing utility						
TAX ON SECONDARY ADJUSTMENTS AS PER SECTION 92CE(2A)	1	Amount of primary adjustments on which option u/s 92CE(2A) is exercised & such excess money has not been repatriated within the prescribed time (please indicate the total of adjustments made in respect of all the AYs)						
	2	a	Additional Income tax payable @ 18% on above					
		b	Surcharge @ 12% on "a"					
		c	Health & Education cess on (a+b)					
		d	Total Additional tax payable (a+b+c)					
	3	Taxes paid						
	4	Net tax payable (2d-3)						
	5	Date(s) of deposit of tax on secondary adjustments as per section 92CE(2A)	Date 1 (DD/MM/YYYY)	Date 2 (DD/MM/YYYY)	Date 3 (DD/MM/YYYY)	Date 4 (DD/MM/YYYY)	Date 5 (DD/MM/YYYY)	Date 6 (DD/MM/YYYY)
	6	Name of Bank and Branch						
	7	BSR Code						
8	Serial number of challan							
9	Amount deposited							

Schedule 115TD		Accreted income under section 115TD					
1	Aggregate Fair Market Value (FMV) of total assets of specified person	1					
2	Less: Total liability of specified person	2					
3	Net value of assets (1 – 2)	3					
4	(i) FMV of assets directly acquired out of income referred to in section 10(1)	4i					
	(ii) FMV of assets acquired during the period from the date of creation or establishment to the effective date of registration/provisional registration u/s 12AB, if benefit u/s 11 and 12 not claimed during the said period	4ii					
	(iii) FMV of assets transferred in accordance with third proviso to section 115TD(2)	4iii					
	(iv) Total (4i + 4ii + 4iii)	4iv					
5	Liability in respect of assets at 4 above	5					
6	Accreted income as per section 115TD [3 – (4iv – 5)]	6					
7	Additional income-tax payable u/s 115TD at maximum marginal rate	7					
8	Interest payable u/s 115TE	8					
9	Specified date u/s 115TD	9					
10	Additional income-tax and interest payable	10					
11	Tax and interest paid	11					
12	Net payable (10 - 11) (Enter 0 if negative)	12					
13	Date(s) of deposit of tax on accreted income	Date 1 DD/MM/YYYY	Date 2 DD/MM/YYYY	Date 3 DD/MM/YYYY			
14	Name of Bank and Branch						
15	BSR Code						
16	Serial number of challan						
17	Amount deposited						

(ii)												
D Details of any other Capital Asset held (including any beneficial interest) at any time during the calendar year ending on 31st December, 2025												
Sl No	Country Name and code	Zip Code	Nature of Asset	Ownership-Direct/Beneficial owner/Beneficiary	Date of acquisition	Total Investment (at cost) (in rupees)	Income derived from the asset	Nature of Income	Income taxable and offered in this return			
									Amount	Schedule where offered	Item number of schedule	
(1)	(2a)	(2b)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
(i)												
(ii)												
E Details of account(s) in which you have signing authority held (including any beneficial interest) at any time calendar year ending on 31st December, 2025 and which has not been included in A to D above.												
Sl No	Name of the Institution in which the account is held	Address of the Institution	Zip Code	Name of the account holder	Account Number	Peak Balance/ Investment during the year (in rupees)	Whether income accrued is taxable in your hands?	If (7) is yes, Income accrued in the account	If (7) is yes, Income offered in this return			
									Amount	Schedule where offered	Item number of schedule	
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
(i)												
(ii)												
F Details of trusts, created under the laws of a country outside India, in which you are a trustee, beneficiary or settlor												
Sl No	Country Name and code	Zip Code	Name and address of the trust	Name and address of trustees	Name and address of Settlor	Name and address of Beneficiaries	Date since position held	Whether income derived is taxable in your hands?	If (8) is yes, Income derived from the trust	If (8) is yes, Income offered in this return		
										Amount	Schedule where offered	Item number of schedule
(1)	(2a)	(2b)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
(i)												
(ii)												
G Details of any other income derived from any source outside India which is not included in ,-(i) items A to F aboveand, (ii) income under the head business or profession												
Sl No	Country Name and code	Zip Code	Name and address of the person from whom derived	Income derived	Nature of income	Whether taxable in your hands?	If (6) is yes, Income offered in this return					
							Amount	Schedule where offered	Item number of schedule			
(1)	(2a)	(2b)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)			
(i)												
(ii)												

Schedule GST		INFORMATION REGARDING TURNOVER/GROSS RECEIPT REPORTED FOR GST	
DETAILS OF GST	Sl. No.	GSTIN No(s).	Annual value of outward supplies as per the GST return(s) filed
	(1)	(2)	(3)
NOTE		Please furnish the information above for each GSTIN No. separately	

PART-B

Part B – TI		Computation of total income			
TOTAL INCOME	1	Income from house property (3 of Schedule-HP) (enter nil if loss)		1	
	2	Profits and gains from business or profession			
		i	Profits and gains from business other than speculative business and specified business (A37 of Schedule BP)(enter nil if loss)	2i	
		ii	Profits and gains from speculative business (3(ii) of table E of Schedule BP) (enter nil if loss and carry this figure to Schedule CFL)	2ii	
		iii	Profits and gains from specified business (3(iii) of table E of Schedule BP) (enter nil if loss and carry this figure to Schedule CFL)	2iii	
		iv	Income chargeable to tax at special rate (3d, 3e, 3f and 4b of Schedule BP)	2iv	
		v	Total (2i + 2ii + 2iii + 2iv) (enter nil, if loss and carry this figure of loss to Schedule CYLA)	2v	
	3	Capital gains			
		a	Short term		
			i	Short-term chargeable @ 20% (8ii of item E of schedule CG)	ai
			ii	Short-term chargeable @ 30% (8iii of item E of schedule CG)	a ii
			iii	Short-term chargeable at applicable rate (8iv of item E of schedule CG)	a iii
			iv	Short-term chargeable at special rates in India as per DTAA (8v of item E of Schedule CG)	a iv
		v	Total Short-term (ai+ a ii + a iii + a iv) (enter nil if loss)	a v	
	b	Long-term			
		i	Long-term chargeable @ 12.5% (8vi of item E of Schedule CG)	bi	
		ii	Long-term chargeable at special rates in India as per DTAA (8vii of item E of schedule CG)	b ii	
		iii	Total Long-term (bi+ b ii) (enter nil if loss)	b iii	
	c	Sum of Short-term / Long-term capital gains (3av + 3biii) (enter nil if loss)		3c	
	d	Capital gain chargeable @ 30% u/s 115BBH (C2 of schedule CG)		3d	
	e	Total capital gains (3c + 3d)		3e	
4	Income from other sources				
	a	Net income from other sources chargeable to tax at normal applicable rates (6 of Schedule OS) (enter nil if loss)	4a		
	b	Income chargeable to tax at special rate (2 of Schedule OS)	4b		
	c	Income from the activity of owning and maintaining race horses (8e of Schedule OS) (enter nil if loss)	4c		
	d	Total (4a + 4b + 4c)		4d	
5	Total of head wise income (1 + 2v + 3e +4d)		5		
6	Losses of current year to be set off against 5 (total of 2xvi, 3xvi and 4xvi of Schedule CYLA)		6		
7	Balance after set off of current year losses (5 – 6) (total of serial no (ii), (iii), (v) to (xvi) of column 5 of schedule CYLA + 4b + 2iv)		7		
8	Brought forward losses to be set off against 7 (total of 2xv, 3xv and 4xv of Schedule BFLA)		8		
9	Gross Total income (7 – 8) (also total of serial no (i), (ii), (iv) to (xiv) of column 5 of Schedule BFLA + 4b + 2iv)		9		
10	Income chargeable to tax at special rate under section 111A, 112, 112A etc. included in 9		10		
11	Deductions under Chapter VI-A				
	a	Part-B of Chapter VI-A [1 of Schedule VI-A and limited upto (i+ii+iv+v+viii+xiii+xiv) of column 5 of BFLA]	11a		
	b	Part-C of Chapter VI-A [2 of Schedule VI-A]	11b		
	c	Total (11a + 11b) [limited upto (9-10)]	11c		
12	Deduction u/s 10AA (Total of Sch. 10AA)		12		
13	Total income (9 - 11c - 12)		13		

14	Income chargeable to tax at special rates (total of (i) of schedule SI)	14	
15	Net agricultural income/ any other income for rate purpose (2v of Schedule EI)	15	
16	Aggregate income (13 – 14 + 15) [applicable if (13-14) exceeds maximum amount not chargeable to tax]	16	
17	Losses of current year to be carried forward (total of xxi of Schedule CFL)	17	
18	Deemed total income under section 115JC (3 of Schedule AMT)	18	

Part B – TTI		Computation of tax liability on total income					
COMPUTATION OF TAX LIABILITY	1	A Tax payable on deemed total income under section 115JC (4 of Schedule AMT)			1a		
		B Surcharge on (a) above (if applicable)			1b		
		C Health and Education Cess @ 4% on 1a+1b above			1c		
		D Total Tax Payable on deemed total income (1a+1b+1c)			1d		
	2	Tax payable on total income					
		A	Tax at normal rates on 16 of Part B-TI	2a			
		B	Tax at special rates (total of col. (ii) of Schedule-SI)	2b			
		C	Rebate on agricultural income [applicable if (13-14) of Part B-TI exceeds maximum amount not chargeable to tax]	2c			
		D Tax Payable on total income (2a+2b -2c)			2d		
		E Surcharge			Surcharge computed before marginal relief	Surcharge after marginal relief	
		i	25% of 12(ii) of Schedule SI	2ei	2g(ii)	ia	
		ii	10% or 15 % , as applicable	2eii			
		iii	On [(2d) – [(12(ii) of Schedule SI – tax on Income referred in 2e(ii))]	2eiii		iiia	
		iv	Total (ia+iiia)			2eiv	
		F Health and Education Cess @ 4% on 2d+2eiv			2f		
		G Gross tax liability (2d + 2eiv + 2f)			2g		
	3	Gross tax payable (higher of 1d or 2g)				3	
	4	Credit under section 115JD of tax paid in earlier years (applicable if 2g is more than 1d) (5 of Schedule AMTC)				4	
	5	Tax payable after credit under section 115JD (3 - 4)				5	
	6	Tax relief					
	A	Section 90/90A (2 of Schedule TR)	6a				
	B	Section 91(3 of Schedule TR)	6b				
	C Total (6a + 6b)			6c			
7	Net tax liability (5 – 6c) (enter zero, if negative)				7		
8	Interest and fee payable						
	A	Interest for default in furnishing the return (section 234A)	8a				
	B	Interest for default in payment of advance tax (section 234B)	8b				
	C	Interest for deferment of advance tax (section 234C)	8c				
	D	Fee for default in furnishing return of income (section 234F)	8d				
	Da	Fee for furnishing revised return of income (section 234-I)	8da				
	E Total Interest and Fee Payable (8a+8b+8c+8d)			8e			
9	Aggregate liability (7 + 8e)				9		
TAXES PAID AND BANK DETAILS	10	Taxes Paid					
		A	Advance Tax (from column 5 of 18A)	10a			
		B	TDS (total of column 9 of 18B)	10b			
		C	TCS (total of column 7 of 18C)	10c			
		D	Self-Assessment Tax (from column 5 of 18A)	10d			
		E Total Taxes Paid (10a+10b+10c+10d)			10e		
11	Amount payable (Enter if 9 is greater than 10e, else enter 0)				11		
12	Refund (If 10e is greater than 9)				12		

	13	Net tax payable on 115TD income including interest u/s 115TE (Sr.no. 12 of Schedule 115TD)				13	
	14	Tax payable u/s 115TD after adjustment of refund at Sl. No. 12 (13-12)				14	
	15	Net refund after adjustment as per Sl. No. 14 (12-13) (refund, if any, will be directly credited into the bank account)				15	
BANK ACCOUNT	16	Do you have a bank account in India (Non- Residents claiming refund with no bank account in India may select No)				Select Yes or No	
		a) Details of all Bank Accounts held in India at any time during the previous year (excluding dormant accounts)					
		Sl.	IFS Code of the Bank in case of Bank Accounts held in India	Name of the Bank	Account Number	Type of account (Dropdown to be provided by e-filing utility)	Select Account for refund credit (tick at least one account ✓)
		I					<input type="checkbox"/>
		II					<input type="checkbox"/>
		Note: 1) All bank accounts held at any time are to be reported, except dormant A/c 2) In case multiple accounts are selected, the refund will be credited to one of the validated accounts after processing the return.					
		Rows can be added as required					
		b) Non- residents, not having bank account in India may, at their option, furnish the details of one foreign bank account:					
		Sl. No.	SWIFT Code	Name of the Bank	Country of Location	IBAN	
		Rows can be added as required					
	17	Do you at any time during the previous year,- (i) hold, as beneficial owner, beneficiary or otherwise, any asset (including financial interest in any entity) located outside India; or (ii) have signing authority in any account located outside India; or (iii) have income from any source outside India? <i>[applicable only in case of a resident] [Ensure Schedule FA is filled up if the answer is Yes]</i>				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	

18 TAX PAYMENTS					
A	Details of payments of Advance Tax and Self-Assessment Tax				
ADVANCE/SELF ASSESSMENT TAX	Sl No	BSR Code	Date of Deposit (DD/MM/YYYY)	Serial Number of Challan	Amount (Rs)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	i				
	ii				
iii					
NOTE					
▶ Enter the totals of Advance tax and Self-Assessment tax in Sl No. 10a & 10d of Part B-TTI					

B Details of Tax Deducted at Source (TDS) on Income [As per Form 16 A issued or Form 16B/16C/16D/16E furnished by Deductor(s)]																
SI No	TDS credit relating to self /other person [other person as per rule 37BA(2)]	PAN/ Aadhaar No. of Other Person (if TDS credit related to other person)	TAN of the Deductor/ PAN/Aadhaar No. of Tenant/ Buyer	Section under which TDS is deducted	Unclaimed TDS brought forward (b/f)		TDS of the current Financial Year (TDS deducted during the FY 2025-26)		TDS credit being claimed this Year (only if corresponding income is being offered for tax this year, not applicable if TDS is deducted u/s 194N)			Corresponding Receipt/ withdrawals offered		TDS credit being carried forward		
					Fin. Year in which deducted	TDS b/f	Deducted in own hands	Deducted in the hands of or any other person as per rule 37BA(2) (if applicable)	Claimed in own hands	Claimed in the hands of or any other person as per rule 37BA(2) (f applicable)	Gross Amount	Head of Income				
(1)	(2)	(3)	(4)	(4a)	(5)	(6)	(7)		(8)		(9)	(10)		(11)	(12)	(13)
NOTE ▶ Please enter total of column 9 in 10b of Part B-TTI																

C Details of Tax Collected at Source (TCS) [As per Form 27D issued by the Collector(s)]											
SI No	TCS credit relating to self /other person [other person as per rule 37I(1)]	Tax Deduction and Tax Collection Account Number of the Collector	PAN/Aadhaar No. of Other Person (if TCS credit related to other person)	Unclaimed TCS brought forward (b/f)		TCS of the current financial Year (Tax collected during FY 2025-26)		TCS credit being claimed this Year			TCS credit being carried forward
				Fin. Year in which collected	Amount b/f	Collected in own hands	Collected in the hands of any other person as per rule 37I(1) (if applicable)	Claimed in own hands	Claimed in the hands of any other person as per rule 37I(1) (if applicable)		
(1)	2(i)	(2)(ii)	(3)	(4)	(5)	(6)(i)	(6)(ii)	(7)(i)	7(ii)		(8)
NOTE ▶ Please enter total of column (7) in 10c of Part B-TTI											

VERIFICATION

I, _____ (full name in block letters), son/ daughter of _____, solemnly declare that to the best of my knowledge and belief, the information given in the return and the schedules thereto is correct and complete is in accordance with the provisions of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961).
 I further declare that I am making this return in my capacity as _____ (drop down to be provided) and I am also competent to make this return and verify it. I am holding permanent account number _____ (if allotted)
 I further declare that the critical assumptions specified in the agreement have been satisfied and all the terms and conditions of the agreement have been complied with. (Applicable, in a case where return is furnished under section 92CD)

Date	Place		Sign here → .?
-------------	--------------	--	-----------------------

[No. 48 /2026/F. No. 370142/8/2026-TPL]

PRADEEP SHARMA, Dy. Secy., Tax Policy and Legislation

Note:- The Income-tax Rules, 1962 rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Par II, Section 3, Sub-section (ii) vide notification number S.O. 969 (E), dated the 26th March, 1962 and last amended vide notification GSR. 228(E), dated the 30th March, 2026.